खण्ड-179, अंक-3
बुधवार, 18 आश्विन, शक संवत् 1878
(10 अक्टूबर, 1956 ई0)

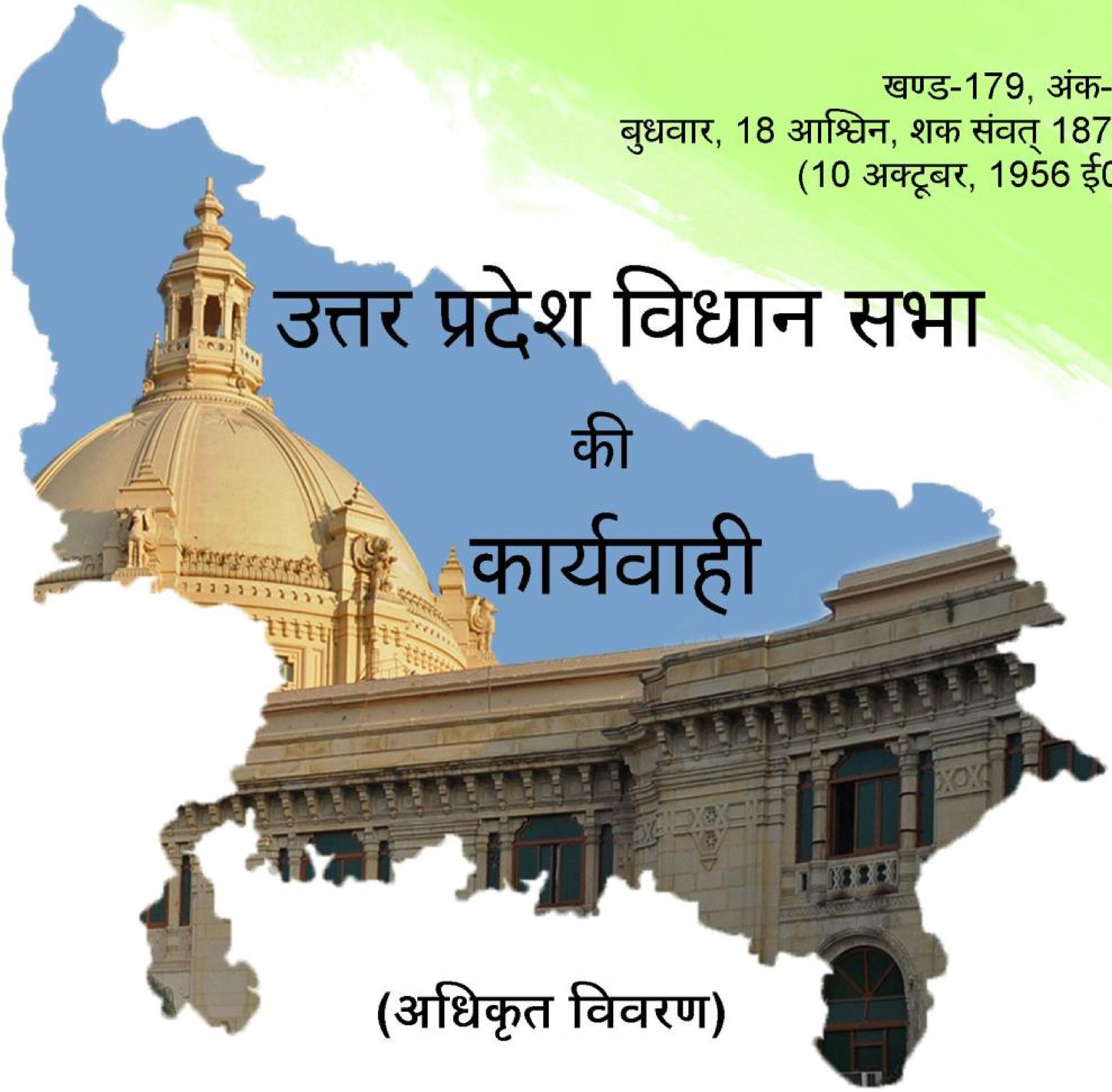

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 179 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
हरिद्वार में गंगा की बाढ़ के सम्बन्ध में विवरण की मांग	१८१
१९५६–५७ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी. . ..	१८२
विभिन्न अनुपूरक अनुदानों पर विचारार्थ समय-विभाजन	१८२
सभा के स्थगित होने के सम्बन्ध में जानकारी	१८२
विभिन्न अनुपूरक अनुदानों पर विचारार्थ समय-विभाजन	१८२–१८३
बारानफात की छुट्टी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	१८३
१९५६–५७ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान ..	१८३
अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि (स्वीकृत) : :	१८३–१९२
अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९–ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है), अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण (स्वीकृत)	१९२–१९९
अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियां, अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस तथा अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४–क—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें (स्वीकृत) ..	१९९–२१०
अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा, अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य, अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग, अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५६—लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि—सरकारी छापाखाना, अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय, अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख—सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत तथा अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८५–क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	२११–२२५
अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा तथा अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (स्वीकृत) ..	२२५–२२९
अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि (स्वीकृत) ..	२२९–२३०
अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन (स्वीकृत) ..	२३०
अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १८—इंजीनियरिंग संस्थायें (स्वीकृत) ..	२३०

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि (स्वीकृत) ..	२३०
अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा (स्वीकृत) ..	२३०
अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	२३०
अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत (स्वीकृत)	२३१
अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य—केन्द्रीय निधि से वित्तीय सहायता (स्वीकृत)	२३१
अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	२३१
अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५७—विविध (स्वीकृत) ..	२३१
अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण (स्वीकृत) ..	२३१
अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा (स्वीकृत)	२३१
अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक त—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत)	२३२
१९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का प्रथम पूरक) विधेयक (विचारोपरान्त पारित)	२३२-२४५
नत्थी	२४६-२४९

उत्तर प्रदेश सभा

RE LIBR
28 NOV 1956

कैथान सभा पदेश्वर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
म्मदमुह नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामर्मूति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लोलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर

सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्द बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १० अक्तूबर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इटावा अस्पताल से 'डायगनोस्टिक' सेट की चोरी

**१—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४८ में या उसके आस-पास सरकारी जिला अस्पताल इटावा से आंख, कान, नाक और गले के काम में आने वाला कोई यन्त्र "डायगनोस्टिक सेट" चोरी चला गया था अथवा खो गया था ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हां।

**२—श्री रामदुलारे मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायगी कि उपर्युक्त यन्त्र का अब तक पता चला या नहीं तथा उसके खो जाने का उत्तरदायित्व किन सरकारी कर्मचारियों पर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

इसका उत्तरदायित्व निम्नलिखित कर्मचारियों पर निर्धारित किया गया है—

१—डाक्टर बनवारी लाल पांडे
२—श्री कृष्णशंकर, कम्पाउन्डर
३—श्री श्यामबरन, कम्पाउन्डर
४—छोटेसिंह वार्ड ब्वाय
५—बिन्दा, वार्ड ब्वाय

**३—श्री रामदुलारे मिश्र (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि उक्त यंत्र की कीमत क्या थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त यन्त्र की कीमत रु० ३६९-१०-० थी।

तारांकित प्रश्न

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अलीगढ़ जिले में खुलने वाले उद्योग

*१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हाथरस नगर तथा अलीगढ़ जिले में किन नये उद्योगों के प्रारम्भ करने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अलीगढ़ जिले में खोले जाने वाले नये उद्योग निम्नलिखित हैं :—

१—हाथरस में एक कटलरी केन्द्र,

२—अलीगढ़ में छाते की तीलियां बनाना, सूटकेस फिटिंग तथा यंत्रचालित खिलौने बनाना,

३—सिकन्दराराव व हसायन में सुगंधित तेल उद्योग,

४—अतरौली में एक पाइलट वर्कशाप।

प्रान्तीय रक्षक दल के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

*२—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५४ में पी०आर०डी० के अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और उनमें से सन १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में कितने प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी करने का निश्चय सरकार ने किया ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—३१ मार्च, १९५४ को यह संख्या १,१२१ थी। १९५४–५५ में किसी भी पद को स्थायी नहीं किया गया तथा १९५५–५६ में १० प्रतिशत स्थानों को स्थायी करने का निश्चय किया गया।

*३—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९५६ में पी० आर० डी० के अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या थी ?

श्री फूलसिंह—१,१५७ ।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पी० आर० डी० के जो ९० प्रतिशत अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने की क्या नीति है ?

श्री फूलसिंह—इस साल अगर आप यह योजना मंजूर करेंगे तो स्थायी किये जायेंगे।

श्री गोवर्धन तिवारी—जिन १० प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी करने का निश्चय सरकार ने किया है वे १० प्रतिशत स्थायी कर दिये गये हैं या नहीं ?

श्री फूलसिंह—कुछ स्थायी हो गये हैं और कुछ का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पी० आर० डी० को अस्थायी बनाने का सरकार ने संकल्प कर लिया है और इसका कार्यक्षेत्र आइन्दा क्या रक्खा जायगा ?

श्री फूलसिंह--डिपार्टमेंट के पदाधिकारी जब स्थायी हो जायेंगे तो मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट अस्थायी कैसे रहेगा और उसका कार्यक्रम जो है माननीय सदस्यों के सामने है ही। तमाम कांस्ट्रक्टिव एक्टीविटीज करता है।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---क्या यह सही है कि पी० आर० डी० में तनख्वाह पाने वाले जो अधिकारी हैं उनको सन् १९५४-५५ में स्थायी कर दिया गया है एक अनुपात के अनुसार तो क्या उसी अनुपात से जो निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं उनको भी स्थायी किया गया है ?

श्री फूलसिंह---यह प्रश्न तो जब आदरणीय सदन के सामने यहां प्रस्तुत होगा, तो तय होगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि पी० आर० डी० और पुलिस में क्या सम्बन्ध रहेगा ?

श्री फूलसिंह---यह प्रश्न तो बहुत स्पष्ट है। पी० आर० डी० और पुलिस का जो कार्यक्रम है उस से माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं।

जिलों में उद्योग इन्सपेक्टरों की नियुक्तियां

*४---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में उद्योग इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति कब तक हो जायगी और उनकी टेकनिकल तथा मेकैनिकल योग्यता का मापदण्ड क्या होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उद्योग इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कुछ इन्स्पेक्टर अन्तरिम काल के लिए नियुक्त किये जा चुके हैं परन्तु उनका अपने पदों पर कार्य करते रहना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्भर होगा। इन इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई विशेष टेक्निकल तथा मेकैनिकल योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है। इस पद के लिए प्रार्थी को कम से कम ग्रैजुएट होना आवश्यक है और प्राथमिकता उनको दी गयी है जो अर्थशास्त्र या कामर्स के ग्रैजुएट हैं अथवा जिन्होंने इसी श्रेणी की अथवा अन्य समान पदों के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा में सफलता प्राप्त की, परन्तु स्थान कम होने के कारण उसमें चुने न जा सके। किसी सरकारी कार्यालय, कारखाने या व्यापारिक संस्था का प्रशासकीय अथवा क्रियात्मक अनुभव को अतिरिक्त योग्यता माना गया है।

*५---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)---[१८ अक्तूबर, १९५६ के लिए प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अलीगढ़ जिले में चालू होने वाले उद्योग

*६---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ के देहाती तथा शहरी क्षेत्र में किन-किन नये उद्योगों को चलाने में प्राथमिकता दी जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस जिले में कटलरी उद्योग, सुगंधित तेल उद्योग, छाते की तीलियां बनाने का उद्योग, सूटकेस की फिटिंग बनाने का उद्योग और यंत्रचालित खिलौने बनाने के नये उद्योगों को चलाने में प्राथमिकता दी जा रही है।

विन्ध्य प्रदेश के खनिज पदार्थों का उत्तर प्रदेशीय उद्योगों में प्रयोग

*७—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विन्ध्य प्रदेश के खनिज पदार्थों को उत्तर प्रदेशीय उद्योगों के लिए उपलब्ध करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मन्त्री जो इस बात पर विचार करेंगे कि वहां जो खनिज-पदार्थ हैं उनके लिए वह विन्ध्य प्रदेश सरकार से निगोशियेट करेंगे और उनके डेवेलेपमेंट के लिए योजना बनायेंगे ?

श्री बनारसीदास—इस वक्त में पुनर्संगठन जो राज्यों का चल रहा है उसको दृष्टि में रखते हुए यह उचित नहीं मालूम होता कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस वक्त विन्ध्य प्रदेश से इस बारे में कोई भी लिखापढ़ी की जाय, लेकिन यह आशा की जाती है कि रेहन्द के क्षेत्र में जब वहां अल्मूनियम स्मेल्टर फैक्टरी खुलेगी तो उस पर अनुमान है कि विन्ध्य प्रदेश के कुछ खनिज-पदार्थ भी वहां काम के अन्दर आयेंगे और गवर्नमेंट आफ इन्डिया इसकी जांच-पड़ताल करेगी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेशीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को विन्ध्य प्रदेश के कुछ जिलों को लेने के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी की गयी है ?

श्री बनारसीदास—यह प्रश्न तो इस वक्त पैदा नहीं होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि नये मध्य प्रदेश के निर्माण हो जाने के बाद विन्ध्य प्रदेश के खनिज पदार्थों का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार से मिल कर कोई ज्वाइन्ट डेवेलपमेंट बोर्ड बनाया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ज्वाइन्ट डवेलपमेंट बार्ड बनाने के विषय पर कोई विचार तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो जोनल काउन्सिल्स बनने वाली हैं कदाचित उन जोनल काउंसिल्स के तहत में ऐसे प्रश्नों के ऊपर भी विचार किया जा सकेगा और उन जोनल काउंसिल्स के द्वारा यदि कोई योजना बनायी जा सकेगी, तो उसके बनाने का प्रयास किया जायगा।

आगरे में शिशु चिकित्सालय खोलने की योजना

*८—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बच्चों के अस्पताल बनाने की योजना में क्या प्रगति हुई है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—सरकार आगरे में बच्चों के अस्पताल खोलने के लिए UNICEF तथा W. H. O. से बातचीत कर चुकी है। इस अस्पताल के लिए एक अलग इमारत की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उपर्युक्त जगह के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रश्न पर निश्चय होने के उपरान्त W. H. O./UNICEF से सहायता के लिए फिर बात की जायेगी।

आगरे के ताजगंज जच्चाखाने में शय्याओं की कमी

*९—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या स्वास्थ्य मन्त्री को विदित है कि ताजगंज, आगरा, के जच्चा अस्पताल में शय्याओं की बहुत कमी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिला आगरे के ताजगंज जच्चाखाने में इस समय केवल ५ पलंग हैं। आवश्यकतानुसार ९ पलंग तक बढ़ाये जा सकते हैं। यह जच्चाखाना नगर-बालिका आगरा के अधीन है जो इसके विस्तार पर विचार कर रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मन्त्री जी यदि जमीन प्राप्त हो जाय, तो तुरन्त काम प्रारम्भ करने के लिए प्रयत्न करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं, ऐसी तुरन्त कार्यवाही नहीं हो सकती है क्योंकि अभी यह अस्पताल योजना का एक हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर जमीन मिल जायगी, तब हम यूनीसेफ की अथारिटीज से बातचीत कर के उसी योजना में, हमारा जो मौजूदा प्लान है, उसके तहत में लाने की कोशिश करेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मन्त्री जी ताजगंज की आबादी को देखते हुए वहां जो शय्याओं का प्रबन्ध है उसकी संख्या बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह जच्चाखाना तो नगरपालिका के द्वारा संचालित होता है। यदि वहां अधिक बिस्तरों के बढ़ाने की आवश्यकता है तो नगरपालिका का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए और हम आशा करते हैं कि यदि नगरपालिका इस बात की आवश्यकता समझती है तो उस प्रश्न को हल करने का निर्णय लेगी।

अलौकिक आहार योजना पर विचार

*१०—श्री रामदुलारे मिश्र (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मन्त्री प्रदेश की जनता के लिए अलौकिक आहार की योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार जन साधारण के अलौकिक आहार की पूर्ति के लिए प्रोटीन तथा विटामिन युक्त काई तथा फूड ईस्ट के उपयोग के लिए विचार कर रही है।

राज्य में बिजली का सामान बनाने के कारखाने का न स्थापित होना

*११—श्री रामदुलारे मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि भारत सरकार बिजली का सामान तैयार करने का जो कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित करने जा रही थी क्या अब वह स्थापित न होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भारत सरकार ने बिजली का सामान तैयार करने के कारखाने को भूपाल में स्थापित करने का निश्चय किया है।

चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री में कथित गबन

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मिर्जापुर की चुर्क सीमेंट फैक्टरी में सीमेंट का गबन हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है। दूसरा भाग नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के बड़हल ग्राम में नाजायज सीमेंट का पकड़ा जाना

*१३--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला गोरखपुर, तहसील बांसगांव, ग्राम बढ़हल में जुलाई, १९५६ में कई मकानों की तलाशी वहां के सप्लाई आफिसर ने की थी? यदि हां, तो कितने मकानों से और कितनी संख्या में सीमेंट नाजायज बरामद हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, जिला सप्लाई अफसर गोरखपुर द्वारा बड़हलगंज में चार मकानों तथा कुछ दुकानों और एक गोदाम की तलाशी के फलस्वरूप २५६ बोरे तथा एक कट्टा नाजायज सीमेंट बरामद हुई।

राज्य में सीमेंट की चोर बाजारी के सम्बन्ध में चालान

*१४--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने आदमियों का सन् १९५४-५५ में सीमेंट का ब्लैक मार्केटिंग करने में चालान किया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९५४-५५ में प्रदेश में सीमेंट का ब्लैक मार्केट करने में कुल १५ व्यक्तियों का चालान किया गया।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में भट्ठों के लिए कोयला न मिलने की शिकायत

*१५--**श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि बस्ती जिला नौगढ़ तहसील में उस्का, तैतरी बाजार, नौगढ़, चिल्हिया, शोहरतगढ़, बढ़नी के ईंट के भट्ठों को कोयले का कोटा नहीं मिलता?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिला बस्ती, तहसील नौगढ़में केवल नौगढ़ में एक भट्ठा सहकारी संघ का है जिसे कोयले का कोटा प्रदेशीय सहकारी संघ द्वारा दिया जाता है। अन्य जगहों में कोई लाइसेंस प्राप्त भट्ठा नहीं है।

*१६--**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)--[७ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७--**श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय**--[७ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा जिले के लिए कुटीर उद्योगों की योजनायें

*१८--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर व जिले में कितने कताई व खादी बुनाई केन्द्र चालू हैं और उनमें कितने व्यक्तियों को शिक्षा दी जा रही है?

श्री बनारसीदास--(अ) कोई नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

*१९--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा शहर व जिले में किन-किन कुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बनारसीदास—आगरा शहर व जिले में विभिन्न कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने अनेक औद्योगिक योजनायें चलाई हैं। ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों को चालू करने व विस्तार करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सामूहिक विकास एवं गहन विकास योजना के अन्तर्गत लोहारी, सिलाई, संगमरमर कार्य, दरी बनाना, काष्ठ कला तथा कांच के मोती बनाने की शिक्षा प्रदान की जाती है। औद्योगिक शिक्षालय योजना के अन्तर्गत पेपरमशी, संगमरमर, काष्ठकला एवं सिलाई के प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। हस्त करघा योजना के अन्तर्गत करघा सहकारी समितियों की स्थापना की गई है जिनमें से कुछ उत्पादन समितियां भी हैं। कुछ सेल डिपो तथा डाई हाउस भी खोले गये हैं। करघा उद्योग की उन्नति के लिये आर्थिक सहायता भी दी जाती है। चर्म उद्योग की उन्नति के लिये पाइलट प्रोजेक्ट योजना चालू की गई है तथा उस पर क्वालिटी मार्किंग योजना चालू की गई है। इसके लिये आर्थिक सहायता भी दी गई है। चूड़ी उद्योग के लिये कच्चे माल की पूर्ति यथासम्भव की जाती है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में विभिन्न कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा। आगरे में एक औद्योगिक आस्थान बनने जा रहा है तथा फिरोजाबाद में एक गैस प्लान्ट योजना चालू की जा रही है जिससे चूड़ी तथा कांच उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

*२०—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर व जिले में जूते और चमड़े के उद्योग की सहायता, संरक्षा और समुन्नति के लिये क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं और की जा रही हैं ?

श्री बनारसीदास—आगरा शहर व जिले में चर्मशोधन उद्योग को प्रोत्साहन देने के हेतु कुछ सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है जिनको आर्थिक सहायता दी गयी है। पाइलट प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत जूते बनाने की आधुनिक ढंग की शिक्षा दी जाती है एवं विभिन्न प्रकार के जूते बनाये जाते हैं। इस उद्योग के संरक्षण एवं समुन्नति के लिये क्वालिटी मार्किंग योजना चालू की गई है जिसके अन्तर्गत प्राविधिक सहायता दी जाती है, उत्पादन का स्तर निर्धारित किया जाता है एवं निर्धारित स्तर के अनुसार चमड़े के जूते तैयार कराये जाते हैं। मार्केटिंग का भी प्रबंध किया जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर व जिले में निकट भविष्य में कताई व खादी केन्द्र खोलने का उसका इरादा है ?

श्री बनारसी दास—अभी अम्बर चर्खे की योजना को चालू करने के लिये एक योजना विचाराधीन है और अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से विचार-विमर्श किया जा रहा है। उसके बाद निश्चय किया जायगा कि आया आगरा के अन्दर भी कोई खादी उत्पादन केन्द्र कायम किया जाय या नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जवाब में कहा गया है कि सरकार ने अनेक औद्योगिक योजनायें चलाई हैं। क्या सरकार बतायेगी कि वे औद्योगिक योजनायें क्या-क्या हैं ?

श्री बनारसीदास—जैसा कि अभी बतलाया गया, क्वालिटी मार्किंग की योजना है, पायलट प्रोजेक्ट योजना वहां पर चमड़े के विकास करने के लिये कायम की गई है। कुछ टैनरीज कायम की गई हैं, हैन्डलूम का कार्य वहां सम्पादन करने के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज संगठित की गई हैं। उत्पादन केन्द्र भी बनाये गये, सेल डिपो बनाये गये। इसके अतिरिक्त आगरे के जिले में इंटेन्सिव ब्लाक जैसे अकोला, खैरागढ़, बाह के अन्दर जहां पर कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एन०ई०एस० ब्लाक चल रहे हैं प्रशिक्षण केन्द्र की योजना है। इसके अतिरिक्त अभी बतलाया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मातहत वहां इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने के लिये ५० एकड़ जमीन ऐक्वायर की गई है और उसकी कार्यवाही शुरू कर दी गई है कि वहां इंडस्ट्रियल स्टेट बन सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—प्रश्न १९ के उत्तर में जो बताया गया कि आर्थिक सहायता कुटीर उद्योगों को दी जा रही है, उसके सम्बन्ध में सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस-किस कुटीर उद्योग को कितनी कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है ?

श्री बनारसीदास—इस समय यह तो नहीं बतला पाऊंगा । सन् १९४७–४८ से १९५५–५६ तक ४१,५०० रु० का ऋण और १८,५०० रु० का अनुदान दिया गया है। जैसे जैसे प्रार्थना–पत्र आते हैं वहां पर खास तौर से चमड़े के कार्य के लिये और हैन्डलूम के लिये या जैसे साइकिल का कुछ लोग कार्य करते हैं, दरी का काम करते हैं, इन सबके लिये जैसे जैसे प्रार्थना–पत्र आये हैं सहायता दी गई है। लिस्ट इस वक्त नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद को दी जा सकती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—आगरा जिले में जो कताई और खादी बुनाई केन्द्र चालू हैं उनमें कितने कर्मचारी काम करते हैं और सालाना कितना व्यय होता है ?

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो उत्तर में यह कहा था कि खादी की योजना वहां पर चालू नहीं है। इसलिये प्रश्न नहीं पैदा होता ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में चमड़े के उद्योग को बढ़ाने के लिये कितनी सहकारी समितियां संगठित की जा चुकी हैं और उनको कितना धन सहायतार्थ दिया जा चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आगरा शहर और ज़िले में चर्म शोधन विकास के लिये करीब ५ समितियां हैं जिनको विभिन्न समय पर विभिन्न ऋण और अनुदान दिये गये हैं। उनकी धनराशि इस प्रकार है—

		ऋण	अनुदान
		रु०	रु०
कागरौल	..	५ हजार	१५ हजार
गांगनी	..	१० हजार	२० हजार
खटकपारा	..	५ हजार	२० हजार
सरामई	..	१० हजार	२० हजार
दीनहौली	..	५ हजार	१५ हजार

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस उत्तर में कहा गया है कि सामूहिक विकास एवं गहन विकास योजना के अन्तर्गत लोहारी, सिलाई, संगमरमर कार्य, दरी बनाने, काष्ठ कला तथा कांच के मोती बनाने की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यह शिक्षा किन-किन संस्थाओं में कहां कहां दी जाती है और इनमें कितने शिक्षार्थी हैं ?

श्री बनारसीदास—यह तो बतलाया गया है कि यह योजना वहां के कम्युनिटी प्रोजेक्ट अकोला खैरागढ़ के अन्दर वहां पर चल रही है और दरी बनाने और काष्ठ कला का और और उद्योग वहां पर चलाये जा रहे हैं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह योजना घाटे में चल रही है अथवा मुनाफे में ?

श्री बनारसीदास—यह जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है घाटे और मुनाफे का कोई प्रश्न नहीं । यह तो प्रशिक्षण है ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सहकारी समितियों को अनुदान दिया गया है चमड़े के उद्योग को बढ़ाने के लिए उसके सम्बन्ध में यह भी जानने का प्रयास किया है कि वह लाभ पर चल रही हैं या घाटे पर ?

श्री बनारसीदास—जी हां । जहां पर हमारे प्रदेश में यह टैनरीज कायम की गई हैं जैसा उत्तर में बताया है गवर्नमेंट ने उसके लिये ऋण दिया है । इससे वहां के जो टैनर्स हैं उनको पूंजी मिलती है और उसके बाद में वर्किंग से देखा गया है कि प्रायः टैनर्स की आय ड्यौढ़े से दूनी तक हो गई है और जो खाल खराब हो जाया करती थी उसका भी मूल्य अधिक मिलने लगा है । यह योजना बड़ी सफल साबित हुई है ।

*२१—श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच)—[हटा दिया गया ।]

गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग लखनऊ में हरिजन कर्मचारी न होने पर आपत्ति

*२२—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग में सन् १९५५ तथा १९५६ में कितने क्लर्क, कुली तथा चपरासी नौकर रखे गये ?

श्री बनारसीदास—नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में सन् १९५५ से अब तक कुल १९ क्लर्क, ३ कुली तथा ३ चपरासी नौकर रखे गये हैं ।

*२३—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार बतायेगी कि उनमें कितने हरिजन लिये गये ?

श्री बनारसीदास—इन स्थानों पर कोई भी हरिजन नौकर नहीं रखा गया है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह नियुक्ति डाइरेक्ट डिपार्टमेंट द्वारा की गई अथवा इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा ?

श्री बनारसीदास—यह नियुक्तियां तो वहां विभाग के द्वारा की गईं लेकिन यह तमाम प्रार्थना-पत्र इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा मांगे गये और इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज ने किसी भी हरिजन का नाम नहीं भेजा । इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज का कहना था कि कोई हरिजन उपयुक्त प्रार्थी नहीं था ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में नाम रजिस्टर कराने वाले हरिजनों ने सीधे मैनेजर ऐशबाग गवर्नमेंट प्रेस को भी प्रार्थना-पत्र दिया और उसकी कापी मंत्री महोदय को भी दी ?

श्री बनारसीदास—जैसा मैंने अभी निवेदन किया, इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज ने इन नियुक्तियों के बारे में कोई भी प्रार्थनापत्र हरिजनों का नहीं भेजा ?

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेन्ट प्रेस या इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज ने इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में अखबारों में कोई नोटिस भी निकाला था ?

श्री बनारसीदास—इसकी तो आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की जो नियुक्तियां हेड आफ डिपार्टमेंट्स करते हैं वह एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज को अपनी आवश्यकता की सूचना दे देते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज कौन-सा आधार बनाकर अपने पास आई हुई लिस्टों में से नाम भेजता है ?

श्री बनारसीदास—संबंधित विभाग अपनी आवश्यकता तथा उस नियुक्ति के लिये योग्यता लिख भेजते हैं एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज को। उनके यहां जो नाम रजिस्टर होते हैं प्रायः प्रायर्टी बेसिस पर होते हैं और उनको पहले भेजते हैं, उसमें साथ ही योग्यता का भी ध्यान रखते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि ऐशबाग गवर्नमेंट प्रेस में १९५५-५६ में की गयी कुलियों और चपरासियों की नियुक्तियों में १८ प्रतिशत हरिजन को स्थान देने का ध्यान रखा गया ?

श्री बनारसीदास—जैसा बताया गया, १९५५-५६ में जो नियुक्तियां हुईं उनमें एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज ने कोई नाम नहीं भेजा। यदि हरिजनों का नाम भेजा जाता तो अवश्य वह लिये जाते।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज से हरिजनों के नाम न भेजने का सरकार को नोटिस कब मिला और सरकार कोई ऐसा बन्दोबस्त कर रही है कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से १८ प्रतिशत जो हरिजनों की जगह है उन स्थानों की पूर्ति की जाय ?

श्री बनारसीदास—इस सम्बन्ध में तो गवर्नमेंट के आदेश हैं, अवश्य उनके अनुसार प्रयत्न किया जायगा।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज को इस तरह की हिदाय भेजने की मेहरबानी करेगी कि हरिजनों के १८ प्रतिशत का ध्यान रख करके नाम भेजें ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार के आदेश तो सभी विभागों को गवर्नमेंट के द्वारा दि ना चुके हैं और एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज के पास अगर कोई ऐसे नाम हों तो अवश्य उसको भेज चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जैसा सर ने बताया कि हेड आफ डिपार्टमेंट ने अप्वाइंटमेंट किया है, तो जिन लोगों का अप्वाइंट किया है वह सब एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा भेजे हुये नामों का किया है या किसी बाहर भी किया ?

श्री बनारसीदास—ये सब एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के द्वारा ही भेजे हुए नाम

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा बतलायेंगे कि जिस वक्त ये उम्मीदवार लिये गये तो एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से यह भी र किया गया कि वहां पर हरिजनों के नाम हैं या नहीं ?

श्री बनारसीदास—जब नियुक्तियां होती हैं तो वह तो एम्प्लायमेन्ट एक्सचे अपनी जरूरियात भेज दी गयीं। वहां से जो नाम भेजे गये उसके बाद कोई आवश्यकत महसूस हुई कि किसका नाम भेजा किसका नहीं भेजा।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों की शंका को समझते हुए एम्पलायमेंट एक्सचेंज ने जो नाम भेजे हैं उसकी इनक्वायरी करायेगी कि वहां हरिजनों के नाम थे और तिस पर भी नहीं भेजे गये ?

श्री बनारसीदास---अवश्य इस सम्बन्ध में एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज से मालूम किया जायगा कि क्या कोई हरिजन उम्मीदवारों के नाम भी रजिस्टर्ड थे।

*२४--श्री रामदुलारे मिश्र (अनुपस्थित)---[२४ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

एस० बी० शुगर मिल, बिजनौर के सम्बन्ध में पूछताछ

*२५--श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि सन् १९५५-५६ में एस०बी० शुगर मिल, बिजनौर में कितना गन्ना पेरा गया, उससे कितने मन चीनी तैयार हुई और उसके कितने दाम किसानों को दिये गये ?

श्री फूलसिंह---पिराई सीजन १९५५-५६ में एस० बी० शुगर मिल, बिजनौर ने ६२.७७ लाख मन गन्ना पेरा, ६.०९ लाख मन चीनी तैयार की और अगस्त सन् १९५६ के अन्त तक किसानों को उनके गन्ने के मूल्य में से ७९.८४१ लाख रुपये का भुगतान किया।

*२६---श्रीमती चन्द्रवती---क्या नियोजन मंत्री यह बतायेंगे कि इस वर्ष (१९५५-५६) में उक्त मिल के कुल लाभ में से कितना रुपया बोनस का दिया गया ?

श्री फूलसिंह---अभी कोई बोनस नहीं दिया गया है क्योंकि यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्रीमती चन्द्रवती---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो शेष भुगतान का धन है वह कब तक मिलेगा ?

श्री फूलसिंह---यह अगस्त तक का है। इसके बाद सम्भव है कुछ बढ़ गया हो। साथ ही केन कमिश्नर ने सार्फ़ीफिकेट जारी कर दिया है और जिलाधीश को हिदायत कर दी है कि वह वसूल करे।

श्रीमती चन्द्रवती---क्या सरकार एस०बी० शुगर मिल, बिजनौर को खरीदकर उसका प्रबंध करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---खरीदने का सवाल तो अभी सरकार के सामने है नहीं। सरकार का रुपया अवश्य इस फैक्टरी के ऊपर बाकी है। यदि रुपये की अदायगी नहीं होगी तो फैक्टरी नीलाम होगी और उस समय जो भी भाई लेना चाहेंगे ले सकेंगे और यदि सरकार चाहेगी तो ले सकेगी।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शुगर मिलों के बोनस के सम्बन्ध में जो कमेटी बनी है, उसके तहत में क्या यह मिल भी आती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बोनस तो जहां तक शुगर मिल के मजदूरों का सवाल है तो वह सारे बोनस का प्रश्न है और जहां तक मैं जानता हूं कि अगर वह इस कमेटी के तहत में आयेगी तो यह भी आयेगी।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या सरकार को इस वर्ष की हालत से विदित है कि मशीन निकाल ली गई हैं जबकि लीज पीरियड शुरू हुआ है तो गन्ना पेरने के लिये मशीनों की कमी है तो इसके सम्बन्ध में सरकार शीघ्र कदम उठाने का प्रबंध करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ मशीनों के सम्बन्ध में मेरे पास इत्तिलाअत आई थीं और मैंने केन कमिश्नर से बातें की थीं। वहां वह मशीन थीं जिन्हें लीज होल्डर ने स्वयं लगाया था। वह कुन्दनलाल जी थे और वह अपनी मशीनें ले गये हैं और जिनको अब यह लीज हुई है वह मशीनें लगा रहा है। इसलिये मैं नहीं समझता कि इसके चलने में अब कोई दिक्कत होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सेस का कितना रुपया बाकी है और उसको वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सेस का रुपया सारी मिलों पर बाक़ी है, क्योंकि हाई कोर्ट में एक रिट मूव हो गया है और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। मुक़द्दमा हाई कोर्ट के सामने है। बहस वगैरह हो गई है, लेकिन जजमेंट रिज़र्व कर लिया है जब निर्णय हो जायगा कि हमारा कानून वेलिड है तो जिलाधीश जो तरीका सेस वसूल करने का है उसे वह बरतेगा।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगर्चे यहां पर बद इंतजामी है तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से लिख कर अथराइज्ड कंट्रोलर क्यों नहीं मुकर्रर करा लेती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अथराइज्ड कंट्रोलर का विषय केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। जब कोई बदइंतजामी होती है तो प्रादेशिक सरकार अवश्य केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित कराती है। लेकिन यहां बदइंतजामी का सवाल उठता नहीं। हाई कोर्ट लीज पर इस फैक्टरी को देता है। अब यह फैक्टरी लीज पर दूसरे व्यक्ति को दी गई है जो पुराने लीज होल्डर का भाई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी इस फैक्टरी के ऊपर सरकार का कुल मिला कर कितना बकाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वक्त मुझे फ़ीगर तो याद नहीं है। माननीय सदस्य सूचना मांगें तो मैं उन्हें दूंगा।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो मिल लीज आउट होती है तो क्या कोई ऐसी रुकावट है, जो उनके भाइयों के अलावा और कोई नहीं ले सकता ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह फैक्टरी चार, पांच भाइयों की है और उनमें कुछ ऐसा समझौता है कि एक पीरियड के लिये एक भाई टेंडर देता है, और लोग भी देते हैं और हाई कोर्ट जिनका टेन्डर ज्यादा का होता है उनको लीज पर दे देता है। वैसे इस फ़ैक्टरी की ओनरशिप ५, ६ भाइयों की है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मिल की क्रशिंग कैपेसिटी क्या है और क्या यह अपनी क्रशिंग कैपेसिटी के अनुसार हर साल गन्ना पेर लेती है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय मैं यह सूचना देने में तो असमर्थ हूं। इतना जानता हूं कि यह फ़ैक्टरी शायद एक हजार टन से ज्यादा की नहीं है और ज्यादातर हमारी फ़ैक्टरियां ३०, ३५ लाख मन गन्ना पेरती हैं। इस साल गन्ना चूंकि ज्यादा रहा है तो कदाचित उस मात्रा से भी ज्यादा गन्ना इस फैक्टरी ने पेरा है।

श्री राजनारायण--हाईकोर्ट जब लीज देता है तो क्या सरकार स्वतः लीज लेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न उठता नहीं है। उन्होंने यह बताया है कि ४-५ भाइयों के बीच में लीज होता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस फ़ैक्टरी पर किसानों का कितना रुपया बाक़ी है ?

श्री फूलसिंह--अगस्त के अन्त में चार लाख रुपये के करीब बकाया था।

श्रीमती चन्द्रवती--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बोनस का कितना रुपया बाक़ी है और यह कब तक दिया जायगा ?

श्री फूलसिंह--बोनस का प्रश्न तो विचाराधीन है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हाईकोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि वही पांच भाई ही आपस में पट्टा लें ?

श्री फूलसिंह--श्रीमन्, यह प्रश्न तो केवल गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न तो प्रस्तुत हो गया है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं उत्तर में इस बारे में कहा था। उस पर यह पूरक प्रश्न पूछा गया है। तो इस पर प्रश्न तो हो सकता है, आप जवाब जो चाहें तो दें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्रीमती चन्द्रवती--क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठायेगी जिससे मजदूरों का बोनस शीघ्र ही मिल जाया करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक मजदूरों का बोनस दिलवाने का प्रश्न है, सरकार तो बराबर इस प्रयास में रही है कि वह मजदूरों को मिल जाय और इसी मसले को सुलझाने के लिये सरकार वह कमेटी नियुक्त कर रही है जिसके तत्वावधान में बोनस के प्रश्न पर मिल-मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि स्वतः विचार करके निर्णय करें।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ४ लाख रुपया काश्तकारों का बाक़ी है वह कब तक अदा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वैसे तो जिलाधीश को आदेश हैं कि वे मिलों से रुपया उनको दिलवायें और उसका प्रयास भी उसने किया है और कुछ रुपया बाक़ी था और उसको वे उत्तरोत्तर दिलाते रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह जो गन्ने का रुपया है वह या तो अब तक अदा हो गया होगा या अगले महीने तक अदा हो जायगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हाईकोर्ट ने जो सेस के बारे में निर्णय रिजर्व कर रखा है वह कब से कर रखा है और उसको डेलीवर करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आठ दस रोज हुये मुकदमे की बहस हुई और उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है। हाईकोर्ट जैसा भी जजमेंट सुनायेगा उसके बाद कार्यवाही होगी।

*२७—२८—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)--[७ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में गेहूं की सरकारी दूकानें खोलने की व्यवस्था

*२९—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में गल्ले की कमी के कारण भाव बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो क्या गल्ले की दूकान सरकार की तरफ से खुलने वाली हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। जौनपुर तथा अन्य पूर्वी जिलों में जहां सूखा अथवा बाढ़ के कारण भाव बढ़ गये हैं, सरकारी दुकानों द्वारा गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कहा-कहां दुकानें खुली हुई हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जौनपुर जिले में सात दुकानें हैं लेकिन वह कहां-कहां खुली हुई हैं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं तहसील में बरुणा, बसुही, गड़ई, घुड़सार नदियों में अत्यन्त बाढ़ आने के कारण वहां की सारी फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो क्या वहां भी कोई दुकान खुली हुई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दूकान खोलने के सिलसिले में जिलाधीशों को अधिकार दे दिये गये हैं कि जहां वे आवश्यकता समझें वहां दूकानें खुलवाने का प्रबन्ध करें। माननीय सदस्य यदि जिलाधीश का ध्यान इन स्थानों के सिलसिले में दिलवायेंगे तो अवश्य वहाँ जिलाधीश दूकानें खुलवाने का प्रबन्ध करेंगे।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दूकानों पर केवल गेहूं और चावल सप्लाई किया जाता है या मोटा अनाज भी सरकार देती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो हमारे पास गेहूं ही है। थोड़ा-सा चावल भी है और कहीं-कहीं वह भेजा जा चुका है। इसके अलावा मोटा गल्ला तो हमारे पास है नहीं। परन्तु अब ऐसी योजना हम बना रहे हैं कि इन आने वाले महीनों में जिन क्षेत्रों में कुछ मोटा गल्ला प्राप्त कर सकें तो प्राप्त कर के उन क्षेत्रों में उसे भिजवा सकें जहां कि मोटे गल्ले की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि यह जो गल्ले की दूकानें खुली हुई हैं वह केवल कस्बों में ही खुली हुई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी उत्तर में बताया कि जिलाधीशों को अधिकार दे दिया गया है कि वे इस प्रकार की दूकानें जिन-जिन क्षेत्रों में आवश्यकता हो खुलवायें। यदि उन्होंने कस्बों में आवश्यकता समझी हो तो कस्बों के खुलवा दें और अगर कहीं और आवश्यकता समझी हो तो वहां उन्होंने उन दुकानों को खुलवाया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोटे सस्ते गल्ले की दुकानें बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में, जो देहाती एरिया में पड़ते हैं उनमें, कब तक खुल जायंगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो मोटा गल्ला हमारे पास गोदामों में नहीं है। जब हमारे पास वह उपलब्ध हो जायगा तब हम उन दुकानों में उसे भेजने का प्रबन्ध करेंगे।

श्री राजनारायण—क्या सरकार के पास जौनपुर के अन्य स्थानों से भी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की मांग आई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यहां पर तो मेरे पास इस बात की सूचना नहीं है। जिलाधीश के पास इस बात की सूचना होगी कि किन-किन स्थानों से मांग आई है और यदि माननीय सदस्य उस सूचना को चाहेंगे तो मैं जिलाधीश से उसे मंगवा कर उनके सामने उसको प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जौनपुर जिले में जिस समय यह दुकानें खोली गईं उस समय गल्ले का अधिकतम भाव क्या था?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न साफ नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जौनपुर में गल्ले का भाव बढ़ने के कारण यह दूकानें खोली गई हैं। तो जिस समय यह दूकानें खोली गईं उस समय गल्ले का बढ़ा हुआ भाव क्या था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि आप नोटिस देंगे तो सूचना मंगा दूंगा। मेरे पास इस समय सूचना नहीं है कि कितना भाव वहां गल्ले का हो गया था।

काशीपुर, जिला नैनीताल में अस्पताल के लिए एकत्रित धन

*३०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि काशीपुर, जिला नैनीताल में एक बड़े अस्पताल के निर्माण-हेतु जनता ने काफ़ी धन एकत्र कर लिया है? अगर हां, तो सरकार इस अस्पताल के निर्माण-हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बनारसीदास—जी हां। सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि काशीपुर स जनता द्वारा कितने धन के एकत्र किये जाने की सूचना सरकार को है?

श्री बनारसी दास—८० हजार रुपये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि यह ८० हजार रुपये एकत्र हुए करीब दो साल हो चुके हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दो साल हुए या डेढ़ साल हुए, ठीक समय के बारे में तो म चर्चा नहीं कर सकता लेकिन यह सत्य है कि यहां अस्पताल बनाने के सिलसिले में मैंने श्री भट्ट जी जो वहां के एम० एल० ए० हैं उनसे निवेदन किया था क्योंकि वे चाहते थे कि वहां स्त्रियों और पुरुषों का एक कम्बाइन्ड अस्पताल बनाया जाय और वह आधुनिक ढंग का हो। उस सिलसिले में मैंने कहा कि वे सवा लाख रुपये स्वयं एकत्रित करें और वहां की जनता द्वारा एकत्रित करायें और बाक़ी कुछ रुपया वहां का म्युनिसिपल बोर्ड दे और एक लाख रुपया इस अस्पताल के बनाने के सिलसिले में देने के लिये सरकार स्वयं प्रबन्ध करेगी। अभी तक ८० हजार रुपया इकट्ठा हो सका है। मेरी तरफ से यह आग्रह है कि सवा लाख रुपया हो जाय तब सरकार एक लाख रुपया लगा कर करीब ढाई लाख रुपये का अस्पताल बनायेगी। जो अभी तक योजना बनाई गई, जो टाउन प्लानर ने बनायी और पी० डब्ल्यू० डी० विभाग द्वारा बनायी गयी वह साढ़े चार लाख रुपये का है और साढ़े चार लाख रुपया हमारे बजट में नहीं है। इसलिये प्रार्थना यह है कि उन लोगों से जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है कि वह सवा लाख रुपये इकट्ठा करें और वहां की नगरपालिका से कुछ रकम दिलवायें तब सरकार १ लाख रुपये अपने बजट में से निकाल कर ढाई लाख रुपये का एक छोटा-सा कम्बाइन्ड अस्पताल बना सकेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि ८० हजार रुपये की धनराशि के अलावा कुछ धनराशि के वादे भी मिल चुके हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है।

देवरिया जिले में लगे हैन्ड पम्प

*३१—श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५६ में कितना रुपया देवरिया जिला की प्रत्येक तहसील को हैन्ड पम्प के लिये सबसिडी देने के लिये दिया गया है ?

श्री फूलसिंह—कोई निर्धारित धन इस काम के लिये देवरिया जिले को सरकार से नहीं दिया गया है।

*३२—श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला में विकास योजनान्तर्गत कितने हैन्ड पम्प तहसीलवाइज अब तक लग चुके हैं ?

श्री फूलसिंह—तहसील-वाइज लगाये गये हैन्ड पम्प की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	तहसील			
	देवरिया	हाटा	सलीमपुर	पड़रौना
१९५३–५४ ..	२	..	..	..
१९५४–५५ ..	१७	१५	३४	५
१९५५–५५ ..	६७	७०	६६	१७३
योग ..	८६	८५	१००	१७८

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि हैन्ड पम्प जो जिले में लगाये गये हैं वह कहां जिले में लगाये गये हैं और कैसे लगाये गये हैं और वह रुपया जो व्यय हुआ है वह किस विभाग ने व्यय किया है ?

श्री फूलसिंह—प्लानिंग कमेटी के पास जो रुपया होता है उसमें सेल्फ हेल्प योजना के अन्तर्गत प्लानिंग कमेटी ऐसा रुपया मंजूर करती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार हैन्ड पम्प लगाने की आवश्यकता को देखते हुए कोई धन निर्धारित करने का विचार कर रही है ?

श्री फूलसिंह—हैंड पम्प लगाने की आवश्यकता भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न हो सकती है। इसलिये अलग से निर्धारित करना ठीक नहीं होगा। प्लानिंग कमेटी को अधिकार है कि जिसको वह चाहे रुपया दिलवा सकती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पम्प देवरिया जिले में लगाये गये हैं उन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राजेश्वरलाल—क्या सरकार के पम्प लगाने की जो व्यवस्था है उस पर अधिक लागत को देखते हुए इस बात का आदेश देगी कि जिले की आवश्यकता के अनुसार पाइप जो लगाये जायं वह वहां के उच्चाधिकारियों की स्वीकृति से लगाये जायं ?

श्री फूलसिंह—इस प्रश्न को माननीय सदस्य प्लानिंग कमेटी में उठायें तो अच्छा होगा।

बुलन्दशहर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खुलने वाले उद्योग

*३३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बुलन्दशहर जिले में कौन-कौन से छोटे व बड़े उद्योग खोलने का सरकार विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास—दूसरी पंचवर्षीय-योजना-काल में बुलन्दशहर जिले में विभिन्न उद्योगों को विकसित किया जायगा जिसमें पात्र कला उद्योग, चूड़ी व कांच उद्योग, चर्म कला और सहकारी समितियों का संगठन मुख्य है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खोले जायंगे जिनके स्थानों का निर्णय जिला नियोजन समिति के परामर्श से किया जायगा।

बुलन्दशहर जिले में उद्योगों के लिए सहायता

*३४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बतायेगी कि १९५५-५६ में बुलन्दशहर जिले में किस उद्योग को चलाने के लिये सरकारी सहायता दी गई और कितनी-कितनी ?

श्री बनारसीदास—१९५५-५६ में इस जिले में जिन उद्योगों को जो आर्थिक सहायता दी गई उसका विवरण यों है—

नाम उद्योग	आर्थिक सहायता		
	रु०	आ	पा०
१—पात्रकला	३,०००	०	०
२—कांच के मोती	१,५००	०	०
३—ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों की धुलाई	२,०००	०	०
४—आयुर्वेदिक दवायें	४,५००	०	०
५—हस्तकर्घा	३०,६३०	१३	३

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से विभिन्न उद्योग हैं जिनके लिये शिक्षण और उत्पादन केन्द्र जिले में खोले जायंगे ?

श्री बनारसीदास—जैसा कि वहां पर खुर्जा पौट्री को डेवलपमेंट करने के लिये लोगों को शिक्षा दी जायगी और उसके बाद उनको सहायता भी दी जायगी और आबाद होने के लिये टेनरी के काम की शिक्षा वहां पर दी जायगी और उनको कायम किया जायगा। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो कुटीर और गृह उद्योग हैं उनको निश्चित किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बुलन्दशहर जिले में जेवर के दरी और कालीन और जहांगीराबाद के छपाई के उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—वहां इस बात का प्रयत्न किया गया कि जेवर और जहांगीराबाद में सहकारी समिति बनायी जाय जो उन कार्यों का विकास करें और आशा की जाती है कि जल्दी ही वहां समिति बन जायगी और उसके बाद प्रयत्न किया जायगा कि इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय।

खीरी जिले के धौरहरा कलां कस्बे की कच्ची शराब की भट्ठी

*३५—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कस्बा धौरहरा कलां, तहसील निघासन, जिला खीरी में कच्ची शराब की भट्टी कितने दिनों से चल रही है ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—यह कच्ची भट्ठी ५० वर्ष से पहले से चल रही है ।

*३६—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या यह सत्य है कि जिलाधीश खीरी ने पिछले वर्ष शराब की भट्ठी कस्बे के बाहर ले जाने का आदेश दिया था ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

*३७—श्री जगन्नाथप्रसाद—यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार इस भट्ठी को कस्बे से हटाये जाने के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी तथा जिस नियम के अन्तर्गत भट्ठी हटाई गई उसका उल्लेख करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या सरकार इसकी पुनः जांच कराने की कृपा करेगी, क्योंकि यह उत्तर 'जी नहीं' ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सूचना दे रहे हैं ।

*३८—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[२४ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

लोनी ब्लाक, जिला मेरठ में सीमेंट तथा कोयले का वितरण

*३९—श्री तेजासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लोनी ब्लाक जिला मेरठ को १९५४-५५ और १९५५-५६ में कितना सीमेंट तथा भट्ठों के लिये कोयला मिला और उनका वितरण किस तरह किया गया ?

श्री फूलसिंह—लोनी ब्लाक, जिला मेरठ को १९५४-५५ में २,००० बेग और १९५५-५६ में १,९०० बेग सीमेंट मिला । इसका वितरण डिप्टी प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव अफसर द्वारा हुआ और सामुदायिक कार्यों के लिये प्राथमिकता दी गई ।

भट्ठों के लिये कोयला १९५४-५५ में ८३ बैगन और १९५५-५६ में ९१ वैगन मिला । इसमें से चार प्राइवेट भट्ठों को १९५४-५५ में २२ वेगन और १९५५-५६ में २४ वैगन दिया गया और कोआपरेटिव के चार भट्ठों को १९५४-५५ में ६१ वैगन और १९५५-५६ में ६७ वेगन कोयला दिया गया ।

श्री तेजासिंह—प्रश्न के पहले भाग में सीमेंट के १८ सौ कट्टे दिये गये हैं, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से पंचायती कामों के लिये कितने और लोगों को नि कामों के लिये कितने दिये गये ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो ब्योरा मंगा दिया जायगा ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जितना कोयला दिया गया क्या उतने के ईंटें बन गये हैं और वह कैसे-कैसे डिसपोज आफ किया गया ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

गाजियाबाद में तहसील-स्तर पर विकास मेला

*४०—श्री तेजासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद में तहसील स्तर पर जो विकास मेला हुआ था उस पर कितना खर्च हुआ और वह खर्चा किस तरह पूरा किया गया ?

श्री फूलसिंह—तहसील स्तर पर लगने वाले विकास मेले पर कुल खर्चा १३,९९४ रु० ७ आने हुआ । खर्चा नगरपालिका गाजियाबाद व अन्य लोगों द्वारा दिये गये चन्दे से पूरा किया गया ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका से कितना रुपया लिया गया और नियोजन विभाग से कितना दिया गया और कितना चन्दा हुआ ? क्या वह तमाम रुपया वसूल हो चुका है या अभी बकाया है ?

श्री फूलसिंह—लगभग १४ हजार में से ८,९७० रु० २ आ० ९ पाई वसूल हो चुका है, ५०४४ रुपया ४ आना ३ पाई बकाया है । इसमें से ५ हजार गाजियाबाद बोर्ड का है, बी०डी० ओ० द्वारा ५०० रुपया और प्लानिंग कमेटी द्वारा ५०० रुपया दिया गया ।

श्री तेजासिंह—यह जो रुपया बकाया वसूल होने वाला है क्या उसका यह मतलब है कि बिल अभी पेंडिंग पड़े हुए और अदा नहीं किये गये, उनके देने की जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री फूलसिंह—जाहिर है कि बिल पेंडिंग पड़े ही होंगे । जिन्होंने उसको खर्च किया होगा उन्हीं पर उनकी जिम्मेदारी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जो गाजियाबाद में तहसील स्तर पर विकास मेला हुआ इसके हेतु नियोजन विभाग का कोई इस तरह का आदेश है कि इससे अधिक रुपया सरकारी ग्रान्ट के रूप में न दिया जाय ?

श्री फूलसिंह—वह तो जैसा मैंने अभी पढ़कर सुनाया उसमें से अधिकांश रुपया लोगों के कंट्रिब्युशन का है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के नियोजन विभाग ने इस प्रकार के तहसीलवार विकास सम्मेलनों के लिये कोई निश्चित धनराशि रखी है कि इससे अधिक विकास सम्मेलनों पर नहीं खर्च किया जायगा ?

श्री फूलसिंह—जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा तो कोई आदेश नहीं है, लेकिन चूंकि रुपया विकास समिति की तरफ से ही खर्च होता है तो वे खुद इस बात का ध्यान रखते हैं कि जरूरत से ज्यादा रुपया इस काम में खर्च न करें ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि वहां के लोकल बाडीज और ब्लाक्स तथा प्लानिंग कमेटी ने जो रुपया दिया है उसके अतिरिक्त और ऐसे कितने इनडिविजुअल व्यक्ति हैं जिन्होंने चन्दे का रुपया दिया है ?

श्री फूलसिंह—चन्दा देने वाले १४ व्यक्ति मालूम होते हैं कुछ संस्थाएं भी हैं, कुछ व्यक्ति भी हैं।

श्री राजनारायण—तो क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वे १४ व्यक्ति जिन्होंने चन्दा दिया है उन्होंने किसी संस्था का पैसा लेकर दिया है या उन्होंने अपने पास से चन्दा दिया है ?

श्री फूलसिंह—अब यह तो नहीं कह सकता। लेकिन जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने पास से ही पैसा दिया होगा।

*४१-४३—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)—[७ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा के चीरघर में आई लाशें

*४४—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा के चीरघर में मई, जून तथा जुलाई, सन् १९५६ में कितनी लाशें आईं उसमें कितनी घातक अस्त्रों से संबंधित थीं ?

श्री बनारसीदास—गोंडा के चीरघर में मई, जून तथा जुलाई १९५६ में निम्नलिखित लाशें आई थीं, इनमें से घातक अस्त्रों से संबंधित लाशों की संख्या भी दी जाती है—

माह	कुल लाशें	घातक अस्त्रों से संबंधित
मई	१५	६; ४ धारदार अस्त्रों से, २ बन्दूक से
जून	१०	२; २ धारदार अस्त्रों से
जुलाई	१५	७; ५ धारदार अस्त्रों से, २ बन्दूक से

श्री बलदेवसिंह (गोंडा)—क्या यह सही है कि घातक अस्त्रों द्वारा चीरघर में आये मृतकों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबिले में अधिक है ? यदि हां, तो सरकार उसकी रोकथाम के लिये क्या कर रही है ?

श्री बनारसीदास—ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। सन् १९५४ के अन्दर घातक अस्त्रों की लाशें क्रमशः इन महीनों के अन्दर २,२,५ आयीं और सन् १९५५ में घातक अस्त्रों की लाशें क्रमशः ५,३,२ आयीं। तो यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इन महीनों का पिछले सालों का टोटल बतलायेगी कि कुल कितनी मृत्युएं घातक अस्त्रों से हुई थीं ?

श्री बनारसीदास—सन् १९५४ में कुल ११७ लाशें आने की सूचना है। जिनमें से ३९ घातक अस्त्रों से, ४७ और अस्त्रों से और ३१ अन्य कारणों से और सन् १९५५ में कुल १२३ लाशें थीं जिनमें ३९ घातक अस्त्रों की थीं और सन् १९५६ के अप्रैल तक कुल ४१ लाशें आयी थीं।

नोट—तारांकित प्रश्न ४४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

लखनऊ का कालरा वेक्सीन केन्द्र

*४५—श्री तेजप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कौलरा वेक्सीन (Cholera Vaccine) तैयार करने के कितने केन्द्र हैं और वे कहां पर स्थित हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश में कालरा वेक्सीन (Cholera Vaccine) तैयार करने के लिये सिर्फ एक केन्द्र है। वह प्रान्तीय स्वास्थ्य मंदिर में (Provincial Hygiene Institute, Medical College Ground, Lucknow) स्थित है ।

*४६—श्री तेजप्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कौलरा वेक्सीन सेक्शन में कितने सीनियर व जूनियर मेडिकल अफसर काम कर रहे हैं और उनकी भिन्न-भिन्न योग्यताएं क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कालरा वैक्सीन सेक्शन में एक सीनियर मेडिकल अफसर और एक जूनियर मेडिकल अफिसर कार्य करते हैं जिनकी योग्यतायें निम्नलिखित हैं ।

१—सीनियर मेडिकल अफसर

डा० अयोध्या सिंह दीक्षित एल० सी० पी० एण्ड एस० बम्बई, एल० पी० एच० उत्तर प्रदेश U.P. public health service इन्होंने सेन्ट्रल रिसर्च इन्सस्टीट्यूट कसौली, पंजाब, हाफकिन इन्सस्टीट्यूट बम्बई, किंग्स इन्सस्टीट्यूट गिन्डी, मदरास, पब्लिक लैबोरेटरी बंगाल तथा अन्य २ उत्पादक केन्द्रों में जैसे बंगाल फार्मेसिटिकल कम्पनी तथा बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी कलकत्ता में जाकर cholera vaccine manufacture में विशेष योग्यतायें प्राप्त की हैं। डा० दीक्षित लगभग २४ वर्ष से यही कार्य कर रहे हैं।

२—जूनियर मेडिकल अफसर

डा० यशोदा नन्दन विभव, एल० सी० पी० एन्ड एस० बम्बई, एल० पी० एच० कलकत्ता। इनको हाफकिन इन्स्टीट्यूट बंबई और किंग्स इन्सस्टीट्यूट गिन्डी, मदरास भेजने का प्रश्न, जहां पर इस तरह की vaccine बड़े पैमाने पर तैयार होती है, विचाराधीन है । लगभग ९ मास से इस सेक्शन में कार्य कर रहे हैं। कुल सर्विस स्वास्थ्य विभाग में १६ वर्ष की है ।

*४७-४९—श्री गंगाप्रसाद—[७ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा सहकारिता की शिक्षा संस्था की स्थापना

*५०—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार ने सहकारिता की शिक्षा प्रदान करने के लिये ई शिक्षा संस्था फैजाबाद में खोली है ? यदि हां, तो उसका खर्चा कैसे वहन होता ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, यह संस्था रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने संस्थापित की । वे ही इसका खर्चा वहन करते हैं ।

*५१—श्री बलवन्तसिंह—इस संस्था के प्रिंसिपल के चुनाव के लिये क्या-क्या योग्यता रित की गई है और उसका चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुआ या किसी कमेटी ा, यदि कमेटी द्वारा तो इस कमेटी के सदस्य कौन-कौन थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रिंसिपल का चुनाव रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने किया है ।

५२—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि इस चुनाव में कितने और किस-योग्यता के लोग आये और कौन चुने गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सहकारी विभाग के भूतपूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार श्री सत्य प्रकाश इस पद पर नियुक्त हुए हैं ।

प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारी

*५३—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पी० आर० डी० के कितने कर्मचारी किन पदों पर काम कर रहे हैं और इनका ग्रेड क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रान्तीय रक्षक दल में कुल १,२३० वैतनिक कर्मचारी हैं। उनके पद तथा ग्रेड की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४६–२४९ पर)

*५४–५५—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—[७ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले के चर्खा केन्द्रों पर व्यय

*५६—**श्री राजवंशी** (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में चर्खा चलाने के कितने सेन्टर हैं और कुल कितने चर्खे चलते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—देवरिया जिले में २५ चर्खा केन्द्र हैं जिन पर ११,५५० चर्खे चलते हैं ।

*५७—**श्री राजवंशी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सेन्टर से सूत खरीदने की व्यवस्था क्या है और महीने में कितना सूत तैयार होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूत की खरीद श्री गांधी आश्रम द्वारा होती है और इन केन्द्रों पर महीने में लगभग ४० मन सूत का औसतन उत्पादन होता है ।

देवरिया जिले में करघों के सुधार का कार्य

*५८—**श्री राजवंशी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने, देवरिया जिले में कितने करघे हैं, इसकी सर्वे कराई है और उन करघों के सुधार कराने को सोचती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—देवरिया जिले में करघों के रजिस्ट्रेशन का कार्य हो रहा है । करघों में सुधार कराने के लिये सरकार प्रयत्नशील है ।

*५९–६१—**श्री रामअनन्त पाण्डेय** (जिला बलिया)—[७ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२—**श्री मुश्ताक अली खां** (जिला बदायूं)—[७ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६३—**श्री बसन्तलाल शर्मा** (जिला बहराइच)—[२४ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुदान

*६४—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि औद्योगिक विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कितने धन की मांग राज्य सरकार ने की और कितने धन की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार ने दे दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—औद्योगिक विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्य सरकार ने अंत में १८०२·७५ लाख रुपये की व्यवस्था की मांग की, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अधिकतम १६४३·३७ रुपये की स्वीकृति दी है ।

*६५—श्री गेंदासिंह—क्या पिछले वित्तीय वर्ष में साढ़े तीन करोड़ की रकम जिसे सरकार ने उद्योगपतियों को देने का निर्णय किया था उनके ऊपर भी इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

अमिला, जिला आजमगढ़ में अस्पताल की आवश्यकता

*६६—श्री झारखंडेराय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि अमिला (जिला आजमगढ़) में अस्पताल बनवाने के लिये क्या निर्णय किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष संभव नहीं है । अगले वर्ष इस बारे में पुनः विचार किया जायगा ।

सीमेंट, लोहा, इस्पात तथा कोयले पर से कंट्रोल हटाने की मांग

*६७—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि कितने articles की बिक्री पर control है और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सीमेन्ट, लोहा इस्पात तथा कोयले की अत्यधिक कमी है अतः इनकी बिक्री पर नियंत्रण है ।

*६८—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार इन articles पर से कन्ट्रोल हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सीमेन्ट, लोहा इस्पात तथा कोयले पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है । चूंकि इन वस्तुओं की अत्यधिक कमी है, अभी इन पर से नियंत्रण हटाने का विचार नहीं है ।

---

१ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न २७ व २८ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब नियोजन विभाग के मंत्री जी अपने प्रश्नों के उत्तर में संशोधन उपस्थित करेंगे ।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—१ अगस्त, १९५६ को श्री बसन्तलाल के तारांकित प्रश्न संख्या २७ व २८ के अनुपूरक प्रश्नों में पूछा गया था कि "क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन में दो सरकारी अस्पताल हैं तथा इस भारी कमी को देखते हुए कालपी और जालौन में महिला अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ?" उत्तर में श्री बसन्त लाल को बतलाया गया कि "अभी तक सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है" । वास्तविक स्थिति इस प्रकार है—

"जालौन में महिला चिकित्सालय की स्थापना का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है । चालू वित्तीय वर्ष में कालपी में महिला चिकित्सालय की स्थापना के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।"

प्रदेश की चीनी मिलें १५ अक्तूबर तक न चलाने तथा अतिवृष्टि से गन्ने की बर्बादी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथमल्ल जी का था जो कल पढ़कर सना दिया गया था और मैंने कहा था कि मैं आज उसका निर्णय दूंगा । वह यह था कि

[श्री अध्यक्ष]

"राज्य सरकार ने अब तक प्रदेश की चीनी मिलों को १५ अक्तूबर से चलाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। यद्यपि ऐसा निश्चय भी शुगर केन बोर्ड द्वारा पहले हो गया था। राज्य के पूर्वी जिलों में गन्ना अतिवृष्टि के कारण सूख रहा है और पश्चिम में पेरा नहीं जा सकेगा, इसका भय है, लाखों किसानों के करोड़ों मन गन्ना के बर्बाद हो जाने का भय है। ऐसी गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि चूंकि आज बजट के अनुदानों के ऊपर विचार होने वाला है और हर एक अनुदान पर विवाद भी होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह विषय ऐसा है कि जिसका जिक्र उस विवाद म हो सकता है और मंत्री जी उस पर उत्तर दे सकते हैं। इस पर भी विषय महत्व का होने के कारण यदि मंत्री जी कुछ सूचना अभी इस सम्बन्ध में देना चाहें तो दे देंगे लेकिन जिस वक्त उनका अनुदान आयेगा उस वक्त माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा सकते हैं और मंत्री जी अपने विचार बता सकते हैं। इस समय मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करने को अनुमति नहीं देता क्योंकि मैं इसकी अर्जेन्सी इसलिये नहीं समझता क्योंकि यह विषय अभी बजट में विवाद के लिए आ ही जायगा।

स्टेट होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा प्राइवेट छात्रों की परीक्षा लेने से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण का है जो इस प्रकार है—"स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड अपने हाल के एक आदेश द्वारा २६ नवम्बर, सन् ५६ को एक परीक्षा लेने जा रही है जिसमें प्राइवेट छात्र सम्मिलित होंगे। बोर्ड द्वारा प्राइवेट छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करने की व्यवस्था से तमाम मेडिकल साइंस जानने वालों में असन्तोष का वातावरण पैदा हो गया है। अतः सदन उपर्युक्त विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह भी ऐसा ही विषय है जिस पर जब सम्बन्धित अनुदान विवाद के लिए उपस्थित होगा तो उस पर माननीय सदस्य राय जाहिर कर सकेंगे और यह ज्यादा महत्व का विषय भी प्रतीत नहीं होता, इसलिए अर्जेन्सी भी नहीं है। यदि कामरोको प्रस्ताव स्वीकार भी होता है तो भी उस पर विवाद ४ के बाद होगा, इस तरह से ४ बजे के पहले ही वह बजट में आ जायगा इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

अध्यापकों के आर्ट्स कालेज की परीक्षा में सम्मिलित होने पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक और कामरोको प्रस्ताव श्री रामसेवक यादव का है। वह इस प्रकार है कि "उत्तर प्रदेशीय सरकार के शिक्षा विभाग ने अपने एक आदेश द्वारा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों पर विश्वविद्यालय में आर्ट्स कालेज की परीक्षा में सम्मिलित होने में जो प्रतिबन्ध लगाया है उससे अध्यापकों में असन्तोष की हालत पैदा हो गई है और वातावरण क्षुब्ध हो गया है। अतः यह सदन सरकार की उपर्युक्त नीति पर विचार करने के लिए आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह विषय भी ऐसा है कि जो शिक्षा के अनुदान के उपस्थित होने पर आज ही उठाया जा सकता है। इसको भी मैं अनावश्यक समझता हूं और इसलिए इसकी मैं स्वीकृति नहीं देता।

गन्ना मिलें शीघ्र चलाने के सम्बन्ध में नियोजन मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय नियोजन मंत्री गन्ना मिलों के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि गन्ना मिलों को अक्तूबर मास में चलाने का विषय है यों तो इंडस्ट्रीज रेगुलेशन्स ऐक्ट के तहत में केन्द्रीय सरकार ही मिलों को कब चलाया जाय या न चलाया जाय, आदेश इत्यादि दे सकती है परन्तु यह समझते हुए कि केन ग्रोअर्स की समस्या एक बड़ी गम्भीर समस्या है, प्रान्तीय सरकार पिछले महीनों में केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार का आग्रह करती रही है, जैसा कि आग्रह उसने पिछले वर्ष भी किया था, कि मिलों को अक्तूबर के महीने से चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार गन्ना उत्पादक मिलों के मालिक यूनियन से मिल कर कोई ऐसी योजना बनायें जिससे कि मिलें अक्तूबर के आखिरी हफ्ते में अवश्य चल सकें। प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपनी राय इस विषय पर लिखकर भेज दी थी। केन्द्रीय सरकार ने उस राय पर, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, विचार किया है और केन्द्रीय केबिनेट ने अपने खाद्य मंत्री को कुछ अधिकार दिये हैं कि वह अब प्रान्तीय सरकार, मिल मालिकों, गन्ना उत्पादकों, कोआपरेटिव यूनियन्स और केन यूनियन्स से बातें करके कुछ ऐसी योजना बना लें जिससे मिलों का उन तारीखों से चलना प्रारम्भ हो जाय, जिनमें उनको चला कर काफी मात्रा में हम गन्ना पेरवा सकते हैं। अभी ४–५ रोज हुए केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री जब वे बिहार और बंगाल जा रहे थे, यहां से गुजरे थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी कुछ योजना बताई थी। हमने उत्पादकों के प्रतिनिधियों और कुछ मिलमालिकों को बुलाया और उनसे बात करके जो बातें तय हुई हैं वे हमने केन्द्रीय सरकार को भेज दी हैं। कल भी हमने केन्द्रीय सरकार के खाद्य मन्त्री से आग्रह किया था कि वह उस योजना के विषय में अपना निर्णय कल ही दे दें। उन्होंने वचन दिया था कि वह रात्रि तक मुझे इसकी सूचना देंगे। दुर्भाग्य से वह सूचना कल रात्रि तक नहीं आ पाई है। कल से मैंने फोन लगा रक्खे हैं। हमें आशा है कि उनका निर्णय उस योजना के विषय में आज सायंकाल तक आ जायगा और यदि वह निर्णय आ जायगा तो ऐसा संभव हो जायगा कि कुछ मिलें २५ अक्तूबर से चल सकें और इस तरह से उस समस्या के सुलझाने में हमारी मदद कर सकें जो समस्या ज्यादा गन्ना उत्पादन के कारण प्रदेश में आज है और जो उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं जानना चाहता हूं कि जो योजना परसों चार पांच रोज हुए तय हुई और जो केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गई वह योजना क्या है अगर जनहित में बतलाया जा सके तो अच्छा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह योजना जब स्वीकृत हो जायगी तो मैं उसे सदन के सामने प्रस्तुत कर सकूंगा।

हरिद्वार में गंगा की बाढ़ के सम्बन्ध में विवरण की मांग

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—आज अखबारों में निकला है कि हरद्वार में गंगा जी का पानी डेंजर प्वाइंट से २ फिट अधिक हो गया है और गंगा जी और अधिक चढ़ रही हैं। क्या माननीय मंत्री इस विषय में कुछ विवरण देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप केवल संक्षेप में कोई सूचना दे सकते हैं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—संक्षेप में यही सूचना दे सकता हूं कि जो माननीय मित्र ने अभी बतलाई है। कल मेरे पास यही इत्तला आई थी। आज शाम को हम वस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स से इत्तिला मंगायेंगे और कल इस पर एक स्टेटमेंट हो जायगा।

१९५६–५७ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान—संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत ८८,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय ।

विभिन्न अनुपूरक अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—जरा टाइम मुकर्रर हो जाय तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—तो कौन सी मांगें आप लेना चाहते हैं और उन पर कितना समय आप देना चाहते हैं, बता दें ।

श्री जगन्नाथमल्ल—मैं आइटम वाइज बता रहा हूं, अनुदान संख्या के हिसाब से नहीं। माल मंत्री जी के २ और २० एक साथ ले लिये जायं। समय ४५ मिनट रखा जाय।

सूचना मंत्री जी के आइटम नम्बर ४, ५ और २८ एक साथ ले लिये जायं। इस पर भी ४५ मिनट रखा जाय।

माननीय मुख्य मंत्री जी के आइटम नम्बर ७, ८, ९ और २१ एक साथ लिये जायं और इस पर भी ४५ मिनट रखा जाय।

नियोजन मंत्री जी के आइटम नम्बर १०, ११, १६, २२, २६, २७, २९ और ३१ एक साथ ले लिये जायं और इस पर भी ४५ मिनट रखा जाय।

शिक्षा मंत्री जी के ९–क और २४ यह दोनों एक साथ ले लिये जायं और स पर आध घंटा रख दिया जाय।

सभा के स्थगित होने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद आज ऐसी सूचना दी जाने वाली थी कि असेम्बली कब बन्द होगी।

श्री अध्यक्ष—इसको खत्म कर लें उसके बाद आप पूछ लें । मैं राह देख रहा था कि कोई पूछे। लेकिन उस वक्त किसी ने पूछा नहीं।

विभिन्न अनुपूरक अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—तो यह इस तरह से हुआ कि आइटम नम्बर २ और २० एक साथ ले लिये जायं और इनके लिए ४५ मिनट का समय रखा जाय ।

आइटम नम्बर ४, ५ और २८ एक साथ ले लिये जायं और इनके लिए ४५ मिनट का समय रखा जाय।

आइटम नम्बर ७, ८, ९ और २१ एक साथ ले लिये जायं और इनके लिए भी ४५ मिनट रखा जाय।

आइटम नम्बर १०, ११, १६, २२, २६, २७, २९ और ३१ एक साथ ले लिये जायं और समय ४५ मिनट रखा जाय।

आइटम नम्बर ९–क और २४ को साथ ले लिया जाय और इनके लिए आधे घंटे का समय रखा जाय।

इस तरह से साढ़े तीन घंटे हुए और समय चार घंटा है । तो बाकी थोड़ा हो समय रह जायगा। तो बाकी अनुदान पन्द्रह बीस मिनट में ले लिये जायंगे ।

मुझे थोड़ा सा ऐडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पांच-पांच मिनट हर एक में कम करना पड़ेगा तब जाकर यह पूरा होगा, क्योंकि हर अनुदान के निश्चित समय में कुछ बढ़ोत्री हो ही जाया करती है। तो यह रहा इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इसके साथ बोलने वालों के लिए भी तय हो जाना चाहिए कि प्रस्तावक के लिए कितना समय रहेगा और दूसरों के लिए कितना समय रहेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कटौती के प्रस्तावक के लिए सात मिनट काफी होंगे और दूसरों के लिए पांच मिनट यह समय रखा जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—मैं जानना चाहता हूं कि अनुदान संख्या २२ जो कृषि मंत्री का विषय है उसके लिए कितना समय रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह लिया ही नहीं गया है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह बाढ़ के लिए पानी के निकास के लिए है इसलिए यह आवश्यक है। इसके लिये समय होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये भी आप समय चाहते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो इसमें ऐडजस्टमेंट यह होगा कि मैं ५, ५ मिनट जो कम कर रहा हूं और इसके लिये १० मिनट दे दूं तो पूरा हो जायगा। इसके लिये १० मिनट दे दिये जायंगे।

बारावफात की छुट्टी के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष—कल माननीय मुख्य मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया था कि बारावफात १७ को है या १८ को और कब सदन फिर बैठेगा। इस सम्बन्ध में वह कृपा करके बता दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, हमारा तो यह ख्याल है कि १२, १३, १४ और १५ चार दिनकी छुट्टी होनी चाहिये और १६, १७ को सदन की बैठक होनी चाहिये। १८ को बारावफात की छुट्टी है और उसके बाद फिर सदन बैठेगा।

श्री अध्यक्ष—तो सदन १६ को फिर बैठेगा।

१९५६-५७ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—अध्यक्ष महोदय, जिन अनुदानों के लिये समय का प्रस्ताव नहीं है उनको पहले ले लिया जाय और पास कर दिया जाय। फिर बहस शुरू हो।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, पहले ये ले लिये जायंगे और फिर जो समय बचेगा उसमें मैं सब अनुदानों को ले लूंगा एक साथ।

श्री जगन्नाथमल्ल—अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन है। पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का अनुदान ले लिया जाय, फिर नियोजन मंत्री का ले लिया जाय और फिर माल मंत्री का लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—एक पेश हो चुका है। अब माननीय माल मंत्री २० नम्बर का आइटम भी पेश कर दें।

अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को, संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १५,००,००० रु० की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, यह जो ग्रान्ट नम्बर २ मैंने पेश की, इसमें २ हजार रु० की रकम गवर्नमेंट को देनी है जो गवर्नमेंट के खिलाफ डिक्री हो गई है उसके सिलसिले में है। और मालगुजारी वसूल करने वाले राजकर्मचारी जो तहसील में काम करते हैं, जिनको तहसील में रहना होता है उनके लिये फर्नीचर का प्रबन्ध करना पड़ता है और रात को भी उन्हें अक्सर काम करना पड़ता है तो रात को वे रोशनी में काम कर सकें अतः पेट्रोमैक्स लैम्प वगैरह देना पड़ता है। इसके लिये ५० हजार रु० फर्नीचर के लिये और १२,८०० रु० लैम्प आदि के लिये जरूरत है। यह महकमा अपनी बचत में से शायद कुछ निकाल लेगा इसलिये केवल १०० रु० की मांग की जा रही है।

मुजफ्फरनगर के खादर के इलाके में और रामपुर के कुछ इलाके में रेकार्ड और सर्वे आपरेशन करने के लिये १,८०,९०० रु० की जरूरत है। लेकिन यह भी रुपया बचत में से निकल आये इसलिये १०० रु० की मांग की जा रही है। अगर सर्वे और रिकार्ड आपरेशन हो जायगा तो गवर्नमेंट की मालगुजारी बढ़ जायगी और रिकार्ड भी ठीक हो जायगा। इस सूबे में जमींदारी विनाश कानून और बहुत सी योजनायें कार्यान्वित होने की वजह से कुछ हमारी तहसीलों में काम बढ़ गया है इसलिये हर जगह पर एक एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कानूनगो की आवश्यकता है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव कान्फ्रेन्स में भी इसके लिये बड़ी पुरजोर सिपारिश की गई थी। गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है और इसके लिये भी ८८,४०० रु० की जरूरत है, वह मांगा जा रहा है। तो यह मुझे अनुदान नम्बर २ के बारे में कहना था।

अब अनुदान नम्बर ३४ में १५ लाख रुपया मांगा जा रहा है। बदकिस्मती से इस साल भी हमारे सूबे में बड़ी भारी विपत्ति आयी है। प्रायः सारे सूबे में कहीं ज्यादा कहीं कम। तो १५ लाख रु० की और आवश्यकता फिलहाल महसूस हुई है उसके लिये गवर्नमेंट सदन के सामने दर्ख्वास्त लेकर आयी है। लेकिन जैसे आसार दिखाई दे रहे हैं मुमकिन है और रुपये की जरूरत पड़े और इस प्रकार की कोई सप्लीमेंटरी ग्रान्ट पेश हो। तो फिर मैं सदन के सामने दरख्वास्त लेकर आऊंगा। बस मुझे इस वक्त इतना ही अर्ज करना है। उम्मीद है सदन इसको मंजूर करेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २ में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और इसी प्रकार अनुदान संख्या ३४ में भी एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। श्रीमन्, इस अनुदान में माल विभाग के सम्बन्ध में जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के चार करोड़ से अधिक लोगों के जीवनयापन का जो एकमात्र सहारा है, इस विभाग में जो परिवर्तन, आमूल परिवर्तन होना चाहिए, मेरा यह विश्वास है कि यह सरकार करना चाहती नहीं है। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में मालगुजारी की वसूली का तरीका और खेतों की मालगुजारी नियत करने में बहुत बड़ा अन्तर है। इस सदन में इस तरफ के बैठने वाले सदस्यों ने ही नहीं बल्कि उधर के माननीय सदस्यों ने भी इस सरकार को कई बार सुझाव दिया है कि मालगुजारी खेतों की आमदनी के मुताबिक निश्चित होनी चाहिए और श्रीमन्, यह बहुत बड़ा सवाल है, मूल प्रश्न है। मेरा ख्याल है कि यदि सरकार इधर ध्यान देती है तो सरकार का और किसानों का बहुत बड़ा हित हो सकता है। श्रीमन्, जिन खेतों की पैदावार साल में तीन-तीन चार-चार बार होती है उन खेतों की मालगुजारी, सर्किल रेट बहुत कम है और उन खेतों की मालगुजारी, सर्किल रेट, जो साल भर में एक बार भी पैदावार नहीं दे पाते हैं, उनकी ज्यादा है।

मैं श्रीमन्, आपसे कहना चाहता हूं कि जो बाढ़पीड़ित एरिया है कछार का वहां की मालगुजारी श्रीमन्, १८ रु० एकड़ साल है और बहुत से ऊपर के खेत ऐसे हैं जिनकी मालगुजारी २ रुपया एकड़ है। यह जो सर्किल रेट का तखमीना है यह बहुत पहले का है,

बहुत पुराना है, अंग्रेजी राज्य का तखमीना है और जहां के जमींदार उस देहात के रहने वाले नहीं थे, वह दूर के रहने वाले थे। उन लोगों ने अपने फायदे के लिये बहुत ज्यादा सर्किल रेट निश्चित कराया और बहुत ज्यादा लाभ उठाया। मैं समझता हूं सरकार का ध्यान इधर जाना चाहिए और जब तक यह सर्किल रेट फिर से नहीं बनेगा खेतों की मालगुजारी उसकी पैदावार के मुताबिक निश्चित नहीं होगी, तब तक मेरा ख्याल है कि किसान जो गल्ला पैदा करता है, जो मेहनत करता है उसकी कमाई का पूरा फायदा वह नहीं उठा पायेगा। मेरा विश्वास है कि सरकार इस काम को अगर करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन सरकार करने में आनाकानी जाहिर करती है। श्रीमन्, एक सबसे बड़ी समस्या यह और है कि बहुत से ऐसे खेत हैं कि जिनकी मालगुजारी साल भर में एक फसल की निश्चित है। बहुत से ऐसे ताल तलैया हैं, हमारे यहां का ताल रतोप है, नरजा ताल है, ऐसे बहुत से ताल तलैया हैं जिनकी मालगुजारी रबी की लगाई गई है। अब बाढ़ आयी, खरीफ की सारी फसल समाप्त हो गई। अब रबी की हालत यह है कि उसकी बुआई नहीं हो सकती। अन्तिम अगहन में बोवाई होती है और फसल मारी जाती है। तो उस खेत की मालगुजारी जो पहले से निश्चित है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान इधर जाना चाहिए।

श्रीमन्, कागजात देही का इसमें जिक्र है, उसके लिए रुपये की मांग है। कागजात देही मेरा ख्याल है कि बहुत गड़बड़ है और जो मालमंत्री का पुराना पटवारी था उससे खराब हालत है लेखपाल की जो माल मन्त्री का बहुत प्यारा माना गया है। लेखपाल जानता कुछ नहीं है। कागज में पड़ताल करने का ढंग नहीं मालूम है और श्रीमन्, मुझे मालूम है कि लेखपाल बहुत से ऐसे हैं कि उन्होंने अभी परीक्षा पास भी नहीं की है और काम करते चले जा रहे हैं।

तीसरी बात यह है कि पुराने जमाने में पटवारी दो रुपया, एक रुपया, आठ आना लेकर भी इन्तखाब दे दिया किया करता था मगर आज का जो लेखपाल है श्रीमन्, वह एक-एक इन्तखाब का चालीस रुपया, पचास रुपया तक लेता है। मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी जरा इसकी भी जानकारी हासिल करें। हम लोगों को जानकारी है और उधर के बैठने वालों को भी जानकारी है कि लेखपाल इन्तखाब के देने में बड़ी गड़-बड़ी पैदा करता है। श्रीमन्, पड़ताल का जो तरीका है वह भी इस ढंग का है कि लेखपाल मौके पर जाता नहीं। लेखपाल गांव वालों से, जिनके खेत हैं उनसे पूछता भी नहीं। अधिक समय लेखपाल का तहसील में लग जाता है, कागज बनाने में और उसको ४ दिन का, १० दिन का मौका दिया जाता है खेतों की पड़ताल करने का। उसका नतीजा यह होता है कि वह गांव में अपने दोस्त के जरिये से उसके घर बैठ कर पड़ताल करता है और मैं कहूंगा कि पड़ताल में आजकल बड़ी गड़बड़ी है। २०–२० बरस से, १०–१० बरस से, ५५से, ५९से, ५६ से जिस खाते पर किसान का इन्दराज है और कोई दूसरा जोतता है तो बिना नोटिस दिये फैसला हो जाता है। जिमन ९ में वह कागज जाता है और फैसला अपने हक में कराने के लिए उसको दीवानी जाना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि उसके पास सैकड़ों रुपये रहे तो वह वहां जाय और जिमन ९ को खारिज कराये। मुझे पूरी जान-कारी है कि हजारों मुकदमे ऐसे हैं, दीवानी में जिनमें किसानों ने जिमन ९ के कारण अपने खेत को छोड़ दिया और घर बैठ गये हैं।

दुर्भाग्य से मालगुजारी के सम्बन्ध में जो तरीका है वह बहुत ही खराब है। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार मालगुजारी की वसूली को मुल्तवी का आदेश देती है तो तहसीलों में कोई उसको मानता नहीं है। तहसीलदार और कलेक्टर इस होड़ में लगे रहते हैं कि हमारी तहसील में ज्यादा से ज्यादा वसूली हो जाय। पुराना जमींदार जो तरीका अख्तियार किया करता था वही और उससे ज्यादा बदतर तरीका वह अख्तियार करता है। मंत्री जी का कुर्क अमीन और चपरासी। मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं कि किसानों को कुर्क-अमीन मुर्गा

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

बनाता है, खम्भे में बांधता है और कई घंटे तक बांधे रखता है और एकाएक उसकी बिना इत्तिला के बहुत से वारंट निकाल दिये जाते हैं। और सबसे बुरा काम यह हुआ है कि शिकमी किसानों की मालगुजारी बढ़ी। मेरा यह खयाल है कि शिकमी किसान अपनी मालगुजारी देने में असमर्थ है जबकि किसानों के गल्ले की कीमत दिन पर दिन घटती जा रही है और औद्योगिक सामानों की कीमत बढ़ती जा रही है। ऐसी अवस्था में आवश्यकता इस बात की है कि मालगुजारी वसूली के तरीके में आमूल परिवर्तन किया जाय और पैदावार और उसकी कीमत का लिहाज रखकर किया जाय।

दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। कल बाढ़ के सम्बन्ध में उसके बारे में कहूंगा, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि बाढ़ के सम्बन्ध में, दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में, जो मांग की गयी है वह बहुत कम मांग की गयी है। इससे मालूम हो रहा है कि सरकार सही माने में बाढ़ को, दुर्भिक्ष को कम करना नहीं चाहती है। श्रीमन्, यह जो आंकड़ा दिया गया है कितने मकान गिरे और दुकानों की कितनी कीमत हुई, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के उत्तर में जो जवाब मिला था उससे ये आंकड़े मिलते नहीं हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में कटाव के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। कटाव हमारे प्रदेश में बाढ़ का मुख्य कारण है और हजारों किसान आज बाढ़ से, नदी के कटाव से रोजी-विहीन और घर-विहीन हो गये हैं। मैं इस मौके पर जानना चाहूंगा कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर में घाघरा, राप्ती और गंगा की बाढ़ से, कटाव से, हजारों आदमी जो घर-विहीन हो गये हैं सरकार ने उनके लिए क्या किया है ?

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान ३४ में एक रुपये की कटौती पेश करता हूं इसलिए कि प्रस्तुत अनुदान जो है वह सप्लीमेंटरी अनुदान है और इस कारण पेश किया गया है कि इसमें कुछ ऐसे खर्चे आ गये हैं कि जिनकी सम्भावना पहले सरकार को नहीं थी, यदि मालगुजारी का शीर्षक के अनुदान संख्या २ को पढ़ें तो जहां तक मालगुजारी की उगाही करने का प्रश्न है मैं यह कह सकता हूं कि इसकी वसूली में जो पेट्रोमेक्स और जो फर्नीचर वगैरह का जिक्र किया गया है मैं समझता हूं कि यह ऐसी जरूरत थी, जिसको माल विभाग पहले ही से महसूस कर सकता था। यह मेरी समझ में नहीं आता है। मार्च के महीने में बजट पास होता है और चार महीने बाद ही यह आवश्यकता महसूस की जाती है। जहां तक मालगुजारी का सवाल है यह तो बहुत पुराना विषय है। इस तरह की चीज आज प्रस्तुत की जाय तो पता चलता है कि यह तो लापरवाही की एक हद है हम इसकी भर्त्सना करते हैं और यह चीज उचित नहीं है।

दूसरी चीज पैमाइश, बंदोबस्त और कार्यवाही तरमीम कागजात के बारे में है। यह बहुत जटिल प्रश्न है और काफी समय से प्रदेश के लोगों का, काश्तकारों का और विशेष रूप से इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस प्रश्न पर गया है। श्रीमन्, आपको याद होगा कि इस प्रदेश में सबसे पहले आजमगढ़ में तरमीम कागजात के सिलसिले में एक सत्याग्रह हुआ था और स्वयं सरकार जानती है कि हजारों और लाखों की तादाद में गल्तियां कागजात में हैं तो जब इस चीज की सम्भावना थी तो फिर यह समझ में नहीं आता है कि आज पूरक बजट के रूप में इसको रखना कहां तक उचित है।

तीसरी कागजात देही के बारे में रजिस्ट्रार कानूनगो आदि के संबंध में है। उनका भी प्रश्न उसी तरह का है और मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हूं और यह तो सदन का समय

नष्ट करने के समान है। श्रीमन्, जहां तक इस विभाग का सवाल है मालगुजारी का सिलसिला और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सवाल एक दूसरे से संबंधित है और इस प्रदेश के लिए जहां कि तमाम काश्तकार बसते हैं, उनके लिये यह एक महत्वपूर्ण विषय है और विभाग के बारे में मंत्री महोदय की जो राय हो और उनको इस विभाग के बारे में काफी जानकारी भी है और शायद उनको गर्व भी है कि यह महकमा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जहां तक हम लोग देखते हैं और जो देहातों की हालत है, वह हम ही जानते हैं। आप लेखपालों को ले लीजिये। श्रीमन्, तहसील में कागजात दुरुस्ती का मुकदमा चलता है, उसका फैसला हो जाता है लेकिन उसका अमलदरामद नहीं होता है। इस तरह से हजारों की संख्या में अमलदरामद नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि गरीब काश्तकार मुकद्दमे में पैसा खर्च करें और फैसला होने पर अमल दरामद नहीं होता है तो उनका पैसा बेकार जाता है। लेखपालों की आज वही हालत है जो पहले के पटवारियों के मजालिम थे।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बातें कर रहे हैं, माननीय वक्ता को तकलीफ सी हो रही है।

श्री रामसेवक यादव--श्रीमन्, जहां तक लेखपालों का सवाल है खयाल यह था कि पटवारियों के बाद इन नये लेखपालों में उचित सुधार होगा, लेकिन उन्होंने बड़ी गन्दगी पैदा कर दी है। श्रीमन्, खसरा और खतौनी के रेट पटवारियों के जमाने से बहुत बढ़ गये हैं। जैसे मंहगाई बढ़ती जाती है उसी तरह से यह भी बढ़ते जाते हैं। लेखपालों को लेखपाल न कह कर यदि लूट पाल कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमन्, यह इस महकमें का हाल है। मैं समझता हूं कि रेवेन्यू आफिसर्स के पास दो तरह का काम होता है। जैसे डिप्टी कलेक्टर के पास रेवेन्यू का कार्य होता है और मुकद्दमों के फैसले करने का कार्य होता है। इसलिए मुकद्दमों के फैसले करने का काम जुडीशियल आफिसर्स को दे दिया जाय और डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू का ही काम करें।

श्रीमन्, जहां तक दुर्भिक्ष का सवाल है, इतना ही निवेदन करूंगा कि इसमें जो सहायता दी जाती है इसमें इतना मान लें कि इस काम को जो सम्पादित करता है वह लेखपाल है जहां के लिये रिपोर्ट देता है कि फसल अच्छी हुई है तब दी जाती है वरना न डिप्टी कलेक्टर देखने वाला है और न कोई देखने वाला है। मैं आपको अपने जिले की एक बात बताऊं। श्रीमन्, हमारे जिला बाराबंकी में तहसील फतेहपुर में एक लहबर पुरवा मजरा दतौली है। पिछले वर्ष जो बाढ़ आयी थी उससे वह गांव तबाह हो गया, फसल नष्ट हो गयी। लेकिन लेखपाल महोदय नाखुश थे उस गांव वालों से। कई दरख्वास्तें दी गयीं, इस सदन के जो माननीय सदस्य श्री भगवती प्रसाद शुक्ल थे, उन्होंने प्रयत्न किया, किन्तु कुछ नहीं हुआ। फिर बराबर दरख्वास्तें दी गईं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। और मैं तो समझता हूं कि मंत्री महोदय के पास भी कोई लिखित पत्र आये होंगे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उन बेचारे गरीबों के, जिनकी फसल नष्ट हो गयी थी, मकान गिर गये थे उनको एक पैसे की भी सहायता नहीं मिली। और इसके बावजूद वहां के रेवेन्यू आफिसर्स ने जबर्दस्ती लगान वसूल किया। तो इस तरह का आज इस डिपार्टमेंट में कार्य होता है।

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, समय को देखते हुए मैं इस अनुदान के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव अपने विचारों के साथ रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी उनका सदन में ही नकारात्मक उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

की कृपा नहीं करेंगे बल्कि मेरे कहे हुए तथ्यों पर विचार भी करेंगे। जो अनुदान संख्या २ है उनमें जो सबसे आब्जेक्शनेबिल चीज है वह २०८ नायब रजिस्ट्रार कानूनगो की नियुक्ति है। इस सम्बन्ध में मैं इतना कहूंगा कि यदि वे आडिट रिपोर्ट देखें तो पता लगेगा कि इस प्रकार की बहुत सी नियुक्तियां, जो सरकार द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा हुई हैं ऐसी हुई हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी। मैं यह बतलाना चाहूंगा कि जो २०८ नायब रजिस्ट्रार कानूनगो की नियुक्तियां हो रही हैं उनके लिये कहा गया है कि चूंकि लेख पालों की पेन्शन बनाने का काम बढ़ गया है, भू-दान का काम बढ़ गया है, गांव समाज का काम बढ़ गया है इसलिये आवश्यक है कि इनकी नियुक्तियां की जायं। मैं माननीय मंत्री जी से, जो अपने विभाग में बहुत माहिर समझे जाते हैं और मैं भी मानता हूं कि वे माहिर हैं, पूछना चाहता हूं कि क्या वे महसूस नहीं करते कि जमींदारी एबालिशन के बाद जब खेवट का काम हो गया, तो महालों का काम खत्म हो गया। तब नायब रजिस्ट्रारों के पास बहुत काम था। लेकिन खसरा, खेवट और महालों का काम जब खत्म हो गया तो नायब रजिस्ट्रारों के पास बहुत कम काम रह गया। हां, खतौनी का काम भी उनके लिये बहुत मेहनत का काम था। लेकिन माननीय मंत्री जी जानते हैं कि आज उन्हीं के आदेश पर सुपरवाइजर कानूनगो खतौनी को तीन साल तक अपने पास रख सकता है। जब तीन साल तक सुपरवाइजर कानूनगो के पास खतौनी रहती है तो फिर नायब रजिस्ट्रार के पास सिर्फ फार्म पी० १० का काम है। वह भी नायब रजिस्ट्रार का नहीं है, वह मैजिस्ट्रेट का है। उसका काम सिर्फ यह है कि फार्म पी० १० को मैजिस्ट्रेट के सामने भर दे। कुछ काम बढ़ा है, जैसे भू-दान का काम है। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि भू-दान का काम नायब तहसील दार का जो पेशकार होता है वह एन्ट्री करता है। फिर सर्टिफिकेट बनाने का कुछ काम है उसके लिये डिपार्टमेंट है। माननीय मंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे कि आज काम जो नायब रजिस्ट्रारों के पास बढ़ा है वह दसगुना के सम्बन्ध में है और सर्टिफिकेट ईश्यू करने के सम्बन्ध में है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि दसगुने का ड्राइव तो चल नहीं रहा है। जिन लोगों को बैनामा करना हो वे ही अमूमन अब दसगुना जमा करने जाते हैं और ऐसे लोग हर तहसील में मुश्किल से २० फीसदी के करीब होंगे। तो कितना काम अब है जो नायब रजिस्ट्रारों को करना पड़ता है? मैं समझता हूं कि जितने नायब रजिस्ट्रार आज हैं वे काफी हैं और जो अन्य नियुक्तियां होने वाली है उनकी आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से यह कहता हूं कि सरकार यह भूल कर रही है और ये नियुक्तियां करके राज्य कोष पर दबाव डाल रही है।

श्रीमन्, जहां तक सर्वे का सम्बन्ध है एक खासी रकम उसके लिये इस अनुदान में रखी गयी है। इस सम्बन्ध में मेरा विरोध नहीं है बल्कि मैं चाहता हूं कि इसको प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में लागू किया जाय और इस सदन से जितना धन भी सरकार इस काम के लिये मांगे वह सदन को देना चाहिये।

जहां तक दुर्भिक्ष स्थिति का सम्बन्ध है, मैं इस पर इस समय बहुत बातें नहीं कहना चाहता। केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्भिक्ष सहायता में जो वितरण होता है उसकी व्यवस्था राजनीतिक पार्टियों के लाभ के लिये नहीं होनी चाहिये। सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिये जिससे यहां के लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास बढ़े और वह इस देश में पनपे।

*श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से रामसुन्दर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मालगुजारी का जो अनुदान है मेरी समझ में उस पर जितना आज तक खर्च होता रहा है उससे कम अब होना चाहिये इसलिये कि गांवों में कोई संगठन इस तरह का नहीं था जो सरकार को संगठित रूप से कोई सहायता देता मगर जो आज गांव में गांव समाज का संगठन है, गांव पंचायतों का संगठन है, मैं समझता हूं कि उसके जरिये से मालगुजारी या माल विभाग के बहुत सारे काम चलाये जा सकते हैं। बहुत से कार्य हैं जिनके लिये इस विभाग की आवश्यकता नहीं है लेकिन इस विभाग को कम न करके सरकार उसको बढ़ाती चली जा रही है। गांव समाज मैनुअल, जिसे चौधरी साहब ने अपने हाथों से लिखा है, उसमें है कि गांव समाज का सेक्रेटरी लेखपाल होगा और वह भूमि प्रबन्धक समिति के चेयरमैन के अधीन होगा और उसके जरिये से मालगुजारी का सारा काम किया जा सकता है। मगर सरकार ने इस तरफ ध्यान न दे कर गांव समाजों को केवल कागजों में रख कर वैसे ही छोड़ दिया है जैसे वह बना ही न हो। लेखपाल न गांव समाज का कोई काम करता है न उसकी मीटिंग में आता है, मालगुजारी वसूल करने की बात तो दूर रही।

इसके बाद, जब मैं कानूनगों का नाम इसमें पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा दिमाग पहुंच जाता है उस पर जिसे लेखपाल रोज आये दिन कहते रहते हैं। वे कहते हैं कि जब पटवारी थे तब यह कानूनगो चार रुपये महीने घूस लिया करते थे और आज कानूनगो ८ रुपये महीने और बहुत से जो नये भर्ती होते हैं वह तो १० रुपये महीने तक मांगते हैं। तो सोचिये कि २०८ कानूनगो जब और बढ़ जायेंगे तो उन्हीं लेखपालों पर बढ़ेंगे और अन्ततोगत्वा यह सारा भार जाता है उस किसान जनता पर जिससे आप मालगुजारी वसूल करते हैं। आप जोड़ लीजिये कि कितनी मालगुजारी आप वसूल करते हैं और कितना उस मालगुजारी के वसूल करने वाले लोग घूस वसूल करते हैं। इस लिये मैं अपने साथी रामसुन्दर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मुझे और बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन जब कल बाढ़ के मामले में बहस होगी तो मैं कहूंगा। मेरे पास चौधरी साहब के तमाम पत्र रखे हुए हैं जो बंटी हुई चीजें जहां दी गई हैं वह भी मेरे पास है जहां आपने तकावी वगैरह सब इस तरह से बन्द रखी हुई हैं और किस तरह से वसूली की गयी है। चौधरी जी ने बराबर चिट्ठियां लिखी हैं एक चिट्ठी लिखी है जो मुझे आज मिली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि छोटी-छोटी बातों को क्यों लिखा करते हो। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मेरा तो सम्पर्क उन छोटे आदमियों से है जो गांव में रहते हैं। उन पर मुसीबत आती है, उनको कुर्क, अमीन तंग करते हैं, उनको कानूनगो तंग करते हैं, उनको लेखपाल तंग करता है और वह हम से कहते हैं। आप सब से हायर अथारिटी यहां हैं। आपको जो पावर मिली है माल विभाग में वह किसी और को नहीं मिली है। आप से कहा जाय तो आप कहते हैं कि यह हमारे लिये छोटी बात है। वहां के कलेक्टर से ही तय करा लिया करें। इस समय वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बतलाता कि कलेक्टर के सम्बन्ध में मेरी राय क्या है। [**]

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन सभी लोगों ने किया है, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर किसी ने विरोध किया होता तो जवाब देने की आवश्यकता होती। मैं सोच रहा था कि चौधरी साहब कुछ कहें

[**] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

तो उसके बाद जवाब देने का अवसर मिले और जवाब दिया जा सके। श्रीमन्, बहुत से सवाल अनुदान में ऐसे हैं कि जिनके सम्बन्ध में काफी समय की आवश्यकता है, लेकिन मैं यही दरख्वास्त करूंगा माननीय माल मंत्री जी से कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं गांव समाज के सम्बन्ध में, फिर से मालगुजारी निश्चित करने के सम्बन्ध में, कागजात की दुरुस्ती के सम्बन्ध में, कानूनगो के सम्बन्ध में और दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने के सम्बन्ध में, अगर वह दूर की जा सकें उन सुझावों को मान कर जो यहां अभी दिये गये हैं तो मेरा विश्वास है कि जो निराशा लोगों को है आज वह मिट सकती है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, कि बाढ़ के सम्बन्ध में सरकार का और अधिकारियों का ध्यान उस ओर उस समय जाता है कि जब बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से पूर्व १०, १५ दिन पहले कलेक्टर एक मीटिंग बुला लिया करता है और चार, पांच हजार रुपया सहायता के तौर पर उसको देने का अधिकार रहता है। इस समय जो बाढ़ और सूखे का सवाल आया वह एक अहम सवाल है। सूखा पड़ा लेकिन उसके सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं थी और उससे पीड़ित जनता को सहायता देने के लिये सरकार की ओर से कोई इन्तजाम नहीं किया जा सका और बाढ़ के सम्बन्ध में जब बाढ़ का चर्चा आया तो सरकार की ओर से भी वही जवाब मिला जो सूखे के सम्बन्ध में मिला था कि बाढ़ से कोई तबाही नहीं है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और माननीय माल मंत्री जी की बात का समर्थन करता हूं कि जो उन्होंने आजमगढ़ में कही थी कि बाढ़ से ज्यादा तबाही नहीं हुई बल्कि तबाही वर्षा से हुई इसलिये कि नहरों में, गूलों में, बांधों में पानी की निकासी का ठीक रास्ता नहीं बनाया गया था। श्रीमन्, यह बात सही है कि जो बांध बनाये गये हैं उनमें मैंने स्वयं देखा है कि पानी की निकासी का ठीक इंतजाम नहीं है। जहां पर एक फर्लांग की चौड़ाई में पानी बहता था वहां इंजीनियरों ने, जो अनुभवहीन हैं, पानी की निकासी का रास्ता बहुत थोड़ा सा बनाया है और उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से गांवों में पानी घुस गया। आजमगढ़ में पिपराडीह स्टेशन और मऊ के बीच में पचासों गांव ऐसे हैं कि जिनका पता नहीं है कि वह कहां हैं। श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आजमगढ़ में १०, २० पशु बहे हैं। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि एक गांव जिसका नाम सुअराबोझ है वहां पर हमने पता लगाया था तो वहां पर ३९ सुअर बह जाने की खबर है। उस इलाके के बीसों गांव ऐसे हैं जो धराशायी हो गये हैं। पता नहीं वहां के रहने वाले बरसात में कहां निर्वाह करते होंगे इसकी जानकारी सरकार को होगी। गाजीपुर जिले के लोगों ने हमको बताया कि लोगों ने पेड़ पर चढ़ कर और वहां रह कर अपना जीवन बिताया है। पिछले साल तो सरकार ने तम्बू का प्रबन्ध कर दिया था लेकिन इस साल कुछ नहीं किया है। देवरिया में बाढ़ से बहुत तबाही हुई है वहां पर सरकार ने कुछ प्रबन्ध नहीं किया है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा है कि जितने अभी यहां पर भाषण हुये हैं उन सब में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है तो मैं.....

श्री अध्यक्ष— यह वैधानिक प्रश्न नहीं है। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करता था कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट जिन विषयों के सम्बन्ध में है अपनी नुक्ताचीनी वह उसी तक महदूद रखेंगे लेकिन मेरे दोस्तों ने एक साफ मैदान इसको मान कर बिलकुल सरपट दौड़ लगायी और कोई मसला महकमे माल का नहीं छोड़ा है जिसकी उन्होंने आलोचना न की हो। आलोचना कर देना

बहुत आसान है लेकिन उसका जवाब इतने थोड़े समय में देना कठिन है, लेकिन फिर भी म मुख्तसरन् कोशिश करूंगा कि जितनी आलोचना हुई है उसका कुछ जवाब दे सकूं।

एक बात तो यह कही गयी कि जमीन की हैसियत के मुताबिक मालगुजारी का असेंसमेंट नहीं है बल्कि फर्क है। यह बात बिल्कुल गलत है। जिले-जिले में फर्क हो सकता है, क्योंकि एक साथ एक साल जिलों में सेटिलमेंट नहीं होता है। लेकिन यह है कि गांव में या तहसील में या जिले में फर्क है। मुख्तलिफ किस्म की जमीन पर एक ही मालगुजारी हो यह नहीं हो सकता है। जब सैटिलमेंट होता है जमीन की किस्म के मुताबिक सर्किल रेट तय किया जाता है। हां, यह बात जरूर है कि मालगुजारी आज जो पुराने काश्तकारों की रही है ज्यादातर वही उनसे वसूल हो रही है, क्योंकि उनकी मुख्तलिफ हैसियत थी। वे जो लगान जमींदारों को अदा करते थे उसमें इख्तलाफ है और उसमें फर्क है इसलिये वही फर्क मालगुजारी में चल रहा है। तो उस फर्क को मिटाने के लिये पहले तो यह जरूरी है कि मिटाना है या नहीं। जब वह लगान मुकर्रर हुआ था तब डिप्रेशन का पीरियड था और उसी वक्त का वह लगान है और उसी जमाने में ज्यादातर बन्दोबस्त हुआ था और उसी समय लगान का रिवीजन हुआ था। आज जो भाव है हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का उसको देखते हुये वह मालगुजारी बहुत कम है इसलिये उसके रिवीजन का सवाल उठता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यह कहा गया कि शिकमी की मालगुजारी ज्यादा है। शिकमी की मालगुजारी घटी है। हमने एक कानून बनाया था उसके मुताबिक जिनका सर्किल रेट ज्यादा था उनको घटाया गया है और जिनका दुगुने से कम है उसको नहीं घटाया गया है। हां, जिन लोगों का लगान दर्ज नहीं था उनका डबल सर्किल रेट कर दिया गया है। उनका नहीं था जो जिन्सी लगान देते थे। जिन्सी लगान कैश लगान से कहीं ज्यादा हुआ करता था। तो उनका घटा भी है। और उन पर डबल सर्किल रेट लगाया गया है। जितना वह पहले अदा करते थे यह उससे कम है। दूसरी बात यह कही गई कि मालगुजारी के कलेक्शन में बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। मैंने तो ८, १० जिलों में बड़ी-बड़ी सभाओं में किसानों से पूछा कि क्या मालगुजारी की वसूलयाबी में रिश्वत ली जाती है। सिर्फ एटा और मेरठ में अमीनों की शिकायत की गई थी और उन अमीनों को अलग कर दिया गया है। मालगुजारी की वसूलयाबी में जिला कलेक्शन आफीसरों की निगरानी बहुत ज्यादा है और दूसरे हर आदमी को अपनी मालगुजारी मालूम है। फिर शुरू में ही कार्यवाही सख्त की गई कि आगे के लिये ग़लत रिवाज न पड़ जाय। जो रसूमात थे कि १ पैसा लिया जाता था, वह भी खत्म कर दिया गया है। कलेक्शन अमीन को जो मिडिल पास होता है उसे हम ६० रुपये या ८५ रुपये देते हैं जो कि उतने लिखे पढ़ों को नहीं मिलता है। इसलिये वह रिश्वत लेने का रिस्क नहीं लेता है। अगर रामसुन्दर जी को चारों तरफ रिश्वत ही रिश्वत या काला ही काला दिखाई दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। कोई शिकायत हमारे नोटिस में लाई जावेगी तो उसकी तहक़ीकात होगी। अगर सही साबित होने पर सजा न दी जाय तो शिकायत का मौका हो सकता है।

मैं यह तो दावा नहीं कर सकता कि कोई ग़लती होती ही नहीं। यह कहा गया कि काग़ज़ात में बड़ी गल्तियां हैं। बेशक हैं। लेकिन वे नजाई नहीं हैं। ५४ लाख गल्तियां जो २१ तहसीलों में निकलीं, अगर उनसे कोई यह अन्दाजा लगावे कि वे नजाई हैं ऐसी बात नहीं है। मान लीजिये कि एक खाते में ४ नाम लिखे हुये हैं तो हमारी गल्तियां ४ मानी गई हैं। नाम १ का होना चाहिये था और ६ का लिखा गया तो ६ गल्तियां मानी गईं। डिसप्यूटेड गल्तियां तो ५ फीसदी से भी कम हैं। फिर इलेक्शन, फूड प्रोक्योरमेंट, लड़ाई, सेन्सस का बोझ लेखपाल पर बढ़ता जा रहा है। इस तरह से एक्सट्रा करीकुलर काम वह

[श्री चरणसिंह]

करता रहा है। इसलिये उधर ध्यान कम हो गया है और गल्तियां एक्यूमुलेट हो गई हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, वे नजाई गल्तियां नहीं हैं। पहले जमीन के लिये कितने फ़साद होते थे, उनसे मालूम होगा कि अब कितने घट गये हैं।

लेखपाल के लिये कहा गया कि वह बड़ा करप्ट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कहने का रिवाज हो गया है। कहा गया कि पहले ४ लेता था, अब ४० रुपये लेता है। अगर उसे कोई रिश्वत देना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसे अख्तयार लेने का है काहे में ? गेंदासिंह जी ने कहा कि २५ रुपये इन्तखाब के लेता है। उसका तो रूल बना दिया गया है सभापति के पास जाकर किसान आर्डर ले सकता है कि इतने दिन में नक़ल उसे दे दी जाय और अगर नहीं देते हैं तो सभापति तहसीलदार से रिपोर्ट कर सकता है। कुछ न कुछ कहते रहना बहुत आसान है। लेकिन कोई कन्सट्रक्टिव सजेशन भी तो होना चाहिये। अगर सभापति अपने अधिकारों को नहीं जानता है और अगर वह भी लेखपाल में शरीक हो जाता है तो उसका क्या इलाज है? यदि हम कन्सट्रक्टिव सजेशन पर अमल न करें तो शिकायत ठीक है। अगर कहीं २५, ३० या ५ या कुछ भी लेने की शिकायत है तो मुझे या कलेक्टर को लिखा जा सकता था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा खत आज तक हमारे रामसेवक यादव जी का नहीं आया है। वे रोज रोज खत लिखते हैं किसी न किसी मसले पर जो कि ग़लत साबित होते हैं, इसलिये मैंने उनके खतों की वक़त करना भी कम कर दिया है।....

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त हो गया है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत ८८,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत, १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि की संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १५ लाख रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९—ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है), अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

सूचना उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर साहब की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख,

राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर साहब की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—सिंचाई स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर साहब की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६८, सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ३०,१३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

मुझे इस समय कुछ नहीं कहना है। स्मृतिपत्र में सब बातें ब्योरेवार लिखी हैं। अगर कोई बात अन्त में कहने की जरूरत होगी तो उसके लिये अर्ज करूंगा।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान संख्या ९, १०, और ४३ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, वैसे जिन आइटम्स के लिये माननीय मंत्री महोदय ने रुपया मांगा है, मैं समझता हूं उनमें कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम लोग खुद चाहते थे जिस वक्त हमारे सिंचाई विभाग के अफीसरान मोटर में जाते थे तो वे सड़कों पर तो चले जाते थे, लेकिन भीतरी गांवों में उनका जाना नहीं हो पाता था। इससे वे जनता की तकलीफों को नहीं सुन सकते थे। जो लोग पहले घोड़े पर जाते थे, उनकी गांव वालों से बातचीत होती थी, उनकी तकलीफों को वे देख सकते थे, इसीलिये हम लोगों की यह मांग थी, जिससे उनका जनता से सम्पर्क हो सके, नहर से जो पानी निकल जाता है उसकी बचत हो सके और रेवेन्यू में जो कमी हो जाती है वह भी न हो सके, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इसका कारण बताया। लेकिन एक वही कारण इसका नहीं था। उसका एक उद्देश्य यह भी था कि लोगों से ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क उनका हो सके। इसलिये उनके लिये रक्खा गया कि वे लोग घोड़ों पर जायं।

कल जनरल डिसकशन में चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि रूरल वाटर स्कीम्स के सिलसिले में सरकार को कुछ फैसला अवश्य कर लेना चाहिये। चाहे वह स्कीम गवर्नमेंट आफ इंडिया से सब्सीडाइज्ड हो या स्टेट की ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम हो उनके बारे में यह तय हो जाना चाहिये कि उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करे अथवा इरीगेशन विभाग करे। क्योंकि जब कभी हम किसी से कोई बात पूछते हैं तो इर्रीगेशन कहता है कि एल० एस० जी० जाने और एल० एस० जी० विभाग कहता है कि इर्रीगेशन जाने। इस बात की बड़ी भारी मुसीबत है। इसलिये यह तय हो जाना चाहिये कि बजट तो होता है एल० एस० जी० का और उनको एक्जीक्यूटिव करता है इर्रीगेशन विभाग। इसलिये इसको तय हो जाना चाहिये कि कौन इन स्कीम्स को एक्जीक्यूट करेगा। गांवों में पीने के पानी की अभी भी बहुत कमी है। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे एरिया से आते हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे आज भी हजारों गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी अभी तक मुहैया नहीं है। जब हमें पीने का पानी नहीं मिल सकता तो फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

क्या किसी दूसरी चीज की आशा कर सकते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि रूरल वाटर स्कीम्स चाहे वे गवर्नमेंट आफ इंडिया के स्पेशल फंड की हों या राज्य की हों, वे सब एक ही विभाग के हाथ में रहनी चाहिये। पर्वतीय इलाके में इर्रीगेशन विभाग के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई उन्होंने बताया कि रूरल वाटर स्कीम में जो खर्चा होता है उस पर दो प्रतिशत वर्कचार्ज किया जाता है लेकिन अब वह भी चार्ज नहीं होगा। जिस इलाके के लिये रुपया दिया जाता है उस इलाके के लोग श्रमदान अथवा पैसे के रूप में जो गवर्नमेंट रुपया देती है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उससे यह भी मालूम होता है कि उस इलाके में पीने के पानी की कितनी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इर्रीगेशन विभाग इस काम को करे। माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहीं हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस तरह से डुप्लीकेशन आफ वर्क होता है। जहां तक शहरों और नोटीफाइड एरिया का ताल्लुक है, वहां यह काम एल० एस० जी० विभाग करे, क्योंकि वहां वह आसानी से कर सकता है। लेकिन देहातों के अन्दर तो इर्रिगेशन डिपार्टमेंट वाले लोग ज्यादा हैं और वे इस वाटर स्कीम को करें तो सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी पड़ेगा और हमारा काम जल्दी हो सकेगा। और जैसा कि कल माननीय विरोधी दल के नेता जी ने कहा था कि हमारे बहुत से ट्यूबवेल्स ऐसे लगे हैं जिनको बिजली नहीं मिलती और वे बेकार पड़े रहते हैं। हमने पहले भी कहा, अध्यक्ष महोदय, कि कई ट्यूबवेल्स जो हमारे स्टेट के अन्दर लगे वे किस प्रकार से लगे हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो कंट्रेक्टर्स मुकर्रर हुए थे उनकी तरफ से वे ट्यूबवेल्स लगाये गये। चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया ट्यूबवेल्स के लिये हमारे प्रदेश में बहुत सबसिडाइज्ड करती है इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपनी तरफ से कंट्रेक्टर मुकर्रर करके कह दिया कि ये कंट्रेक्टर हैं जो यहां ट्यूबवेल्स लगावेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट ने भी ट्यूबवेल्स लगाये, जिनको मैंने एक्जामिन किया तो वे बहुत ज्यादा अच्छे साबित हुए और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो ट्यूबवेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगाये जाते हैं वे उन ट्यूबवेल्स से ज्यादा सस्ते होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा मुकर्रर किये गये कंट्रेक्टर द्वारा बनाये जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहां ट्यूबवेल्स लगें, हमारे यहां सिंचाई का प्रबन्ध हो, और इस काम को हमारे इर्रिगेशन डिपार्टमेंट वाले अच्छा चला सकते हैं। इसलिये हम माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे कि अगर अब गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कंट्रेक्टर मुकर्रर करने की बात न हो और स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार हो कि वे जिसको चाहें उसको ट्यूबवेल्स लगाने का कंट्रेक्ट दे सकते हैं तो मेरी राय होगी कि डिपार्टमेंट की देखरेख में ही वे ट्यूबवेल्स लगवाये जायं और डिपार्टमेंटल तरीके पर ही वे लगवाये जायं तभी मैं समझता हूं कि हमारे ट्यूबवेल्स अच्छे लग सकते हैं।

ट्यूबवेल्स लगाने के बाद फिर उसके लिये बिजली की आवश्यकता है और फिजूल के लिये कहीं पर ट्यूबवेल्स लगाये जायं और वहां बिजली न दे सकें तो मैं समझता हूं कि ट्यूबवेल्स का लगाना भी बेकार सा हो जाता है। इसलिये ट्यूबवेल्स वहीं लगाये जायं जहां कि बिजली ऐवलेबल हो और तभी हम ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल पूरी तरह से कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक दिक्कत और रही। न मालूम इसमें डिपार्टमेंट को क्या दिक्कत पड़ती है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां न तो नहर बन सकती है, न हाईड्राम हो सकता है जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं फिर वहां नदी व नालों में पम्पिंग सेट लगाने में सरकार को क्या एतराज है? मैंने अपने यहां के इर्रिगेशन डिपार्टमेंट वालों से बातचीत की और कहा कि

नदी सामने बहती है अगर उसमें पम्पिंग सेट लगाया जाय तो पानी को ऊपर उठाया जा सकता है। अगर पम्पिंग सेट लगाया जाय और भले ही उसे डिजल आयल से ही चलाया जाय तो इसमें डिपार्टमेंट को क्या एतराज हो सकता है? मेरे यहां के इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि यह काम हम नहीं करते हैं, हम पम्पिंग सेट नहीं लगा सकते। हम तो सिर्फ नहरें खोदते हैं, हम तो सिर्फ नाले, गुल बनाते हैं, और यह ट्यूबवेल्स लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें फ्लैक्जिबिलिटी होनी चाहिये, इतना अधिकार तो उनको होना ही चाहिये कि पानी पहुंचाने के लिये अगर चाहें तो पम्पिंग सेट के जरिये पानी पहुंचा सकें, हाई ड्राम के जरिये पानी पहुंचा सकें। हमारा उद्देश्य तो यह है कि पानी का प्रबन्ध किया जाय, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे इलाके में, पर्वतीय प्रदेश में जो बहुत सी नदियां बहती हैं और जिनका पानी ऊपर नहीं पहुंचता है उनको पम्प करके अगर ऊपर पहुंचाने का कोई साधन हो तो मैं समझता हूं कि हमारा उद्देश्य पूरा हो जायगा।

मैं बहुत ज्यादा इस विवाद के बारे में क्या कहूं, क्योंकि जिस आइटम के लिये रुपया मांगा गया है वह बहुत जायज मालूम होता है लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट में जो कमी है उनमें से बहुतों की तरफ तो हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने प्रकाश डाला है, इंजीनियर्स वगैरह के बारे में कहा है, उस पर माननीय मंत्री जी और ज्यादा प्रकाश डालेंगे। इस बात को सभी मानते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर इस वक्त सिंचाई के काम का बहुत भारी महत्व है। पानी के ऊपर ही हम सब लोग निर्भर हैं। चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, और अगर हम उसके लिये और ज्यादा रुपया दे सकते तो अच्छा होता जिससे हमारे प्रदेश का कोई ऐसा हिस्सा न रहे जहां पानी मुहइया करने का कोई साधन न हो, कोई ऐसा हिस्सा न रहे जहां सिंचाई के लिये पानी का प्रबन्ध न हो। नदियों में जो पानी बहता है उसके उपयोग के लिये अगर सरकार और रुपया मांगे तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता है। अगर हम उसके लिये और ज्यादा रुपया दे सकते तो अच्छा होता। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन कमियों की तरफ मैंने इशारा किया है उनकी ओर वे अवश्य ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह अनुदान माननीय सिंचाई मन्त्री जी का है। वह आजकल इन्द्र महाराज के आसन पर विराजमान हैं, इन्द्र महाराज जब प्रसन्न होते थे तो अपने कार्यों से देवता और मानव सभी को खुश कर देते थे। लेकिन माननीय मंत्री जी की मधुर वाणी से ही सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जो काम माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने किये हैं जैसे घरों को ऊंचा कराना, नाला या बांध बनवाना आदि, इन सब से लोगों को राहत मिली है इसमें दो राय नहीं हैं। हमारे यहां बड़ी गन्डक के कारण लोगों को बड़ी परेशानी है और प्रतिवर्ष घर ऊंचे कराने पड़ते हैं और बाढ़ से फिर वह बह जाते हैं और कटाव होता है तो घर को इधर से उधर ले जाना पड़ता है। मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मंत्री जी आश्वासन दें कि बड़ी गन्डक के किनारे बांध बना दीया जाय ताकि बाढ़ और कटाव से वह इलाका बच सके। जो कार्य आज कल के इंजीनियरों के हैं उनके बारे में मंत्री जी को

[श्री रामसुभग वर्मा]

काफी ध्यान देना चाहिये और मैं तो मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह किसी एक इंजीनियर की जांच क्यों नहीं करा लेते कि वह कैसा काम करते हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था अमवा खास के घर ऊंचा कराने के बारे में। बनरहा गांव का घर ऊंचा कराने का काम समाप्त हो गया रुपया बरामद करके बांट लिया गया। लेकिन मौके पर ऊंचा नहीं हुआ वह फर्जी ठेका था। वह ऐसे आदमी के नाम से बनाया गया जो वहां कभी नहीं रहता, ऐसे ऐसे कार्य इस विभाग से होते हैं मैंने इसके बारे में प्रश्न पूंछे कि कितनी बार उस गांव के घर ऊंचे हुये और क्या हुआ लेकिन वह प्रश्न नहीं आये और उत्तर नहीं मिला।

दूसरी चीज ट्यूबवेल्स के बारे में है, जो नालियां उनकी बनाई जाती हैं मालूम होता है कि उनकी जांच नहीं कराई जाती। कभी-कभी नालियां बन जाती हैं और जिधर पानी जाना चाहिये उधर वह ऊंची हो जाती हैं और जिधर से आना चाहिये उधर नीची हो जाती हैं। जिससे पानी आसानी से नहीं पहुंचता। नालियां ठीक से नहीं बनती उनकी जांच नहीं होती। उस वक्त में नालियां नहीं बनाई जातीं जब कि फसलें कट जाती हैं। नालियों का काम उस वक्त शुरु होता है जब फसल कुछ अंश तक बढ़ जाती है। और अधपकी होती है उस वक्त नालियों का काम होता है। इससे किसानों की फसल कट जाती है और नाली में रखी जाती है जिससे आपस में झगड़े होते हैं और अधिकारियों के पास शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता। एक नाले के बारे में लिखा-पढ़ी भी हुई वह मंजूर होकर काम हुआ। दूमही गांव में वह नाला ऐसा काट कर निकाला गया कि नाले का पानी आगे बह जायगा और नाले से पानी निकल जायगा और कई हजार खेतों को फायदा हो जायगा, लेकिन वह नाला ऐसा निकाला गया कि पानी जाकर एक जगह इक्ट्ठा हो गया और इक्ट्ठा होने से जो फायदे की बात सोची जाती थी उससे और ज्यादा नुकसान होने लगा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम जो ओवरसियर को या इंजीनियर को दिया जाता है उसमें वह जानकारी नहीं की जाती कि इससे फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है और इससे उस काम के होने के बाद जो उसका परिणाम होता है वह उल्टा होता है। ये सारी चीजें हैं।

घरों को ऊंचा कराने ट्यूबवेल से नालियों को निकालने और पानी उन नालियों से जो नहीं पहुंच पाती हैं इन सारी चीजों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया। माननीय मंत्रीगण कह दिया करते हैं कि ये शिकायतें हमारे पास नहीं आना चाहिये और नीचे के अधिकारियों के पास होना चाहिये, लेकिन नीचे के अधिकारियों के पास जब वह शिकायत जाती है और वे लोग जब अनसुनी करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि आपके पास शिकायत पहुंचायी जाय तो वह शिकायत दूर हो सकती है। लेकिन वह शिकायत दूर कहां होगी। उसका उल्टा ही परिणाम होता है। तो इन सारी चीजों की तरफ आपके द्वारा मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया।

एक बात है कि अमवा खास गांव बड़ी गंडक से ४, ५ मर्तबा कट कर उठा कर बसाया गया ऐसी जगह जहां बाढ़ के समय लोगों की रक्षा हो सके। कई मर्तबा मैं इसका जिक्र कर चुका हूं। वहां बेतरतीब घर ऊंचे किये जाते हैं किन्तु ऐसा ऊंचा किया जाता है कि चारों ओर घरों के खड्डे हो जाते हैं। लड़कों और बड़कों के डूबने का डर रहता है। एक घर एक जगह ऊंचा किया गया और दूसरा घर दूसरी जगह ऊंचा किया गया, जिससे एक घर का दूसरे घर से सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता, न कोई आ जा सकता है, न कोई सरोकार हो सकता है। इस तरह से उन लोगों को मिलने-जुलने में आने-जाने में बड़ी असुविधा होती है और बाढ़ के जमाने में राशन ले जाते हैं तो एक एक जगह जा कर अलग-अलग पहुंचाना पड़ता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन के समक्ष उपस्थित है मैं उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं, परन्तु मैं उपाध्याय जी से सहमत हूं कि आज ग्रामों में और गांवों के उत्थान के सिलसिले में सबसे आवश्यक चीज जो है वह

शुद्ध पानी है । इर्रीगेशन मंत्री महोदय से दो वर्ष पहले मैंने अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन किया था कि गांव वालों के लिये पीने के पानी का इन्तजाम कर दिया जाय । यह बड़ा आवश्यक विषय है और मैं आशा करता हूं कि हमारे इस विनम्र निवेदन को वह ध्यान में रक्खेंगे और भविष्य में उसको कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे । आज जैसे मेरे मित्र ने उनको इन्द्र की उपाधि दी मैं इतनी धृष्टता तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट का कोई काम दीखता है तो वह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का काम दिखाई देता है । आज हमारे गांव ऊंचे हो रहे हैं । आज हमारे लिये सिंचाई का प्रबन्ध हो रहा है । मैंने माना कि हम हर जगह पहुंच नहीं पाते । पांचों उगलियां बराबर नहीं हैं । बट इट विल टेक टाइम । और अगर हम पहले ही उकता कर जान खो दें तो इसका इलाज किसी के पास नहीं है । मैं पुनः एक बात करना चाहता हूं । मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि किसी दिन बस्ती जायें तो महाराजगंज आने की कृपा करें । महराजगंज हमारी कांस्टीटुएंसी में है । नरायनपुर एक गांव है तिवारी लोगों का । पढ़े-लिखे लोग हैं । उन्होंने हाथ पकड़ा और जो नाली बनायी गयी है दो तीन फर्लांग वह दिखायी । वह टूटी पड़ी है । उसकी शिकायत उन्होंने आपके पास भेजी इसलिये नीचे वाले अफसर नाराज हैं । मेन रोड पर है । चाहे आप देख लें चाहे चीफ इंजीनियर देख लें । चूंकि हम दुखी हैं इसलिए कहना चाहता हूं । हमारी कांस्टीटुएंसी का बार्डर है । मैं विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज सिंचाई विभाग का काम ठीक चल रहा है ।

रेंजिंग आफ दि विलेज के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि गांव वालों को ठेका दिया जाय । मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी कहा था और आज सरकार से भी कहना चाहता हूं । मेरठ के ठेकेदार को बस्ती में ठेका मिले । गांव वालों को इसमें कोई सुभीता नहीं मिलता । वह उनकी आधी मजदूरी काट ले जाता है । मैं कहता हूं कि अमानी से काम हो । गांव सभापतियों और पंचों को पैसा मिल जाय तो उनको अपने गांव की उंचाई निचाई का ज्ञान है । उसमें किसी बड़े इंजीनियर की जरूरत नहीं है । वह जब स्तर ऊंचा करेंगे तो दो चार–पांच सौ गज से मिट्टी ला सकेंगे, जिससे गांव का सही उंचान हो पायगा । सरकार की कार्यवाही में गड़बड़ नहीं है लेकिन नीचे के अधिकारी गड़बड़ करते हैं । सरकार को उसमें देखना चाहिए, सरकार को चेकिंग करनी चाहिए । क्योंकि अगर रोकथाम नहीं होगी तो कोई काम होने वाला नहीं है । मैं पुनः अपने विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस विभाग की जितनी प्रशंसा करते बने उन्हें करनी चाहिए और चेकिंग का काम हम सब को मिल कर करना चाहिए और मंत्री महोदय तक सूचना पहुंचानी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और इसका समर्थन करता हूं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता यह था कि माननीय मंत्री जी कुछ कहें तो उसके बाद मैं कुछ जवाब दूं । अगर आप इजाजत दें ।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो उनको मौका मिला । मगर वह चाहते नहीं हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—उन्हें पता नहीं चला । अगर वह कुछ कहना चाहें....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब समय नहीं रहा । आपने आरम्भ कर दिया है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो कुछ कहना था वह पहले कह दिया है। यह पता हुआ नहीं कि माननीय मंत्री जी को क्या कहना है। जो बातें मैंने रखी हैं सारी विचारणीय हैं। शिव नारायण जी ने एक मांग रखी है और मैं यही कहूंगा कि शिवनारायण जी के इलाके का अवश्य ख्याल करें क्योंकि इतनी छोटी सी भी बात न हो पायी तो वह बेचारे आगे कैसे आयेंगे इस सदन के अन्दर। पानी की समस्या तो हल होनी ही चाहिए। इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। भगवान पानी बरसा रहा है सब के यहां जा रहा है।

मुझे आशा है कि जो बात हमने कही है सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में उस पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री राममूर्ति--उपाध्यक्ष जी, वैसे तो जितनी बातें माननीय सदस्यों ने इन अनुदानों के सम्बन्ध में कहीं, वह मैंने नोट कीं। लेकिन दो बातों के बारे में खासतौर पर चर्चा हुई। एक तो वाटर लार्गिंग के बारे में कल कुछ चर्चा हुई और ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के सम्बन्ध में जो योजनाएं बनीं हैं उनके बारे में बात हुई।

वाटर लार्गिंग के बारे में तो मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक मुमकिन है जो हमारे ड्रेन्स और नाले बने हुए हैं उनको और भी ज्यादा चौड़ा किया जा रहा है। लेकिन वाटर लार्गिंग तभी होता है जब अधिक वर्षा होती है, जैसे आजकल हो रही है। अब ऐसी इमर्जेन्सी के मौके पर यह विभाग के लिये मुमकिन नहीं है कि पहले से बहुत बड़ा इंतजाम किया जाय और शायद उसके लिये बहुत रुपये की भी जरूरत होगी। लेकिन हमारे यहां स्टैंडिंग आर्डर्स हैं कि अगर कभी किसी गांव में बहुत ज्यादा पानी भर जाय तो अव्वल तो खुद ही विभाग के लोग पानी को निकाल देते हैं और जहां आबपाशी वगैरह है वहां स्वयं लोग पानी निकाल दिया करते हैं। इस तरह से इस समस्या का हल हो जाता है।

जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है, जैसा उपाध्याय जी ने कहा यह एल० एस० जी० विभाग की स्कीम है। लेकिन चूंकि इतने कुओं का बनाना पानी पीने के लिये, उनके लिये मुमकिन नहीं था और उनके पास पर्सोनेल भी नहीं थे तो यह काम इर्रीगेशन विभाग को सौंप दिया है। करीब १ हजार ट्यूबवेल्स के ऊपर ये योजनाएं बनायी गयी हैं और ग्रामीण जनता ने इस शुद्ध पीने के पानी की योजना को बहुत पसन्द किया है। टंकियां बनाई गईं, टोटियां लगाई गईं, गुशलखाने बनवाये गये, आड़ वाले ताकि स्त्रियां नहा सकें, जानवरों के पीने के लिये भी प्रबन्ध किया गया, गरज इस योजना को लोगों ने बहुत पसन्द किया। यह कहा गया कि अक्सर लोग टोटियां तोड़ दिया करते हैं जिससे कीचड़ हो जाया करती है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि महकमे की जिम्मेदारी नहीं है। जहां ऐसा होता है उसको रिप्लेस किया जाता है, कीचड़ निकाली जाती है और आगे हम यह सोच रहे हैं कि ग्राम-सभाओं को इस काम को दें ताकि वह अपनी जिम्मेदारी महसूस करके इस काम को अपने हाथ में लें और जो दिक्कत आज पैदा होती है वह न हो।

पहाड़ी इलाके में पानी के प्रबन्ध की जहां तक बात है तो यह योजना अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी में आजकल चल रही है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों में कुछ विशेष दिक्कतें हैं। अभी उपाध्यक्ष महोदय, आपके लिये जिले में ताड़ीखेत में एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है वहां रूरल वाटर स्कीम के सम्बन्ध में एक इंजीनियर मुकर्रर किया गया, ४ ओवरसीयर्स मुकर्रर किये गये। पहाड़ों पर चढ़ना-उतरना बड़ा कठिन होता है यहां के जो लोग जाते हैं उनको दिक्कत होती है चढ़ने में। नतीजा यह हुआ कि उन चार ओवरसीयर्स में से दो मेडिकल लीव पर चले गये और एक वैसे छुट्टी पर चला गया। अब १ ओवरसीयर रह गया। तो इस तरह की बड़ी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को पहाड़ों पर पीने का पानी मिल सके। यह सही है कि वहां पर तीन तीन मील से औरतों को पानी लाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। हम उसको दूर करने की

कोशिश में लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगली एक, दो योजनाओं के अन्दर पहाड़ों में ऐसी बहुत कम जगहें रह जायंगी जहां अच्छे पानी का प्रबन्ध न हो जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अनुपूरक अनुदान को माननीय सदस्य मन्जूर करेंगे और मेरे मित्र जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसको वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)–लेखा शीर्षक: १७, १८ और १९ (ख) के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) —लेखा शीर्षक : १७, १८ और १९ (ख) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—सिंचाई स्थापना व्यय—लेखा शीर्षक : १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—सिंचाई पर स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक: १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—राजस्व से बाहर सिंचाई के निर्माण कार्यों का सम्पादन—लेखा शीर्षक: ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग में एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—राजस्व से बाहर सिंचाई के निर्माण कार्यों का सम्पादन—लेखाशीर्षक: ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ३०,१३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या १६–लेखा शीर्षक २८–जेल और बंदी बस्तियां, अनुदान संख्या १७–लेखा शीर्षक २९–पुलिस तथा अनुदान संख्या ३५–लेखा शीर्षक ५४–क–प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक : २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक : २८—जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिए स्वीकार की जाय ।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक: २९—पुलिस के अन्तर्गत १४,३२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिए स्वीकार की जाय ।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक: ५४-क—प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें के अन्तर्गत ३ लाख रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिए स्वीकार की जाय ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२, अनुदान संख्या १६, अनुदान संख्या १७ और अनुदान संख्या ३५ के अधीन अलग-अलग सभी मदों में एक-एक रुपये की अलग-अलग कटौती की जाय ।

श्रीमन्, सबसे पहले मुझे सामान्य प्रशासन के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है । इसमें हम यह देखते हैं कि राज्यपाल महोदय के सम्प्चुअरी इंटरटेनमेंट एलाउन्स के रूप में १९ हजार रुपये का चार्ज्ड हेड में एक नया अनुदान मांगा जा रहा है । जहां तक इंटरटेनमेंट की आवश्यकता का सम्बन्ध है मुझे कुछ नहीं कहना है । राज भवन में इंटरटेनमेंट की आवश्यकता अवश्य होती है, लेकिन जिस प्रकार से कि इंटरटेनमेंट एलाउन्स के स्थान पर एक नया एलाउन्स दिये जाने की बात है वह उचित नहीं है । इसमें स्पष्टतः लिखा गया है कि चूंकि इंटरटेनमेंट एलाउन्स पर इनकम टैक्स लगने वाला था, इसलिए राज्यपाल महोदय ने १९ हजार रुपया अप्रैल से पहले सरेंडर कर दिया । इस विधि को मैं किसी प्रकार से एक हेड आफ दी स्टेट के कार्यालय के लिए उचित नहीं समझता कि चूंकि इनकम टैक्स लग रहा था इसलिए अब इंटरटेनमेंट एलाउन्स नहीं दिया जायगा बल्कि इनकम टैक्स न देने के एक नया एलाउन्स दिया जायगा । यह कोई अच्छा उदाहरण नहीं सेट अप करता । मैं किसी प्रकार से किसी की नीयत पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि गवर्नर के आफिस के सलाहकारों ने ऐसी सलाह दी कि इनकम टैक्स को इवैड करने के लिए यह नयी मद पैदा की जाय जो कि इंटरटेनमेंट एलाउन्स के नाम से न हो और राज्यपाल महोदय से यह कहा कि आप यह सरेंडर कर दीजिए । तो एक ऐसी तनख्वाह का सरेंडर किया जाता जिसको कि लिया जा चुका है, इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनटेनमेंट अलावेंस सन् ५५-५६ को लिया जा चुका था, तो लिये हुए अलाउंस को सरेंडर कर दिया गया, यह राज्यपाल के सलाहकार के लिए शोभनीय नहीं है और राज्यपाल महोदय को भी ऐसा करने से इनकार कर देना चाहिये था, भले ही उनको इनकम टैक्स देना भी पड़ता ।

इनफार्मेशन के डायरेक्टोरेट के सम्बन्ध में कुछ मांगें मांगी गयी हैं । इनफार्मेशन डायरेक्टोरेट की जो मदें हैं वह जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बजट में नहीं आना चाहिये । यह सूचना विभाग का बजट अलग से हो । सूचना विभाग के लिए जिम्मेदार वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी हैं ही, लेकिन अगर इनफार्मेशन डायरेक्टोरेट के इस डिपार्टमेंट को अलग रखा जाय और अलग बजट हो जाय और सूचना मंत्री उसे पेश करते तो उनसे हम सीधे बात कर सकते थे । पिछली मर्तबा भी ऐसे ही रखा गया था और मैंने इस ओर ध्यान दिलाया था और शायद इस सम्बन्ध में कुछ मुख्य मंत्री जी ने मेरे प्रस्ताव से सहमति भी प्रकट की थी । मैं देखता हूं कि वह प्रणाली बदली नहीं है । मुझे आशा है कि अगले साल के बजट तक यह सामान्य प्रशासन बजट में हम इन आंकड़ों को नहीं देखेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें लिखा हुआ है कि रूरल प्रोग्राम के जो ब्राडकास्ट यहां लखनऊ स्टेशन से होते हैं उनकी व्यवस्था सूचना विभाग करता है। जहां तक मुझे जानकारी है यह आल इंडिया रेडियो एक केन्द्रीय संस्था है, केन्द्रीय सरकार से इसका सम्बन्ध है। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के देहाती कार्यक्रमों की व्यवस्था हमारी राज्य सरकार के मत्थे पड़े। यह हो सकता है कि सीधे कुछ सुझाव केन्द्रीय सरकार को यह सरकार दे दे कि रूरल प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से रखा जाय लेकिन आल इंडिया रेडियो तो केन्द्रीय सरकार का हो और रूरल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार नियत करे यह मुझे उचित नहीं लगता। मैं जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है इससे भी असहमत हूं।

आगे चल कर कुछ जेल के बारे में चुर्क में प्रिजनर्स कैम्प के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें बड़ी तारीफ की बात है कि अनुदान संख्या १६ में हम देखते हैं कि जेल का जो प्रिजनर्स कैम्प चुर्क में खोला गया है इसमें लाइव-स्टाक, टूल्स एंड प्लान्ट्स के नाम से ६५,००० रुपया खर्च किया गया और-और खर्च में मोटर गाड़ियों की खरीद के लिए ३५,००० रुपया है। तो मोटर गाड़ियां न तो लाइव स्टाक है, न टूल्स है, न प्लान्ट्स है। तो ऐसा सप्लीमेंटरी अनुदान हम क्यों स्वीकार करें कि जिसका नाम तो हो लाइव स्टाक और खरीदी गयी हो मोटरगाड़ी, "परचेज आफ मोटर वेहिकिल्स"। तो प्रिजनर्स कैम्प के नाम पर ६५ हजार रुपया मांगा जा रहा है और ३५ हजार में सिर्फ मोटर गाड़ियां और १५ दिन का कैम्प नहीं है। १५ मार्च को कैम्प खोला गया जब कि पहली अप्रैल को खुल जाना चाहिये था। तो एक नयी मद के नाम से रुपया मांगा जाय और दूसरी मद में खर्च किया जाय, यह अच्छा नहीं मालूम होता।

आगे चल कर पुलिस अनुदान की ग्रांट १७ में दो तीन मदें हैं जो आवश्यक प्रतीत होती हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता राज्य सरकार को यह नहीं है कि इन अनुदानों में हुई हो। सिविल पुलिस के ऐलोकेशन को बढ़ाना, यह सिफारिश सरकार के सामने सन् ४१ से थी। १७ सब-इंस्पेक्टर, ५२ हेड कानिस्टेबिल, ३८३ कानिस्टेबिलों का बढ़ाया जाना २९ जिलों में इस पर सरकार विचार करती चली आ रही थी कि इन २९ जिलों में पुलिस कम है। जो नये स्टेशंस खोले जा रहे हैं उनमें बढ़ाना जरूरी था। तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह जो अनुदान था यह किसी प्रकार से अनफोरसीन था या ऐसा था जिसके बारे में सरकार को सूचना न हो। इसी प्रकार से तम्बुओं का भी है जो आर्म्ड कांस्टेबुलरी के थे, कंस्ट्रक्शन आफ पुलिस बिल्डिंग्स, तो मैं यह नहीं कहता कि इनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन इसकी जानकारी सरकार को पूरी तरह से थी और वह बड़ी आसानी से मूल बजट में इन आंकड़ों को ला सकती थी। फिर ऐसे भी अनुदान हैं जिन पर टोकिन डिमांड मांगी गयी है, लेकिन वह एक नाम की है, क्योंकि रिएप्रोप्रिएशन तो उसी बजट में से करना है तो यह स्पष्ट नहीं होता कि किस प्रकार पुरानी स्कीमों को काट कर नयी स्कीमों के लिये इतना बड़ा खर्चा ले सकते हैं। यह तो पुरानी गलती थी, यह जो नयी है वह जल्दी में रखी जा रही है। अन्त में मुझे अनुदान संख्या ३५ के बारे में कुछ कहना है। इस में तीन लाख रुपया पोलिटीकल पेंशन्स के लिये मांगा जा रहा है। मुझे खयाल है कि इस में और भी रुपया देना पड़ेगा, यह अपर्याप्त है। जिस तरह से पेंशनें दी जा रही हैं उसमें एक दिक्कत यह है कि किसी को २५ रुपये मिलते हैं और किसी को कुछ और किसी को कुछ। कहने का मतलब यह है कि कम से कम २० रुपये और ज्यादा से ज्यादा ७५ रुपये मिलते हैं। इसमें एक जलन लोगों के हृदय में हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम होगा और सब लोग समझते हैं कि जिनको २० रुपये मिलते हैं वे कहते हैं कि हमको केवल २० रुपये मिलते हैं

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

और उनको ७५ रुपये मिल गये तो सैकड़ों एप्लीकेशन्स इसलिये इस तरह की आ रही हैं कि हमें कम पेंशन मिलती है। कम से कम ४०,५०,६० रुपये मिलने चाहिये थे। यह हमारी शान के खिलाफ हो गया है।

पुराने नियम दूसरे थे और आज के नियम दूसरे हैं। इसका अर्थ यह होता है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता को यह अंतर बहुत अखरता है। पहले नियम थे कि छै महीने की जेल के और अब यह है कि दो बार जेल हो आया हो। इसलिये लोग समझते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार हो रहा है यह आक्षेप की बात नहीं है, बल्कि वस्तु स्थिति है और खामख्वाह लोगों के हृदयों में जलन होती है और हम लोग क्योंकि ग्रांट स्वीकार करते हैं इसलिये हम लोगों से भी उनकी नाराजगी होती है। मैं समझता हूं कि पेंशन की व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे अधिक से अधिक लोगों के हृदयों की जलन समाप्त हो जाय।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)—जनाब उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान के बारे में चन्द बातें बतौर मश्विरा के, बतौर सलाह के अर्ज करनी हैं। जहां तक जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है हम यह महसूस कर रहे हैं और हमारी बेइत्मानानी पहले सालों से ज्यादा बढ़ गई है। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है हम अंदाजा कर रहे हैं और खुसूसियत के साथ जो कुछ भी तजुर्बा मुझे हुआ है, मैं जाती तौर पर उसके लिये अर्ज कर सकता हूं कि उसने उन उसूलों पर उन सिद्धान्तों पर जो उसको बराबर सिखाये गये हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद, कोई ध्यान नहीं दिया है और शहरी जिन्दगी को एक बावेला बना दिया है।

मैं अर्ज करूं और आप लोगों को सुन कर ताज्जुब होगा कि इधर चन्द महीनों में मैंने देखा है, तजुर्बा किया है कि उरई में, कानपुर में, और बाराणसी में और मुख्तलिफ मुकामात में मैं गया। पहले तो मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ लेकिन बाद को पता चला कि मैं एक कैदी की हैसियत से चन्द सी० आई० डी० के कांस्टेबिलों के बीच में घिरा हुआ हूं और मैंने उरई के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा कि मैं जब आप से बातें कर रहा हूं तो सी० आई० डी० का यह पर्चा आना कि कौन लोग बैठे हुये हैं, अपना नाम लिख कर भेज दें यह एक गुस्ताखी है न सिर्फ मेरे साथ बल्कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उन्होंने कहा कि मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से अभी जो झगड़े हुये हैं उनमें मैंने देखा कि जिनको हम तनख्वाह देते हैं वह जिस वक्त कोई खतरा हो उसको रोकें तो ऐसा नहीं हुआ और आपको ताज्जुब होगा कि एक ही तरह की शिकायत हर तबके को है। पुलिस की मौजूदगी में दूकानें लूटी गईं और जहां पुलिस नहीं थी वहां नहीं लूटी गईं और जहां पुलिस मौजूद थी वहां लूटी गईं। मैं उरई की बात कहता हूं कि वहां पर दूकानें उस वक्त लूटी गईं जब कि पुलिस का मुख्तसिर फोर्स मौजूद था और उसके होते हुये यह सब कुछ हुआ। आप ताज्जुब करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्वाइंट आफ आर्डर, उरई के जो दंगे हुये वह अदालत के सामने जाने वाले हैं। इसलिये मेरी समझ में कम्यूनल झगड़ों के संबंध में यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य, अदालत में मुकद्दमा चल रहा है, इसके बारे में जिक्र न करें।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—मशविरा ठीक है। तो मैंने वहीं नहीं, कानपुर में भी देखा और भी कई मुकामात में, जिनका ताल्लुक मुकदमात से नहीं है, मैंने देखा और आपको यह सुन कर हैरत होगी कि जो डेपुटेशन मेरे पास और मुकामात से आये—जहां मुकदमात चल रहे हैं उनका नाम मैं इस वक्त नहीं ले सकूंगा—उन्होंने यह कहा कि मुकामी हिन्दुओं से, चाहे वे जनसंघ के हों, हम मेल कर सकते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट से

कह कर वहां से पुलिस हटवा लें तो हमारी दुकानें नहीं लूटी जायंगी। हमने कहा कि यह कैसे? तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम उनको सही हालत बतायेंगे तो कोई इसके लिये तैयार नहीं होगा कि हमारी दूकानें लूटे, हम खुद उनको समझा लेंगे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में लुट जाना हमारे लिये निहायत शर्म की बात है। इसकी तरफ हमने अवाम की तवज्जह दिलाई और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से वाकयात लिख कर गवर्नमेंट के पास भेजें और मेरे खयाल में यह शिकायतें उसके पास तक पहुंच भी गयी होंगी।

जहां तक एक शिकायत का ताल्लुक है वह यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में जो हुक्काम तनख्वाह पाते हैं उन्होंने खुद कहा कि हमें अफसोस होता है कि बहुत जगह उन लोगों ने जो मजरूह हुये या जलील किये गये वे रिपोर्ट करने नहीं आये। हमने कहा कि जरा अपने नीचे के लोगों को हिदायत कर दीजिये कि वे अपना रवैय्या ठीक रखें। मगर आपको हैरत होगी कि बाज जगह हमने यह देखा कि डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट के कहने पर जो लोग इत्तिला करने आये, जब वाकयात को १५-१५ दिन गुजर चुके हैं तो उस वक्त उनके ऊपर ३०२ के मुकदमें कायम किये गये या धमकी देकर उनको गिरफ्तार कर लिया। मुझे याद है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो गुजिश्ता बजट के मौके पर या उससे पहले साल के बजट के मौके पर आनरेबिल चीफ मिनिस्टर साहब से यह फरमाया था कि इस बात की सख्त हिदायत कर दी गयी है कि जो लोग इत्तिला देने के लिये कोतवाली आयें उनकी इत्तलात पूरे तरीके से लिखी जायं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। मुझे कल मौका नहीं मिला, वरना मैं तफसील से अर्ज करता। इसलिये सिर्फ दो बातें अर्ज करूंगा और उसके बाद खत्म करूंगा।

पहली बात तो यह कि अगर किसी जिले में इस किस्म के फिसाद हों और चाहे कोई माइनारिटी का हो या मेजारिटी का हो, उसको तंग किया जाय, उसका सामान लूटा जाय, दुकानों में आग लगाई जाय और उसके बाद भी वहां के डी० एम०, एस० पी० या एस० एस० पी० उसका तदारुक न कर सकें तो आपको चाहिये कि उनको डिग्रेड करें और सख्त सजा दें, ताकि दूसरी जगह के हाकिम उससे सबक सीखें।

दूसरी बात मुझे इस सिलसिले में यह अर्ज करनी है कि जो खास अफसर नियुक्त किये जायं कम्प्लेन्ट्स सुनने के लिये उन पर खासी निगाह आप रखें। आपने जो कम्प्लेन्ट्स अफसर मुकर्रर किये उनके खिलाफ जो शिकायतें आती हैं तो यह समझ में नहीं आता कि उनको सुनने के लिये कौन सा इदारा हम कायम करें। मेरे खयाल में मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर साहबान जो यहां मौजूद हैं उनको इस तरफ खास तवज्जह देनी चाहिये और जहां ऐसी चीज पायी जाय वहां उनके खिलाफ तदारुक की कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट के समय में और अधिक क्या कहूं, गोंडा जिले की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वहां पुलिस का जो रवैय्या है वह तो कई मर्तबा अखबारों में और इस सदन में कामरोको प्रस्ताव द्वारा सामने आ चुका है। वहां ऐसी भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है कि करीब २०-२५ मील के एरिया में कोई आदमी सकून से नहीं रह रहा है। वहां एक रूसे नाम का बदमाश है जिसने १८ आदमियों के प्राण लिये और कितने ही आदमियों को घायल किया। उसके खिलाफ कई बार दरख्वास्तें दी गयीं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि सरकार ने कुछ किया नहीं, किया जरूर होगा, लेकिन अब तक वहां कोई कामयाबी नहीं मिली और वही बेचैनी कायम है। दूसरी बात यह रही कि वहां के शहर कोतवाल के मुताल्लिक इस बात की आम

[श्री बलदेवसिंह (गोंडा)]

चर्चा थी कि उनका सम्बन्ध रूसे से है और वे रूसे को इन्फार्म करते रहते हैं। इस चर्चा को मैंने जबानी भी, लिख कर भी और सदन में भी माननीय मुख्य मन्त्री जी को बताया और यही नहीं कि मैंने बताया बल्कि जिला कांग्रेस कमेटी और जिला ऐडहाक कमेटी ने भी प्रस्ताव पास किये, बार असोशियेसन के प्रतिनिधियों ने भी उनसे मिलकर कहा और शहर की जनता की तरफ से भी कहा गया। किन्तु आज तक वे वहां बहाल हैं और चारो तरफ वह भ्रम अभी तक फैला हुआ है।

पुलिस की जितनी भी कार्यवाही होती है उसके लिये क्या कहूं? मेरे एक मित्र के यहां ऐसा पत्र आया कि अगर पांच सौ रुपये न दे दोगे तो जान से मार डाले जाओगे। उस पत्र को उन्होंने पुलिस को भेजा। पुलिस अफसर ने गार्ड्स भेज दिये। रात को आठ या नौ बजे होंगे तो किसी ने टार्च जला दिया ये लोग भागे और कहने लगे दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा खोलो, गाली दी और दरवाजा खुलते ही सब राइफल लेकर घर में घुस गये। बताया कि बाहर से पोजीशन लगाते नहीं बनी अब अन्दर से पोजीशन लगाने चले आये हैं। तो इस तरह से तो बहादुरी के काम हो रहे हैं। तो फिर कैसे उम्मीद की जाय की हमारा काम हो सकता है और हमारी कारगुजारी कैसे चल सकती है और क्या बात कहूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि उस ओर आपकी विशेष कृपा हो उस जिले पर वरना हर भले आदमी का जीवन वहां दुस्तर हो जायगा।

एक दूसरा बदमाश शिवराम नाम का उत्पन्न हुआ है। उसने सात-आठ औरतों को जबरदस्ती पकड़ लिया आज तक पता न चला अगर कोई रिपोर्ट लिखाने जाय तो यह नामुमकिन है कि उसकी रिपोर्ट बिना पैसे लिखी जा सके। यह रिवाज हो गया है कि जो डाके के बाद शेष धन बच जायगा उसका बहुत बड़ा अंश पुलिस को न दिया जाय तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। कम्प्लेन्ट्स अफसर से मैंने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो एस० पी० साहब के मातहत हूं। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखूं तो मेरा करेक्टर रोल गोड़ जायगा और मैं तरक्की नहीं कर सकूंगा। अब इन परिस्थितियों में क्या किया जाय? भ्रष्टाचार निवारक समितियां बनीं जिसके इस माननीय सदन के हर सदस्य मेम्बर हैं लेकिन मैं अपने जिले की कह सकता हूं कि आज तक उसकी जितनी मीटिंगें हुईं और जितने सवाल हम लोगों ने पूछे, जितनी दरख्वास्तें जांच के लिये भेजीं एक का भी जवाब नहीं आया। तो ऐसी दशा में क्या तरीका हम अख्तियार करें यह मैं आपसे, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से और सदन से पूछना चाहता हूं साथ ही यह भी आप सब से अनुरोध करूंगा कि मेरी बातों की ओर ध्यान दें और इस ग्रांट को कतई मंजूर न करें।

श्री रामसेवक यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्तुत अनुदान हैं मैं उनका विरोध करता हूं और जो कुछ भी माननीय तिवारी जी ने कहा उनका अक्षरशः अनुमोदन करता हूं। मैं आप का ध्यान जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ओर ले जाना चाहता हूं। आज अपने इस प्रदेश की यह हालत है की चारों तरफ़ बदअमनी सी नजर आ रही है। शान्ति स्थापित करने में जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल असफल रहा है। श्रीमन्, ज्यादा समय तो है नहीं जो अधिक कहा जा सके लेकिन अगर मोटी-मोटी बातें देखी जायं तो सारे प्रदेश में दफ़ा १४४ लगी हुई है और उसके द्वारा विरोधियों को दबाया जाता है। इसी सदन के दो माननीय सदस्य उसके शिकार हो चुके हैं। कहीं अगर कोई भुखमरी के विरुद्ध प्रदर्शन करता है तो जबान पर ताला लगा दिया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है दफ़ा १४४ सारे प्रदेश में है और ३१ अक्तूबर को तो शायद सारे प्रदेश में है। शायद एकाध जिलों में न हो लेकिन है सब जगह। बाराबंकी में तो ३१ अक्तूबर तक के लिये लगी हुई है। विरोधी पार्टियों को श्रीमन्, यह कठिनाई होती है कि अगर कोई मीटिंग करना चाहता है, पार्टी के प्रोग्राम के लिये, तो उनको पहले मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है। और मंजूरी लेने जायं, मिले या न मिले यह सरकारी अधिकारियों

की मर्जी पर है। तो इस तरह का रवैया चल रहा है। यह भ्रष्टाचार है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या वजह है? इसका एक मात्र कारण श्रीमन्, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का हस्तक्षेप है और इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आप को बाराबंकी जिले का दूंगा। इस सदन के माननीय सदस्य श्री अवधशरण वर्मा की हत्या करने वाले लोगों को, जिनमें चार प्रमुख व्यक्ति हैं और जिनमें एक को छोड़ कर तीन का कोई विशिष्ट स्टेटस नहीं है, उनको बी क्लास दिया गया है और उनकी दरख्वास्त पर श्रीमन्, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी सिफारिश लिखी हुई है। यही नहीं, कांग्रेस कमेटी के जो प्रमुख व्यक्ति वहां हैं, जो प्रमुख हैं, उन लोगों की हमदर्दी उन से बराबर रहती है और वे मिलते-जुलते रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनको बी क्लास मिलता है। आजादी के साथ वे आते हैं बगैर हथकड़ी बेड़ी के कचहरी के अन्दर, जो कानून और कायदे के खिलाफ़ है और मुलजिम को खड़ा रहना चाहिये, वे बेंच पर बैठते हैं। जो व्यवहार किसी एक मेहमान के साथ होता है वह उनके साथ किया जाता है। यह ठीक है कि यह डिस्क्रेशनरी है कि उनको बी क्लास दिया जाय या न दिया जाय, यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इच्छा पर है, उसके डिस्क्रेशन पर है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा ऐसा केस होगा कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्क्रेशन को रिफ्यूज करेगा। तो उसमें श्रीमन्, आज यह हो रहा है। यह हाल है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का।

माननीय मुख्य मंत्री जी के अंडर में यह डिपार्टमेंट है। इसमें तो हम बहुत तब्दीली की उम्मीद रखते थे। अगर यह कहा जाय तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आजादी के बाद अगर पुलिस के रवैये में कोई फर्क हुआ है तो वह यह कि लोगों से मिलने लगे हैं, नेताओं को सलाम देने लगे हैं। इसके अलावा और कोई चेंज पुलिस में नहीं हुआ है। इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। यह जो डिप्टी एस० पी०, कम्प्लेन्ट्स मुकर्रर किये गये हैं कप्तान साहब के मातहत, यह उनको बहुत बुरी चीज लगती है। वह यह नहीं चाहते कि उनके जिले से इस प्रकार की रिपोर्ट जाय कि फलां पुलिस अफसर ने रिशवत ले ली, और डिप्टी एस० पी० कम्प्लेन्ट्स इसकी जांच करे। यह असंभव है और यह कभी चल नहीं पाता।

मैं आपको बताऊं कि इस बजट में यह भी कहा गया है कि अपराधों को रोकने के लिये कुछ अफ़सर बढ़ाये जायंगे। आबादी बढ़ गई है। अगर आबादी बढ़ गई है तो पुलिस का बढ़ना ठीक है। कुछ रेडियो सेट उनको दिये जा रहे हैं, ठीक है दिये जाने चाहिये, लेकिन श्रीमन्, यह ठीक नहीं है कि इससे एफीशियेन्सी बढ़ सकती है। अगर एफीशियेन्सी को बढ़ाना है, ईमानदारी को बढ़ाना है तो पुलिस अफसरों की तनख्वाहों को बढ़ाने की जरूरत है, विशेषरूप से पुलिस कान्स्टेबिल और चौकीदारों की। चौकीदारों का तो एक अजीब मामला है। वह पांच रुपया माहवार तनख्वाह पाता है और इस प्रदेश का कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जिसका वह मातहत न हो। तो आज यह हालत है।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

सदन में एक बात यह कही गई, कांग्रेस दल के फाखरी साहब ने भी कही कि जहां कहीं वे गये थे वहां मालूम हुआ कि थाने पर जनता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। शायद उनको यह पता है और माननीय मुख्य मंत्री जी कई बार इस सदन में भी घोषणा कर चुके हैं और सदन के सदस्यों को भी मालूम है कि यदि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो वह रजिस्ट्री से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

रिपोर्ट भेज सकते हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत थी तो वह रजिस्ट्री से रिपोर्ट भेज सकते थे, लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है बहुत सी जगह ऐसे ही लोग कह दिया करते हैं कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई। संभव है कि बात ऐसी ही हो, लेकिन जब हमको यह सुविधा दी गई है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिये और अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्री से भेज देनी चाहिये। इस बात का हम प्रचार करें।

दूसरी बात यह कही गई कि दफ़ा १४४ का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। जब हमारे प्रदेश में कोई अशांति की बात हो, कोई दूषित मनोवृत्ति पैदा होने वाली हो तो सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह इस धारा १४४ का उपयोग कर के उस प्रवृत्ति को जो पैदा होने वाली है, रोके। तो यह बिलकुल आवश्यक हो जाता है कि गवर्नमेंट को वहां पर दफ़ा १४४ लगाना पड़े।

दूसरी बात बी क्लास की कही गयी कि उनको बी-क्लास दिया जाता है जो कत्लों के अपराधी होते हैं। यहां का कानून ऐसा है जिसके अनुसार सोसाइटी में स्टेटस को देख कर बी-क्लास दिया जाता है। जब तक आप उन नियमों में परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक उससे लाभ उठाने वाले उठायेंगे। यदि सदन ऐसा परिवर्तन कर ले और ऐसा संशोधन कर ले तो इस बात का हल हो सकता है। लेकिन जब तक यह कानून मौजूद है कि सोसाइटी में स्टेटस के मुताबिक क्लास मिलना चाहिये तो ऐसा चलता रहेगा। और उनको बी-क्लास की सुविधा मिलती रहेगी।

तीसरी बात जो कही गयी वह पुलिस में भ्रष्टाचार के विषय में कही गयी। यह तो कई पिछले सालों से सुनाई पड़ता है, लेकिन जब इसके सम्बन्ध में कोई सुझाव मांगा जाता है तो विरोधी दल की तरफ से या अन्य सदस्यों की तरफ़ से ऐसा ठोस सुझाव नहीं आता है जो उचित सुझाव हो और जिससे उस पर काबू किया जा सके। कई सदस्य यह शिकायत करते थे कि उनकी शिकायत की जांच इमीडियेट अफसर करते हैं लेकिन अब यह माननीय मुख्य मन्त्री जी का स्टैंडिंग आर्डर है कि उनकी शिकायत की जांच गजेटेड अफ़सर करेगा और अब भी यह प्रथा चल रही है और गजेटेड अफ़सर ही जांच करते हैं।

इसी प्रकार कम्पलेन्ट अफसरों के खिलाफ़ भी यदि कोई शिकायत है जैसा कि यहां पर किसी सदस्य ने कहा अगर उन शिकायतों को साबित कर दिया जाय तो सरकार सजा दे सकती है। फाखरी साहब ने एक और बात कही कि जहां पर साम्प्रदायिक झगड़े हों वहां के जो हुक्काम एस० पी०, डी० एम० या जो दूसरे अधिकारी हों उनको सजा दी जाय, यदि वहां पर अशान्ति हो जाय या कम्युनल रायट हो जायं तो उसकी जिम्मेदारी उसकी हो। परन्तु एक तरफ तो सदस्य यह कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इतने अधिकार न दिये जायं जिससे निरंकुश हो जायं और आज भी जिलाधीशों को इतनी पावर दे दी गई है कि उससे वे लोग अपनी मनमानी करते हैं, फिर दूसरी तरफ़ आप कम्युनल रायट को दबाने के नाम पर उनको इतनी पावर दे देना चाहते हैं जिससे वह मनमानी ज्यादती कर सकें तो मेरे ख्याल में यह सुझाव ऐसा है जो सही नहीं होगा और उनको अधिक पावर देना उचित नहीं होगा।

जहां तक डाके की बात कही गयी कि बड़ी अशान्ति फैल रही है और डाकू लूट रहे हैं और पुलिस समय पर छिप जाती है और डाकुओं का मुकाबला नहीं करती है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें पुलिस के आदमियों ने जान दी है। अभी बाह में एक नौजवान थानेदार जान से मारा गया है और भी बहुत से पुलिस के आदमी मुकाबला करते हुये मारे गये हैं। मेरा सरकार से निवेदन यह है इस सम्बन्ध में कि ऐसे पुलिस के जो कर्मचारी उसमें काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। यदि कोई भी हमारा थानेदार या सिपाही मारा जाता है तो उसको शीघ्र ही, लिखा पढ़ी बाद में की जाय, कुछ न कुछ रुपया एक मुश्त दे देना चाहिये। इतना रुपया जरूर दिया जाय जितना वह अपने जीवन में सर्विस के जरिये से पैदा करता और अभी यदि यह सम्भव नहीं तो जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, डाकुओं को पकड़ने के लिये, उनकी लाइफ़ को इन्श्योर किया जाय। तब वह

कहीं और अच्छी तरह से काम करेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग डाकुओं के इलाके में काम कर रहे हैं या जो पुलिस के दूसरे आदमी जाते हैं उनको इतना प्रोटेक्शन जरूर मिलना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जब तक डिबेट पूरी न हो जाय मैं उस को कैसे वाइन्ड अप कर सकता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी पहले बोल लें तो मैं फिर कुछ कहूं।

श्री उपाध्यक्ष—जब तक वह उठने की आवश्यकता नहीं समझते मैं उनको किस प्रकार मजबूर कर सकता हूं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—बात यह है कि जब तक मेरी बातों का जवाब न मिल जाय तो मैं क्या कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यदि माननीय सदस्य जवाब देना नहीं चाहते हों तो मैं उनसे कह सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं निवेदन कर चुका हूं कि मैं क्या निवेदन करूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपको मौका दिया। आप बोलना नहीं चाहते तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मौका दूंगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, ६, ७ मिनटों में उन सब बातों का जवाब देना तो संभव नहीं है जो यहां कहीं गईं। फिर भी कुछ खास-खास बातों के संबंध में मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा। माननीय नारायणदत्त जी ने राज्यपाल के इन्टरटेनमेन्ट एलाउन्स के बारे में कुछ जिक्र किया। मैं समझता हूं कि उसमें कोई भी अनुचित बात नहीं है। यदि थोड़ी सी वे कोशिश करते तो खुद इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते थे। जो लोग गवर्नमेंन्ट हाउस में आकर टिकते हैं वे उस व्यक्ति के निजी मेहमान नहीं होते जो कि फार दी टाइम बीइंग राज्यपाल होता है। वे स्टेट के मेहमान होते हैं। तो जाहिर बपात है कि उनके भोजन-पानी के खर्चे का भार उस व्यक्ति विशेष पर नपड़कर स्टेट के ऊपर लिड़ना चाहिये। कोई व्यक्ति दे भी नहीं सकता, क्योंकि उसका दिवाला निकल जायगा। उसके मेंये १९ या साढ़े १९ हजार रुपया औसतन खर्चा हो रहा है। यह बजट में रखा जाता है। बीच में केन्द्रीय सरकार ने यह व्यवस्था की कि साढ़े सात हजार से ऊपर के ऐसे एलाउंस के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। हिसाब लगाया गया तो देखा गया कि इनकमटैक्स देने के बाद १९ हजार रुपये में से मुश्किल से ५ हजार रुपया बचता है। यह केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, केन्द्र में भी है। इसके माने यह हुये कि राज्यपाल को १४ हजार रुपया अपने पास से और देना पड़ता और इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी देना पड़ता। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से लिखा-पढ़ी के बाद यह व्यवस्था हो गई कि बजट में इतना रुपया रख दिया जाय और सरकारी खर्चा मान लिया जाय। इस सदन ने १९ हजार रुपया मार्च में स्वीकार किया है। कोई नई बात अब नहीं है। चूंकि देर में इनकमटैक्स लगाया गया, सेन्टर से लिखा-पढ़ी हुई, इसलिये पिछले साल के रुपये की व्यवस्था नहीं हो सकी। वही इसमें रखा गया है।

नारायणदत्त जी ने इन्फारमेशन डाइरेक्टोरेट के बारे में कहा कि यह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया जाय, तो बहुत रीजनेबिल बात होगी। मैं भी इसे सोच रहा हूं। बात उचित-सी मालूम पड़ती है।

(इस समय ३ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पुलिस की इमारतों के बारे में कहा गया कि वह अनफ़ोरसीन नहीं हैं। वह बिलकुल अनफ़ोरसीन हैं। सदन ने जितना स्वीकार किया उतना हम करने के लिये तैयार थे। बाद को केन्द्रीय सरकार के प्लानिंग और फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम ४० लाख रुपया देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि स्टेट भी ४० लाख रुपया देने के लिये तैयार हो। बिलकुल अनफ़ोरसीन बात थी क्योंकि हमको कोई सूचना नहीं थी। हम देखते हैं कि बहुत से थानों की इमारतें खराब हैं और यहां भी बहुत से सदस्यों ने कहा है कि पुलिस वालों के रहने की जगह खराब हैं। इसलिये हमने ४० लाख रुपया की उनकी शर्त मान ली। २७ लाख रुपया यहां बजट में मौजूद था, इसलिये यह १३ लाख रुपया हम लोगों ने मांगा है।

मोटर, टूल्स प्लांट्स, लाइवस्टाक में कैसे आ गया, यह कहा गया। प्लांट्स माने पौधा तो नहीं है लेकिन यह कोई हिसाब की टैक्निकल बात होगी जिसे मैं भी नहीं समझता। मेरा ख़याल है कि ये लाइवस्टाक में आते हैं। इसके माने यह हुये कि अगर सवारी के लिये घोड़ा या बकरी भी खरीदी जाती है तो भी वह इसके अन्दर ही आयेगी। माननीय उपाध्याय जी इस बारे में मुझसे अधिक जानते होंगे क्योंकि वह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बर हैं, मैं इस अकाउंटिंग के मामले को नहीं जानता।

इसके अलावा कुछ और सदस्यों ने कुछ और बातों का भी जिक्र किया। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने पोलिटिकल पेंशन की बात कही। उन्होंने कहा कि जो रुपया रक्खा जाता है वह कम है, उसको और बढ़ाया जाय। अगर बढ़ जाय तो अच्छा है। लेकिन मेरे सामने एक दिक्क़त है कि हमारे देश और प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि वे पोलिटिकल सफरर हैं, या उन्होंने देश की कोई सेवा की है, कांग्रेस की कोई सेवा की है। आज कोई भी चाहे वह पी० एस० पी० में हो, अथवा कांग्रेस में हो हम सब लोगों ने एक साथ मिल कर देश की सेवा की है और कांग्रेस में रह कर की है इसलिये मैं कांग्रेस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो यह कहते हैं कि हमने कांग्रेस की कोई सेवा नहीं की। इसलिये जब हमने यह रुपया रक्खा तो हमको कई बातों का ध्यान रखना पड़ा जिससे यह कोई न कहे कि कांग्रेस के ही लोगों को पेंशनें दे दी गयीं। इसलिये हमें सोच समझ कर बांटना पड़ता है।

आरम्भ में जब यह रुपया रक्खा गया तो प्रार्थना-पत्रों के लिये एक छोटी सी म्याद रक्खी गयी थी उसमें थोड़ी सी दरख्वास्तें आयीं। बाद को और दरख्वास्तें मांगी गयीं तो शायद महंगी से मजबूर हो कर १३–१४ हजार दरख्वास्तें आ गयीं। अब हमारे सामने सवाल आया कि किसको दें और किसको न दें। इसलिये हमने शर्तें कड़ी कर दीं। एक तो यह कि १९४२ में जिसने स्वतंत्रता युद्ध में भाग लिया हो और दूसरा यह कि उसकी उम्र ५० साल हो। वह इस ख्याल से रक्खा गया कि पहले जो अधिक आवश्यकताओं वाले आदमी हैं वे इसमें आ जायं। क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, काम के लायक वह रहे नहीं हैं। इसी बात को ध्यान में रख कर हमने तीन लाख रुपये की मांग की है। अगर और जरूरत पड़ी तो चाहे यह गवर्नमेंट हो या दूसरी कोई गवर्नमेंट हो, कोई भी इसके लिये रुपया मांगने में संकोच नहीं करेगी और न माननीय सदस्यों को ही उसके लिये रुपया देने में कोई संकोच होगा, ऐसी मेरी आशा है।

आज माननीय चरण सिंह ने जैसा कहा, मेरा भी ऐसा ही ख्याल है कि सप्लीमेंटरी बजट के मौक़े पर जो मांगें उसमें होती हैं उन पर ही विचार होना चाहिये, जनरल डिसकशन जैसा कि बजट के समय होता है वैसा नहीं होना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिये जो उसके बाहर कहा गया है यद्यपि मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन जो गलती हो गयी है और माननीय गेंदा सिंह जी, विरोधीदल के नेता जिधर चले तो कर्टसी के नाते उस ग़लत रास्ते पर थोड़ी दूर तो मुझे चलना ही चाहिये। और बातों के साथ-साथ उन्होंने खासतौर से कम्प्लेन्ट स्कीम का जिक्र किया। मुश्किल यह है कि जब कभी किसी ऐसे विषय पर, चाहे वह मेरे विभाग से डायरेक्टली कंसर्न न रखता हो, कोई बात कही जाती है

तो मैं उस वक्त जब कि विरोधी पक्ष के खास-खास सदस्य बोल रहे हैं जरूर इस बात का ख्याल रखता हूं कि मैं यहां बैठ कर उनको सुनूं, लेकिन मैं जब जवाब देने खड़ा होता हूं तो शायद ऐसा नहीं होता जो मैं समझता हूं कर्टसी के नाते होना चाहिये या अगर वे सुनते भी हैं तो उन पर ध्यान नहीं देते।

कंपलेन्ट स्कीम के बारे में कई बार यह कहा गया है कि यह अभी ऐक्सपेरीमेंट ही है। अभी तो यह ६ महीने का एक बच्चा है और ६ महीने के अन्दर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इसके लिये किसी को कह सकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हां, यह मैं जरूर कहता हूं कि अच्छे आदमी और बुरे आदमी हर जगह होते हैं। कम्पलेंट आफिसरों में अच्छे भी होंगे इसको मानने में रत्ती भर सन्देह की बात नहीं है। जो मैंने लोगों से सुना वह यह कि इसका असर अच्छा हुआ है। इन कम्पलेंट आफिसर के मुकर्रर होने से कई जगह लोग डरे हैं, दबे हैं और उन्होंने अच्छा काम भी किया है। और उन्होंने जो काम किया है वह समय-समय पर अखबारों के जरिये जनता को सूचना दे दी गयी है लेकिन शायद हमारे माननीय सदस्यों की निगाह से वह नहीं गुजरी।

तो मैं आपको बतला दूं कि ३१ अगस्त तक की क्या स्थिति है। ३१ अगस्त तक इन कम्पलेंट आफिसरों के सामने ३,६८२ शिकायतें पुलिस आफिसरों के खिलाफ आयीं और ५७६ शिकायतें दूसरे विभाग के लोगों के खिलाफ़ आयीं। जिसका माने यह हुआ कि कुल ४,८५८ शिकायतें आयीं। इनमें से ३,६१४ शिकायतों की जांच वे पूरी कर चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने यह देखा कि १,०१७ शिकायतें सही हैं, और सन्दिग्ध हो सकती हैं। उसके फलस्वरूप ३० सब-इंसपेक्टर, १२ हेड कांस्टेबिल, १०२ कांस्टेबिल तो पुलिस विभाग के और ४६ दूसरे विभाग के आदमियों पर मुकदमा चल रहा है। अदालतों में फैसले हो चुके हैं और कुछ मुकदमें अदालतों में चल रहे हैं। इसके अलावा २ सर्किल इंसपेक्टर, १६० सब-इंसपेक्टर, ९२ हेड कांस्टेबिल, ३७१ कांस्टेबिल और १३२ दूसरे विभाग के आदमियों को डिपार्टमेंटल सजा दी गयी, उनके करैक्टर रोल में एंट्री हुई या उनके ऊपर जुर्माना हुआ या वे डिग्रेड किये गये। तो आप देखें कि ६ महीने में यह कोई बहुत बुरा रेकार्ड नहीं है, बल्कि काफी अच्छे रेकार्ड हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या होना चाहिये इसके लिये कोई सुझाव दिया जाय तो हम जरूर इसके ऊपर विचार करने को तैयार हैं। लेकिन ६ महीने के अन्दर जिस कदर काम हुआ है, मेरा ख्याल है कि वह कोई नामुनासिब नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—गजेटेड आफिसरों के लिये उन्होंने क्या किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वे कम्पलेंट आफिसर्स गजेटेड आफिसरों के लिये नहीं हैं। यह पहले ही बतला दिया गया था कि गजेटेड आफिसरों की संख्या बहुत थोड़ी है। उनकी बाबत अगर कोई शिकायत करनी हो तो वह आई० जी० के पास या मिनिस्टर्स के पास शिकायत की जा सकती है। गजेटेड आफ़िसरों को शिकायत सुनने के लिये कम्पलेंट आफिसर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

अब एक बात है जो बड़े दुर्भाग्य की है कि हमारे देश के लोगों में एक खास बीमारी है, यह चीज और देशों में नहीं है कि वे इस तरह का विज्ञापन करते हैं कि हम बेईमान हैं। हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के आदमी बेईमान हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी बेईमान हैं यानी हर डिपार्टमेंट के आदमी बेईमान हैं। इस तरह की बातें अखबारों में बड़ी-बड़ी हेड लाइन दे कर छापी जाती हैं कि यहां सब बेईमान ही भरे पड़े हैं। यह बात देखने में आयी है कि अगर किसी भले आदमी को भला कहा जाय तो उससे भलाई की उम्मीद की जा सकती है लेकिन उसे बार-बार बेईमान कहा जाय तो वह भी सोचता है कि चाहे जितना भी करो बेईमान ही कहा जाना फिर उसे करने में फायदा ही क्या है। इसमें मेजारिटी या माइनारिटी का कोई सवाल नहीं

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पैदा होता है। हर डिपार्टमेंट में अच्छे आदमी हो सकते हैं और हर डिपार्टमेंट में बुरे भी हो सकते हैं लेकिन यह कहना कि सब बेईमान ही बेईमान हैं मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसके सिवा आज यह भी सुनने को मिला कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के आदमी कायर होते हैं। मैंने आज तक किसी से इस तरह की बात नहीं सुनी थी। उत्तर प्रदेश के आदमी बड़े-बड़े डाकुओं का मुकाबला करते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस के आदमी हिन्दुस्तान में कई जगह जाकर बहादुरी के काम करते हैं। लेकिन इस पर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस को कायर, बुजदिल और डरपोक कहना, यह एक बहुत बड़ा लांछन है जो कतई सही नहीं मालूम होता है। और मैं इसको मानने के लिये कभी भी तैयार नहीं हूं और मुझे आशा है कि कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा।

यहां पर इस अनुदान के सम्बन्ध में काफी विचार विनिमय हुआ और सुझाव दिये गये, आप के सुझाव मेरे सर आंखों पर, मैं उन सुझावों पर जहां तक हो सकेगा अमल करने की कोशिश करूंगा और मैं आशा करूंगा कि यह सदन जिन मांगों को मैंने पेश किया है उनको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक: २८—जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक: २८—जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—लेखाशीर्षक: २९—पुलिस के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक: २९—पुलिस के अन्तर्गत १४,३२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक: ५४-क—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक: ५४-क—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें के अन्तर्गत ३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९––लेखा शीर्षक ३८–चिकित्सा, अनुदान संख्या २०––लेखा शीर्षक: ३९––जन स्वास्थ्य, अनुदान संख्या २७–– लेखा शीर्षक ४३–– उद्योग, अनुदान संख्या ३७––लेखा शीर्षक: ५६––लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना, अनुदान संख्या ४१––लेखा शीर्षक: ६३–असाधारण-व्यय, अनुदान संख्या ४२–लेखा शीर्षक: ६३–क––युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख––सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ४५––लेखा शीर्षक ७२––औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत तथा अनुदान संख्या ५०–लेखा शीर्षक ८५–क––राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष—अब नियोजन मंत्री आइटम्स १०, ११, १६, २२, २६, २७, २९ और ३१ के अन्तर्गत जो अनुदान हैं वह उपस्थित करेंगे।

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९–लेखा शीर्षक: ३८–चिकित्सा के अन्तर्गत ४,४८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०–लेखा शीर्षक: ३९–जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३,००,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७–लेखा शीर्षक :४३–उद्योग के अन्तर्गत १,५३,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७–लेखा शीर्षक : ५६–लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि–

[श्री बनारसीदास]

सरकारी छापाखाना के अतर्गत ८६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१–लेखा शीर्षक : ६३–असाधारण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२–योजना और एकीकरण–लेखा शीर्षक : ६३–क–युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख–सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५–लेखा शीर्षक ७२–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तगत २०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०–लेखाशीर्षक ८५–क–राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय ।

तो इन मांगों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि समय कम है । जवाब के दर्मियान में कुछ निवेदन करूंगा ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं । अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या १९ के अन्तर्गत चिकित्सालय बनाने के लिये जो रकम दी जा रही है –पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट का जो यह कार्य है—इसे स्वयं अब चिकित्सालय ही करेगा —मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यह नामुनासिब है । अन्धे अस्पतालों के लिये केवल कानपुर या कुछ ऐसे स्थानों के लिये कुछ रकम देने की बात सोची गई । हमारे सूबे में मैं नहीं जानता कि सरकार के पास अन्धों की संख्या है या नहीं । सरकार अगर यह व्यवस्था करती कि वह समूचे सूबे भर में कितने अन्धे हैं, कम से कम अंधों की कुछ मदद करके उनका इलाज करा देने की व्यवस्था करती तो बहुत अच्छा होता । मैं समझता हूं कि मैं इर्रिलेवेंट नहीं हूं और मैं कम से कम इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सीतापुर के डाक्टर के जरिये जो बहुत से जिलों में आंखों का इलाज करने के लिये अस्पताल खोले गये हैं वे वहां के लोगों की मदद पर आश्रित हैं । लोकल मदद से जितनी मदद होनी चाहिये उतनी हो नहीं पाती है । मैं यह कहना चाहूंगा कि उसके लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनकी मदद हो सके और अंधे लोगों का इलाज हो सके ।

अनुदान संख्या २७ के सम्बन्ध में मुझे फिर याद दिलाना है और मैं लम्बी बात इस वक्त नहीं करना चाहता । मैंने कल उस पर काफी कहने की कोशिश की थी । यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के सिलसिले में जो कुछ मैंने कहा था मैं समझता हूं कि उद्योग मंत्री जी को स्मरण होगा । मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स की तरफ से एक आफिसर जो बाहर भेजे गये हैं, कुछ सौदा करने के लिये, अब इस अवसर पर मैं यह जानना चाहूंगा कि वे कब से बाहर गये और उसके बाद से कितने सौदों की मांग हिन्दुस्तान में हुई है उन जगहों से जहां जहां वे गये थे । यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के सिलसिले में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो राय है या मैं खुद जो राय रखता हूं वह यह कि इसमें बहुत बंगलिंग है । उसमें खाने की प्रथा है । उसमें बहुत सी ऐसी गड़बड़ियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिये और उनसे यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट्स को बचाना चाहिये ताकि उसकी नेकनामी हो सके, उसका सौदा ठीक से बिक सके और खरीदारी ठीक से हो सके । मार्केटिंग आफिसर तो नियुक्त किया जा रहा है लेकिन परचेज करने वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न तो किसी आफिसर की और न किसी समिति की स्थापना करने का सरकार का विचार है । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही नामुनासिब बात है । यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट को इस बुराई से बचाने की कोशिश की जानी चाहिये । मैं इस सिलसिले में वहां के कर्मचारियों से भी यही कहना चाहता हूं कि उनको कमीशन जो उनसे मिलना चाहिये वह मुनासिब होना चाहिये और उनकी जो शिकायतें हैं वे भी रफा होना चाहिए और उनकी तरफ भी माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये ।

मैं गांधी आश्रम के सम्बन्ध में यह सोचता हूं कि अगर रुपये की कमी हो और जहां आर्थिक कठिनाई की वजह से गांधी आश्रम हमारी सेवा करने में मजबूर हो उस सेवा को पाने के लिये गांधी आश्रम की हमें अधिक सहायता करना चाहिये और उसको पैसे की कमी महसूस न होना चाहिये । दो लाख रुपया सरकार ने जो उनका कर्जा माफ किया है उसके लिये मैं उसको धन्यवाद दे सकता हूं और मैं समझ सकता हूं कि यह बहुत ही मुनासिब काम हुआ है ।

छोटे पैमाने और कुटीर उद्योग धंधों के सिलसिले में जो सरकार ने कर्जा बांटा है, काफी बड़ी मांग की गयी है उस कर्जे के बांटने में मैं शिकायत करना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी जानकारी हमारे माननीय सदस्यों को भी नहीं है कि किन लोगों को वह रुपये बांटे गये हैं, उन रुपयों के बांटने का क्या तरीका है, किन लोगों को बांटा जा सकता है, किस काम के लिए बांटा जा सकता है? यह जानकारी अगर हम को नहीं है तो सारे देश के लोगों को नहीं है । और अगर सारे देश के लोगों को जानकारी हो तो माननीय उद्योग मंत्री जी बतायें । उस बटवारे के बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें अब मालूम हुई हैं उससे मैं कह सकता हूं कि किसी एक आदमी की इच्छा के ऊपर ज्यादा निर्भर है, किसी जरूरत पर और किसी नियम पर आश्रित नहीं है ।

मैं राज्य व्यापार की योजनाओं के सिलसिले में यह जरूर कहना चाहूंगा कि इन योजनाओं को चलाने में इस बात का ध्यान कतई नहीं रखा गया । कल ही जो हाल मैंने सुनाया था अगर उद्योग मंत्री जी उसको पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष जो फसल बरबाद हुई सरकार को उसका अनुमान नहीं था । इसलिये सरकार अनाज खरीदने में मजबूर रही । अगर सरकार ने मोटा अनाज खरीदा होता तो आज यह अवस्था न होती कि पूर्वी जिलों में जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं उनको हम अनाज न दे पाते । हम अनाज जरूर दे पाते और सरकार का कोई उसमें नुकसान नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से गन्ने के सिलसिले में जरूर कुछ कहना चाहता हूं, यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो चेतावनी दी उस चेतावनी के अनुसार मुझे कुछ कहना नहीं चाहिये । उस पर कोई मांग इस बजट में नहीं की गयी है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उस विषय में आपकी आज्ञा से जरूर कुछ कहना चाहूंगा ।

हमारे देश में गन्ने का उद्योग धंधा सबसे बड़ा उद्योग धंधा है और उस उद्योग धंधे में गन्ने का ज्यादा हिस्सा गुड़ में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा चीनी बनता है । मल्ल जी ने यह

[श्री गेंदासिंह]

प्रस्ताव रखा था, ऐडजर्नमेन्ट मोशन कि हमारे सूबे में इस वर्ष ऐसी अवस्था पैदा हो गयी है कि अगर गन्ना मिलें जल्दी न पेरें, पूर्वी जिलों में गन्ना सूख रहा है, ज्यादा पानी और सूखे की वजह से। पश्चिमी जिलों में गन्ने की इतनी बहुतायत है कि पिछले साल अगस्त तक खपाया जा सका और लाखों मन गन्ना खेतों में खड़ा रह गया। आठ मई के बाद जो गन्ना पेरा गया उस गन्ने की कीमत किसी किसी मिल ने आठ आने मन तक दी है काश्तकारों को सिर्फ इतना दाम मिला है जितना गन्ने को काट कर फैक्टरी तक पहुंचाने में खर्चा होता है। यह अवस्था फिर पैदा होगी इसलिये गन्ने की मिलों को जल्दी शुरू होना चाहिये।

उसके लिए पिछले वर्ष शुगरकेन बोर्ड ने एक राय से प्रस्ताव किया था कि पंद्रह अक्तूबर से इन मिलों को चलाया जाय। मैं नहीं जानता कि अब की मर्तबा शुगर केन बोर्ड को बुलाने की क्यों कृपा नहीं की गई। उन्होंने समझा कि शुगरकेन बोर्ड में उनकी राय के विरुद्ध सलाह मिल सकती है। इसलिये उन्होंने कुछ दूसरे लोगों को बुलाया। आज ही यह बतलाया और उनसे पूछ लिया। जो कुछ भी उन्होंने सलाह दी उसके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट को वह सलाह दी है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर शुगर केन बोर्ड उन्हीं का बनाया हुआ है। सरकार नामजद करती है और उसमें अधिकांश मेम्बर सरकारी मेम्बर होते हैं। तो फिर उस शुगरकेन बोर्ड की मीटिंग से उसके फैसले से उद्योग मंत्री जी क्यों घबड़ाते हैं? पिछली मर्तबा जब गन्ने की कीमत कम करने की बात हुई तो यू०पी० गवर्नमेंट ने सलाह दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कीमत कम कर दी जाय और यह भी कहा कि गन्ने की कीमत उस हालत में भी कम रहेगी जब रिकवरी बेसिस हो जायगा। हालांकि रिकवरी साल भर की ९.६ से कम नहीं जाती है लेकिन फिर चीनी की फैक्टरियों ने गन्ने के कम दाम दिये। इन सारी चीजों पर उन्होंने बोर्ड की सलाह नहीं ली। मैं समझता हूं यह बहुत ही नामुनासिब बात है और ऐसी है कि शुगर केन बोर्ड की सलाह को या तो वह अपनी निजी राय से मिलती जुलती नहीं पाते हैं या उसको वह कोई स्थान नहीं देना चाहते।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि शुगर केन इंडस्ट्री हमारे देश का ऐसा उद्योग है जिसको सरकार की सहानुभूति और हर तरह से मदद हासिल होनी चाहिये। लेकिन मैं शिकायत करना चाहता हूं कि पिछले ४, ५ सालों से हम शुगर इंडस्ट्री की जब बात कहते हैं तो हमको शत्रु समझा जाता है और उन किसानों को भी शत्रु समझा जाता है जिन किसानों ने इस सरकार को बनाया है। और उससे हमारा पिछले वर्षों में २५ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है जिसको मैं हिसाब से सिद्ध करने को तैयार हूं। मैं आज भी कहता हूं कि मिल चलवाने की कोशिश करें और उनका जो उचित हिस्सा है उसको दिलाने की चेष्टा करें। यू० पी० सरकार इसमें कामयाब होगी। केन्द्र की सरकार उसको नहीं रोक सकती।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान विभिन्न मदों को लेकर माननीय उद्योग मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो अभी हाल में कुछ पूंजी बांटी गई है उद्योग के विस्तार के लिये, कर्ज के रूप में, उसके सम्बन्ध में जो कुछ कहा और सरकार पर हल्का सा एक आक्षेप करने की कोशिश की, वह न तो आवश्यक ही था और न ऐसी बुनियाद पर ही खड़ा है, जिस बुनियाद को सही माना जाय।

यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब से इस प्रदेश में उद्योग मंत्रणालय का भार मुन्शी जी के कंधों पर आया तब से इस प्रदेश में एक हलचल सी उद्योग के विस्तार के सम्बन्ध में हुई, इसको मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्योग की विभिन्न दिशाओं में अनेकानेक काम हुए हैं। केन्द्र का ध्यान हमारे प्रदेश की तरफ गया, इसको भी मानने से कोई इनकार

लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा, अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य, अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग, अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यमकर्ष पूरक सुरक्षित निधि—सरकारी छापाखाना, अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय, अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत तथा अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर जीपूं की लागत

नहीं कर सकता। और जिस तरह निजी पूंजी के क्षेत्र को भी आकर्षित किया गया, उद्योग के विस्तार के लिए, इसको भी कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता। यह तो ऐसा सत्य है जिससे आंखें बन्द नहींकी जा सकतीं। हां, कैसे और किस विधान से रुपया दिया गया वह उन लोगों की जानकारी में है जो निजी पूंजी के क्षेत्र के प्रसार तथा नियोजन से संबंधित हैं और जो उद्योग को चलाने और विस्तार से दिलचस्पी रखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस भवन के सभी आदरणीय सदस्य हमारे यहां के विभिन्न उद्योगों में कितनी पूंजी लगे, कौन उद्योग हो सकते हैं, इन सबकी जानकारी रखें, यह मैं नहीं मानता। क्योंकि भवन में सब इंडस्ट्री के ऐक्सपर्ट्स तो हैं नहीं। लेकिन जिन लोगों का उन बातों से सम्बन्ध था वह अपने विचारों को और अपनी आवश्यकताओं को सरकार के सामने लाये और सरकार के ऐक्सपर्ट्स ने देखा और उसे मंजूर किया। और उसी आवश्यकता के आधार पर उन लोगों की स्वयं अपनी पुरानी जो परम्परा थी, उनका उद्योग के साथ जो सम्बन्ध था, उसको देखते हुए भविष्य में प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के परामर्श से उसके बाद उन उद्योगों को मंजूर करने की बात की गई और ऐसी योजनाओं के लिये धन दिया गया जिनकी आवश्यकता हमारे प्रदेश को थी। मैं नहीं समझता इससे अधिक और सफाई से क्या यह सरकार कर सकती थी। और वह तीन करोड़ जो रुपया दिया गया वह कितना टर्न ओवर करेगा यह भी देखना चाहिये। इसको नजरअंदाज करना हमारे सारे काम पर एक परदा डालना होगा, जो कि मुनासिब नहीं होगा।

जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी इशारा किया था कि सप्लीमेन्टरी बजट के ऊपर बहस के समय कोई उसूल की बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिये। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। औद्योगीकरण के साथ आपको नये ऐक्सपर्ट्स स्टेट की इंडस्ट्री को चलाने के लिए आवश्यक होंगे। तो इंडस्ट्रियल सर्विस का जो केडर जरूरी होगा उसको तैयार करने के लिए प्रदेश की सरकार को भारतीय सरकार की तरह भी निश्चित रूप से कोई कदम जल्द उठाना चाहिये था। वह अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़ा, न इस सप्लीमेंटरी के द्वारा और न पहले ही। मैं आशा करता हूं कि उस कार्य की तरफ भी सरकार ध्यान देगी। इसमें देर न की जायगी।

दूसरे यह कि जितना भी रुपया मंत्री जी खर्च करना चाहें वह कम होगा, लेकिन उस रुपये का सदुपयोग हो सके उसके लिये आवश्यक है कि हमारा जो इंडस्ट्रीज का डायरेक्टोरेट है, हमारा जो सेक्रेटेरियट है उसमें कुछ एकसपर्ट ऐडवाइजर्स हों या एक्सपर्ट्स के हाथ में वह कर दिया जाय। हमारे यहां अधिकांश लोग आई०ए०एस० के हैं और वही सब मर्ज की दवा समझे जाते हैं। मैं समझता हूं कि वह इंडस्ट्रीज के काम को समझते नहीं हैं और बहुत सारे उनमें ऐसे होते हैं कि छोटी मोटी बातों को भी नहीं समझ पाते जिससे कि काम के आगे बढ़ाने में दिक्कत होती है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर भी जायगा।

सिर्फ एक बात और अन्त में कहना चाहता हूं और वह यह कि हमारे मंत्री जी ने एक अनुदान द्वारा गवर्नमेंट प्रेस के लिए ८६ हजार रुपया मांगा है। बात गवर्नमेंट प्रेस की है इसलिये मैं जरा कहने में हिचकिचाता भी हूं क्योंकि माननीय गुप्ता जी सोचेंगे कि जब देखो तब

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

गवर्नमेंट प्रेस की बात करता है। ८६ हजार रुपये की छपाई के लिए जरूरत पड़ेगी, कागज खरीदना पड़ेगा, इसलिये सरकार ने वह मांग की है। मैं, अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो कल एक घंटे का समय निकाल लें, इसी ऐशबाग के गवर्नमेंट प्रेस में दिखा सकता हूं कि वहां कई मशीनें ऐसी हैं जो कि आटोमेटिक मशीनें थीं जिनमें कागज खुदबखुद लग जाना चाहिये था, जिनका आउटटर्न १ हजार या दोहजार हर घंटे में होना चाहिए था, वह हाथ से चलायी जा रही हैं और जिस दिन से आयीं उस दिन से ऐसी चलाई जा रही हैं और ७५० कागज हर घंटे में छपकर निकलता है। मैंने हिसाब लगाया पिछले पांच सालों की छपाई का, उसको अगर देखा जाय तो ३ लाख ४२ हजार रुपये की लागत की छपाई का नुकसान केवल इस कारण से हुआ कि आटोमेटिक मशीन को हम आटोमेटिक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सके। इसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं गुप्ता जी का ध्यान फिर उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह प्रेस के लिये रुपया लें, जरूर लें, लेकिन इसका आगे विस्तार करने के पहले इस बात पर विचार कर लें कि क्या उन्हें जो सामग्री मिली हुयी है उसका पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मुझे बहुत दुख है कि अन्न मंत्री जी ने मोटे गल्ले को इकट्ठा इस प्रदेश में नहीं किया है। श्रीमन्, मैं बहुत ही कड़े शब्दों में इसका विरोध करना चाहता हूं। प्रदेश में अभावग्रस्त क्षेत्र काफी तादाद में हैं और जिसके बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर अगर बाहर से अन्न न मंगाया जाय तो वहां पर काम न चले। लगातार इस प्रदेश में पहाड़ों और पूर्वी जिलों में और इस साल, श्रीमन्, पश्चिमी जिलों में भी जो प्रकृति का प्रकोप हुआ है उसके कारण तो मैं समझता हूं, श्रीमन्, इस प्रदेश में लगभग १ करोड़ ऐसे आदमी हैं जिनको दोनों वक्त अन्न की जरूरत है खरीदने की और ऐसे गाढ़े वक्त में जब कि प्रदेश में आधे से ज्यादा भाग में भीषण बाढ़ का प्रकोप रहा है और सारी फसल बरबाद हो गई है, लोगों के घरों में उपवास हो रहे हैं, सरकार मोटे गल्ले की दूकानें खोलने में बिलकुल असमर्थ है। सरकार की ओर से, श्रीमन्, गेहूं की दूकानें कुछ खोली गयीं। हर एक जिले में, श्रीमन्, मुझे जानकारी है १२-१४ दूकानें हैं जिले भर में जो ९९ फीसदी शहरों में हैं। मैं ऐसे मौके पर आप के द्वारा अन्न मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक करोड़ आदमी जो अन्न बिना आज परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करने का आप क्या उपाय कर रहे हैं?

मेरा ख्याल है, श्रीमन्, जैसा उन्होंने आज सवालों के वक्त में बताया उनके पास मोटा गल्ला नहीं है। और वह इन्तजाम करना चाहते हैं नई फसल जब होगी तब। नयी फसल सारे प्रदेश में जो खरीफ की होने वाली है उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को जानकारी हासिल करनी चाहिये कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं इस गवर्नमेंट पर खासतौर से यह तोहमत डालना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एक करोड़ लोग जो फाका कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार अगर मोटे गल्ले की दुकानें नहीं खुलवायेगी तो हमारे प्रदेश में भुखमरी की समस्या बढ़ जायगी। वह समस्या शुरू हो गयी है और बहुत से जिलों में भुखमरी हुई है। देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर से मरने की खबर आई है। कई ऐसे स्थान हैं जहां लोग भूख से मर रहे हैं। मैं बहुत नाराजगी जाहिर करता हूं कि सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिये था। माननीय अन्न मंत्री जी ने गैर-जिम्मेदारी से काम किया है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अस्पतालों के बारे में। अस्पतालों के लिये कोई नियम, कोई आधार नहीं है कि कहां खोले जाने चाहियें और कहां नहीं। मंत्री जी के पास जहां से मजबूत सिफारिश पहुंचती है वहां अस्पताल खुल जाता है। दो मील, तीन मील, १० मील के फासले का कोई आधार नहीं। एक दो बार नहीं, कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऐलान किया है कि ५ मील के अन्दर एक से अधिक अस्पताल नहीं खुल सकता है, लेकिन

हमें जानकारी है कि तीन मील के अन्दर, जहां कोई आवश्यकता नहीं है अस्पताल खुल गये हैं। अपने जिले में बाजार गोसाईं एक कस्बा है वहां ५ मील के अन्दर कोई अस्पताल नहीं है। वहां के लोगों ने सिफारिश की, पैसा दिया, मुफ्त जमीन दी, लेकिन नहीं खुला और दूसरे लोगों ने कोशिश की और खुल गया। एक मझवारा गांव है जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, सामुदायिक कमेटी ने सिफारिश की और इमारत के लिये जमीन मुफ्त दी। कहा गया था कि ७ हजार रुपये और जमीन होनी चाहिये। वहां की जनता ने ७,००० रुपया माननीय फूल सिंह, उपमंत्री जी के कर-कमलों में रख दिया और जिला मैजिस्ट्रेट, आजमगढ़ ने शिलान्यास किया, लेकिन एक साल से ज्यादा जमाना गुजर गया है अभी उस अस्पताल की कोई चर्चा नहीं है। मेरे पास विभाग की चिट्ठी आई है कि वह इस साल नहीं बन सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है। हमने इसमें कटौती का प्रस्ताव भी रखा है कि सरकार इस ओर गौर करे और सर्वे कराये कि कहां-कहां पर अस्पतालों की आवश्यकता है। एक परम्परा कायम करनी चाहिये, सिफारिशों के आधार पर काम नहीं होना चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं आप के जरिये से कि प्लानिंग विभाग का काम जो राष्ट्रीय सेवा खंड के रूप में परिवर्तित हो गया है उसमें बहुत पक्षपात होता है। उसमें बहुत से क्षेत्र बनाये जाते हैं और औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाते हैं। सामुदायिक योजनाएं जहां चालू हैं उन क्षेत्रों की क्या गति है? जो योजनायें चालू थीं उनको कैसे चलाया जायगा। सरकार की ओर से, इस अनुदान में इसके लिये कोई स्थान नहीं है। मैं इस मौके पर निवेदन करूंगा माननीय नियोजन मंत्री से कि उन स्थानों को भी देखें कि जो योजनायें चलायी गयी थीं, क्या वहां के लोगों की आवश्यकताएं खत्म हो गयीं। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि जिस आदमी को आप रास्ता दिखाते हैं वह अगर रास्ता देखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आपको सहूलियत देनी होगी। और यह इसका नतीजा है कि सामुदायिक योजनाओं में लोगों की आवश्यकतायें बढ़ीं, काम करने की इच्छा हुई आवश्यकता के अनुसार, लेकिन इस बजट के जरिये उनको कोई प्रोत्साहन देने का स्थान नहीं है।

श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ फिर नम्र निवेदन करूंगा कि मोटे सस्ते गल्ले की दुकानों के सम्बन्ध में ध्यान देने की जरूरत है और गेहूं की दुकानें जो खोली गयी हैं उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं भी कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अफसोस तो यह है कि बड़े-बड़े अनुदान जिनको कि माननीय मंत्री जी ने इस समय प्रस्तुत किया है उन तमाम अनुदानों पर शायद आप की विशेष अनुकम्पा से मुझे ५–७ मिनट का समय मिल जायगा?

श्री अध्यक्ष—५ मिनट। आपने ही निश्चय किया था।

श्री राजनारायण—इस समय मैं उद्योग को ही पहले लेना चाहता हूं। मैं इस निश्चित मत का हूं कि यह सरकार जिस प्रकार से उद्योग का विकास करना चाहती है उससे

[श्री राजनारायण]

नहीं हो पायेगा। केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कुछ सरकारी कर्जा दे कर अगर सरकार चाहे कि निजी उद्योग-धंधों को विकसित कर के राष्ट्र का निर्माण हो तो यह असम्भव है। सरकार के नियन्त्रण में जो उद्योग चल रहे हैं, उसमें कर्मचारियों की क्या हालत है, वहां जो उद्योग में संलग्न हैं उनकी क्या हालत है, उनके बारे में सरकार वही नीति अख्तियार कर रही है जो कोई पूंजीपति व्यक्ति या पूंजीवादी सरकार करती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मंत्री जी के इस उद्योग विभाग के अन्तर्गत केवल एक ही चुर्क सीमेंट फैक्टरी चल रही है। उसकी क्या दुर्दशा है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है और उनके साथ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स नहीं बरते जा रहे हैं। मैंने मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, लेकिन वह निष्फल गया।

सरकार को उद्योग के बारे में देखना चाहिये। बनारस में एक काटन मिल है या अभी सुबह शुगर मिल का जिक्र आया। मैं तो इस निश्चित मत का हूं कि जिन मिलों को सरकार आसानी से ले सकती है चाहे हाई कोर्ट के द्वारा पट्टेदार बन कर के या किसी भी तरह से यदि सरकार को लीज मिल सके तो वह उसको लेनी चाहिये। सरकार का भी काफी पैसा बकाया रह जाता है, मजदूर का रह जाता है और बेचारे गरीब काश्तकारों का रह जाता है। इन तमाम बातों के बावजूद सरकारी संरक्षण में एक पूंजीपति किस तरह से उद्योग चलाना चाहता है? और उसका प्रतिपोषण सरकार क्यों करती है? सरकार अभी उद्योग की ऐसी नीति नहीं बना पाई है जिसमें सरकार के साथ-साथ पब्लिक का डायरेक्ट कनसर्न (सम्बन्ध) हो, जनता के नियंत्रण में हो, मजदूर अपने को एक हिस्सेदार समझे और उसका मैनेजमेंट में अधिकार हो। चाहे वह हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे पावर लूम हो। अगर इस बारे में देखा जाय तो जिस तरह से हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के बारे में अव्यवस्था है, उसके सम्बन्ध में मैंने लिखित शिकायतें की हैं। यह ठीक है कि कुछ जगहों पर जांच-पड़ताल हुई है मगर जैसी चीज हो रही है और जिस तरह से काम हो रहा है उसमें सत्य का पता नहीं चल पा रहा है और सत्य को छिपाया जा रहा है उन कर्मचारियों के बारे में यदि मंत्री जी से कहा जाता है तो वह अपनी लाचारी बता देते हैं। वह कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में हमारा डायरेक्ट हिसाब-किताब उनके साथ नहीं रहता है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि दिन-प्रति-दिन कामों में मंत्री जी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यह ठीक है लेकिन यदि कर्मचारी किसी चीज को छिपा रहे हैं हों तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जनता की जो सही शिकायतें हैं वह अच्छी तरह से प्रकाश में आयें और उन पर न्याय हो पाये।

श्रीमन्, मैं हर हालत में इस चीज को कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे यहां जितने उद्योग हैं उनमें से छोटे-छोटे-धंधों उद्योग के विकास की व्यवस्था हो पूर्णतया उनको समाज के हाथ में देने की योजनायें कार्यान्वित हों और जीवनोपयोगी सामग्री तैयार करने वाले उद्योग जो हैं यह बहाना नहीं करना चाहिये कि यह विषय केन्द्रीय सरकार का है। इसके लिये प्रादेशिक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हमारे यहां स्टील की कमी है। इसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार क्या व्यवस्था करती है? जैसे प्राचीन काल में भट्टियां बनती थीं उसी तरह से से उन भट्टियों को बढ़ाकर काफी मात्रा में बना कर स्टील बनाने की व्यवस्था स्वीकार क्यों नहीं करती है? इसके लिये कई मर्तबा हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, सोशलिस्ट पार्टी ने ध्यान आकर्षित किया है लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। जहां तक उद्योग धंधों का सवाल है, बनारस को लीजिये। वहां का रेशम का उद्योग-धंधा, साड़ी का उद्योग धंधा बिलकुल बर्बाद होता चला जा रहा है। वहां के साड़ियों के बनाने वाले जो खास कर अंसारी लोग बुनकर हैं उनके लिये सरकार की तरफ़ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है।

मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, जैसी कि आप ने सुबह हिदायत की थी, अब आप की आज्ञा पालन करने के लिये मैं आप से थोड़ा सा समय चाहूंगा। आज सुबह मैंने

एक काम रोको प्रस्ताव रखा था और वह होमियोपैथिक मेडिसन बोर्ड के सम्बन्ध में था। उसने एक व्यवस्था की है जिसके द्वारा प्राइवेट लोग परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मैं जानना चाहता हूं क्या होमियोपैथिक साइन्स को यह सरकार मानती है या नहीं? अगर वह साइन्स है तो उसकी परीक्षा प्राइवेट तरीके से भी दी जाय और उसका कालेज भी चले, ये दोनों चीजें असंगत हैं। कहीं महामारी फैलती है या अब बाढ़ में महामारी फैल गयी तो मुझे अफसोस होता है जब कि माननीय उद्योग मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सदन में यह कहते हैं कि यह महामारी तो हमारे पुराने शेड्यूल में नहीं आती थी क्योंकि यह हैजा है नहीं यह कोई पेचिश की दूसरी बीमारी है। लोग मर रहे हैं, पेट की खराबी से मर रहे हैं और साधारण तरीके से कहा जा सकता है कि वह हैजा है मगर यह बारीकी की जा रही है। तो यह बारीकी जन-स्वास्थ्य के साथ नहीं की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--आप का समय समाप्त हो गया।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, असल में मुझे उत्तर बहुगुणा जी को देना है। उन्होंने बड़ा उपकार किया कि जो मैं बड़े कर्जों को भूल गया था उसको याद दिलाया। जो पिछले तीन करोड़ के बड़े कर्ज दिये गये थे उसके बारे में मैंने कल ही कहा था कि उनका बड़ा दुरुपयोग हुआ है और बहुगुणा जी को भीतर की बातों में जाना चाहिये। जब वे उसमें जायंगे तब उन्हें मालूम होगा कि उसके पीछे क्या खेल है। मैं आज भी कहता हूं कि अगर उन कर्जों का उपयोग नहीं हो रहा है तो यह सरकार का बड़ा भारी अपराध है और उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। पिछले मार्च से वह रुपया बेकार पड़ा है और ऊपर से हमसे कहा जा रहा है कि बाजपुर फैक्टरी के लिये भी २० लाख रुपये दे दो। वह सन् ५८ में चलेगी या किस वक्त चलेगी और कितनी मशीनरी खरीदी जायगी। जो मशीनरी खरीदी जायगी वह हैंडीक्राफ्ट्स की तरह खरीदी जायगी या सचमुच ऐसे ढंग पर होगी कि उसमें हमें कुछ मुनाफा मिल सके। यह बड़े शुबहे की बात है। और जब हम शेयर खरीदते हैं, बाजपुर फ़ैक्टरी में तो यह देखना चाहिये कि जो मशीनरी बिठायी जा रही है उसमें कमीशन लिया जा रहा है या नहीं? अगर लिया जा रहा है तो कितना और कौन ले रहा है? पुराना कर्जा सरकार ने बिना समझे बूझे लोगों को दिया है और उसकी सफ़ाई अब तक नहीं हो पाई है। मैं माननीय बहुगुणा जी को भी कहूंगा कि उसकी सफ़ाई वह करा लें।

राजनारायण जी को भी थोड़ा जवाब देना मेरे लिये जरूरी हो गया। बिल्कुल सही उन्होंने कहा चुर्क सीमेंट फैक्टरी के बारे में और उसमें प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स फ़ैक्टरी को भी जोड़ लें। मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड में जो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री हैं उसका सीधा कंट्रोल पार्लियामेंट की कमेटियों के जरिये है। मैं कहता हूं कि माननीय गुप्ता जी डेमोक्रैट हैं। क्या वे इस बात के लिये तैयार हैं कि चुर्क और प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स फ़ैक्टरीज को इस सदन के चार, पांच सदस्यों को दिखायें? लेकिन मैं जरूर शामिल रहूंगा उनमें। आप भी रहें श्रीमन् उसमें तो अच्छा है, लेकिन मैं जरूर रहूंगा। मैं कहता हूं कि मैं सारे पापों का भंडाफोड़ कर दूंगा। लेकिनवे तैयार नहीं होंगे इसके लिये। माननीय गुप्ता जी महाराज

[श्री गेंदासिंह]

आज कहें इस सदन के सामने कि वे तैयार हैं हमारे साथ चुर्क सीमेंट फैक्टरी में चलने को। क्या वे हमारे साथ चुर्क सीमेंट फैक्टरी चलने को तैयार हैं ? तो फिर मैं सारी बुराइयां दिखाऊं। मैं राजनारायण जी को विश्वास दिलाता हूं कि वे अब भी चुर्क सीमेंट फैक्टरी का कोई भला नहीं कर सकेंगे। फिर कोई जमाना आयेगा जब हम सब मिल कर भला कर सकेंगे और करेंगे।

श्री राजनारायण—हम विश्वास करते हैं कि हम करेंगे।

श्री गेंदासिंह—अच्छा तो ठीक।

मोटे अनाज के सम्बन्ध में मैं फिर दोहराता हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के सम्मान के विरुद्ध यह बात समझता हूं कि इस पुस्तिका में यह छपे। वे अपनी राज्य व्यापार योजनाओं को जरा पढ़ें। मैंने कल भी इसे कहा था और आज भी दोहराता हूं। इस वक्त उन्हें स्वतः जवाब देना होगा। यह लिखा गया है कि "चालू वर्ष के बजट में तखमीनों को तैयार करते समय इस बात का पूर्वानुमान नहीं किया जा सका कि गत वर्ष फसलों को क्षति पहुंचने के कारण खाद्यान्नों के भाव अत्यधिक बढ़ जायंगे।"

श्री अध्यक्ष—अगर कोई बात स्वीकार कर ली जाती है सत्यता से तो उसमें क्या बुराई है ?

श्री गेंदासिंह—अगर ऐसी आदत हो तो मैं उसका स्वागत करूंगा और जब आदमी गलती कबूल करता है तो उसके बाद वह आगे के लिये सतर्क हो जाता है और वह दूसरों की सलाह पर विश्वास करने लग जाता है, लेकिन आगे को जानते हुये गड्ढे में गिरे तो वह तो बैल भी नहीं गिरता है आदमी तो आदमी है। खैर, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अब वह लोगों को भूखा न मारें, अब तो मोटा अनाज दे कर लोगों की जान बचायें। आज जो अनाजों के भाव चढ़े हुये हैं और जो हम पैदा करने वाले हैं उनको भी आज ज्यादा कीमत देकर खरीदना पड़ता है। स्वयं सबेरे उन्होंने कहा कि उनको भावों वगैरह की जानकारी नहीं रहती। मैं तो चाहता हूं कि कुछ चार्ट होना चाहिये कम से कम अन्न मंत्री जी के कमरे में जिसमें यह लिखा रहे कि हर हफ्ते में प्रदेश की मुख्य-मुख्य मंडियों में किस-किस रेट पर अनाज बिक रहा है। और अगर यह हो तो प्रदेश का बड़ा भला हो सके।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, थोड़े समय में मेरे लिये यह सम्भव नहीं होगा कि जितनी बातें विभिन्न अनुदानों के विषय में इस सदन में उठाई गई हैं उन सब का उत्तर दे दूं परन्तु गेंदा सिंह जी की कुछ बातों का उत्तर देना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—आप चार बीस तक बोल सकेंगे।

श्री राजनारायण—आप, अध्यक्ष महोदय, इनको चार सौ बीस क्यों बना रहे हैं।

(हंसी)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तो सब बातों का तो जैसा मैंने कहा उत्तर देने में मैं असमर्थ रहूंगा। इस समय दो चार बातें जिनकी तरफ सदन का ध्यान श्री गेंदासिंह जी ने आकर्षित कराया है, उन बातों के सिलसिले में मैं अवश्य कुछ चर्चा करूंगा। उन्होंने उद्योग विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं थी और हैंडीक्राफ्टस के विषय में कुछ बातें कहीं और उन्होंने वहां की फिजूलखर्ची के सिलसिले में कुछ सदन के सामने कहा और वहां के एक व्यक्ति के बाहर भेजे जाने के विषय में बातें कहीं जो विदेश में अभी एक एक्जीबीशन के सिलसिले में भेजे गये हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जहां तक उस व्यक्ति के भेजे जाने का सम्बन्ध है उसको तो वहां भेजना चाहिये ही था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये छोटे छोटे गृहउद्योग पनपें जो हमारे प्रदेश की खरीद की चीजें हैं बाहर के देशों में भेजी जा सकें वहां उन्हें लोग खरीद सकें, इस्तेमाल कर सकें तो इस बात की आवश्यकता है कि किस-किस प्रकार के उद्योग, गृहउद्योग, विदेशों में चलते

हैं, किस प्रकार की चीजें वहां लोग पसन्द करते हैं, वहां कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनके विषय में हमारे पास जानकारी होनी चाहिये और वह व्यक्ति जो कि दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से हैन्डीक्राफ्ट्स इम्पोरियम को देखता है उससे क्या कोई उत्तम व्यक्ति हम और ढूंढ सकते थे जिसे विदेशियों की रुचि के बारे में दिल्ली में रहते हुये काफी जानकारी थी। ऐसे व्यक्ति जो विदेश में जा कर वहां उन देशों में किस-किस प्रकार के गृह उद्योग चल सकते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, अगर वह इसके लिये भेजे जाते हैं तो मैं नहीं जानता कि कैसे यह बात आपत्ति का विषय बन सकती है। मेरे साथी विरोधी दल के नेता उद्योग-धंधों में नहीं रहे हैं, परन्तु जो लोग उद्योग-धंधों में रहे हैं, जिन्हें उनकी जानकारी है और जो उद्योग-धंधों को फैलाने का कार्य करते हैं वह जानते हैं कि उद्योग-धंधों में लगे हुए व्यक्तियों को लोगों को टेस्ट इत्यादि की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है और तब वह विभिन्न प्रकार के उद्योग-धंधों को फैलाने और चलाने की चेष्टा करते हैं। फिर जहां तक इस हैन्डीक्राफ्ट्स के प्रसार का विषय है केन्द्रीय सरकार और उसका हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड स्वतः चाहता है कि वह हमारे इन उद्योग-धंधों को फैलाने के लिये प्रत्येक प्रकार की सहायता करे। अभी परसों, नरसों ही १०,००० रुपया उन्होंने इस कार्य के लिये स्वीकृत किया है कि हम ऐसे एक व्यक्ति को अपने बीच में रखें कि जो विदेशी टेस्ट (taste) इत्यादि की जानकारी रखते हुये इन उद्योग-धंधों को फैलाने की कोशिश करे। तो यह तो मामूली तिजारत का कायदा है और यदि उस कायदे को अपनाते हुए हम किसी व्यक्ति को उस जानकारी को प्राप्त करने के लिये भेजते हैं तो यह हमारा कार्य आपत्ति का विषय नहीं बन सकता। हां, सिर्फ यही कह सकते हैं कि चूंकि तिजारत की जानकारी हमारे विरोधी दल के नेता जी को नहीं है इसलिये अनजान में हमारा एक व्यक्ति को घरेलू उद्योग धंधों का फैलाने के लिये बाहर भेज देना आपत्ति का विषय हो गया, वैसे हमने कोई गुनाह नहीं किया।

उन्होंने लोन्स और ग्रान्ट्स के विषय में आपत्ति की और कहा कि एक आदमी के मनमाने ढंग से यह सब बांटा जाता है। शायद उनको लोन्स और ग्राउन्ट्स किस तरह से बांटे जाते हैं उसकी प्रथा का परिचय नहीं है। लोन्स और ग्रान्ट्स के विषय में डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के यहां अर्जियां आती हैं। वह अर्जियां उन अधिकारियों द्वारा जांची जाती हैं जो उन उद्योग धंधों के विषय में कुछ जानकारी रखते हैं और उसके बाद वह अर्जियां उस कमेटी के सामने उपस्थित की जाती हैं जो उन उद्योग-धंधों के अन्दर जाकर निर्णय लेती हैं कि किन उद्योग-धंधों के लिये और किन-किन स्थानों के लिये लोगों को ऋण और अनुदान देना चाहिये। उनका यह कथन सत्य नहीं है कि कोई व्यक्ति अलावा उस कमेटी के विश्वास में नहीं लिया जाता है। मैं सदन के द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनका कथन सत्य से परे है क्योंकि जो लोन्स और ग्रान्ट्स बांटे जाते हैं वह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड जो बना हुआ है उसके समक्ष जाते हैं। वह स्टैंडिंग कमेटी, जो हमारे इस हाउस की है और जो उद्योग धंधों से सम्बन्ध रखती है उसके सामने भी जाते हैं और अब तो हम यह भी आदेश कर चुके हैं कि जिस व्यक्ति को जिस जिले में उद्योग-धंधों के लिये रुपया मिले उसकी जानकारी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास भेजी जाय और उन ऋणों और अनुदानों को देने के विषय में भी हमने यह नियम कर दिया है कि कम से कम जितनी धनराशि हम ऋण और अनुदान के रूप में देने के लिये रखेंगे एक वर्ष के अन्दर, उसकी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

पचास प्रतिशत धनराशि ऋण और अनुदान के रूप में जिला नियोजन समिति की सलाह से बंटेगी। तो यह कथन की हम उसे छिपाना चाहते हैं लोगों से, या कोई एक व्यक्ति उनके विषय में निर्णय करता है, यह उन के लिये एक भूल की सी बात है। हां, उनकी नजर के सामने एक व्यक्ति बना रहता है, तो वह व्यक्ति तो बहुत जमाने से बना हुआ है उनके सामने आइन्दा कुछ समय तक भी आने वाले समय में बना रहेगा, और यदि वह व्यक्ति ऐसा बन गया है कि जो कुछ उसका विभाग करे, जो कुछ उसके और साथी करें, जो कुछ कमेटियों के सदस्य करें वह सारा कार्य उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही किया हुआ समझा जावे तो मैं उनसे सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस भूत को अगर वह अपने मस्तिष्क से निकाल दें तो ज्यादा अच्छी तरह से वे इस बात को देख और जान सकेंगे कि जो धन का वितरण होता है वह किस ढंग से होता है। यदि हम कुछ चीजों को सामने रखकर मनमाने ढंग से और मनगढंत से उनकी व्याख्या करें तो इस प्रकार की व्याख्या से काम नहीं चल सकता है और न हमारे बीच में सचाई की परम्परा कायम हो सकती है।

उन्होंने यह आपत्ति भी उठायी कि हमने मोटा गल्ला क्यों नहीं खरीदा। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि मार्च के महीने में हम यह चाहते थे कि हम मोटा गल्ला खरीदें और हमने केन्द्रीय सरकार की अनुमति चाही। केन्द्रीय सरकार ने मना किया कि हम बाजार में न जायं। वह समझते थे कि जैसे ही हम सरकार द्वारा गल्ला खरीदने का काम प्रारम्भ करेंगे कीमत बढ़ जायगी और केन्द्रीय सरकार बाहर से गल्ला कीमतों को घटाने के सिलसिले में मंगा रही थी। तब उन्होंने मना कर दिया कि सरकार खरीदारी न करे। हमारे लिये और कोई चारा नहीं था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि सरकार की नीति यह है कि ऐसे प्रदेश के लिये जो कि इतना लम्बा-चौड़ा प्रदेश है जहां पर समय-समय पर बहिया आती है, जहां पर समय-समय पर अतिवृष्टि हो जाती है और जहां पर समय-समय पर सूखा पड़ जाता है रिजर्व स्टाक अवश्य वहां रहे। अब कई वर्षों से तमाम नियंत्रण का अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। जब वह अपनी किसी चीज के लिये इच्छा प्रकट करेगी तब कार्य आगे बढ़ेगा और अगर वह किसी चीज के लिये इच्छा प्रकट नहीं करती है तो आगे कार्य नहीं बढ़ पाता। इसमें प्रदेशीय सरकार का दोष नहीं कह सकते क्योंकि प्रदेशीय सरकार जरूर चाहती थी कि गल्ला खरीदे और रिजर्व स्टाक बनाये और जब उसकी आवश्यकता हो तब उसका इस्तेमाल करे। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष बहिया उत्तर प्रदेश में आती है और कैबिनेट दूरदर्शिता से काम करना चाहता है परन्तु हमारे दुर्भाग्य से हमको केन्द्रीय सरकार ने आज्ञा प्रदान नहीं की कि हम काफी मात्रा में गल्ला बाजार से खरीदे लें इस वजह से हम गल्ला खरीद नहीं सके।

जहां तक गन्ने के मिलों के चलने का विषय है मैं आज सवेरे इस विषय में सदन के सामने अपनी बातें रख चुका हूं और बता चुका हूं कि प्रदेशीय सरकार सजग है और वह चाहती है कि यह गन्ना मिलें जल्दी चलें। हम यह भी चाहते थे कि शुगर कंट्रोल बोर्ड की बैठक हो जाय, और वह इस पर विचार कर ले लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस सवाल के निर्णय पर बहुत समय ले लिया। जब गवर्नमेंट आफ इंडिया के खाद्य मंत्री ने इस बात की सूचना दी कि उन्होंने कुछ निर्णय लिये हैं तो हमने उनसे यह निवेदन किया कि हम शुगर कंट्रोल बोर्ड की बैठक शीघ्र ही बुलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उसके बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यह मसला तो सिर्फ पश्चिमी जिलों की मिलों का है और वहां के उत्पादकों का मसला है इसलिये वहां के उत्पादकों और पश्चिमी जिलों के मिलमालिकों से बातें करनी चाहिये। यह भी उन्होंने कहा कि यह फैसला ८ तारीख तक मिल जाना चाहिये। हमने बिहार सरकार से कहा कि कंट्रोल बोर्ड की बैठक बुलानी चाहिये। तो उन्होंने कहा कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारे यहां कोई इस प्रकार का प्राब्लम नहीं है। इसलिये वे जल्दी बैठक में नहीं आ सकते हैं। तो अब मजबूरी थी हमने फिर चन्द मिलमालिकों को जो पश्चिमी मिलों के थे उनको बुलाया और उत्पादकों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे बातें करनी चाहीं। उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने रखीं और उन तमाम बातों का निष्कर्ष जो था वह हमने केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया है।

अभी २०–२५ मिनट हुये गवर्नमेंट आफ इंडिया के खाद्य मंत्री से बातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने अपनी योजना उनके पास भेजी है उन्होंने उस पर विचार कर लिया और वह कल इस विषय में घोषणा कर देंगे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदेशीय सरकार कोई सोई हुई नहीं है। उसे बराबर इसकी चिन्ता है कि अधिक मात्रा में पैदा हुये गन्ने की समस्या हल की जाय। हम आशा करते हैं कि जो योजना हमने सबकी सलाह से केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है वह मंजूर की जायगी यद्यपि सरकार को उसके तहत में कार्य करने से काफी घाटा होगा। फिर भी हम किसानों के हित में वह करने के लिये तैयार हैं। जब अप्रैल में यहां इस विषय की चर्चा हुई तब हमने कुछ वचन दिये थे।

अभी एक आपत्ति जो कि श्री गेंदासिंह जी ने नहीं उठाई बल्कि बहुगुणा जी ने कुछ चर्चा की और उसके उत्तर में श्री गेंदा सिंह जी ने बताया कि बड़ा भारी रहस्य है जो हमने पूंजीपतियों को रुपया विभिन्न उद्योगों के लिये दिया है, वह कभी छपा तो बहुत लोगों को आश्चर्य पैदा कर देगा। मैं अदब से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का लांछन न तो हमारे विरोधी दल के नेता को और न उनके पद को शोभा देता है और न कार्य में यह सहूलियत पैदा करता है। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार भी हमारे बीच में विभिन्न उद्योगों को लगावे। हमारी नीति है कि जो सहायता हम उद्योगों के लिये दे सकते हैं, दें। प्लानिंग कमीशन की और केन्द्र की यही नीति है। क्या प्लानिंग कमीशन यह नहीं चाहती कि अलावा पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट सैक्टर भी विकसित किया जाय? यदि वह विकसित होना है तो क्यों न हम उन व्यक्तियों को सहायता दें जो इसे कर सकते हैं? अगर यह सदन इस नीति में विश्वास करता है कि प्रदेश का औद्योगीकरण किया जाय तो हमें वे सारे साधन मुहइया करने चाहिये जिससे हम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में उद्योग कायम करने के लिये बढ़ावा दे सकें। आज से दो वर्ष पहले कोई भी बाहर का आदमी यहां उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं हुआ और यहां के लोग भी नहीं हुये। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस बात से गुरेज करेगा कि हमने २ वर्षों के अन्दर औद्योगीकरण की लाईमेट नहीं पैदा की है? यदि कम कीमत पर बिजली देकर और लोन इत्यादि की व्यवस्था करके इसमें हम समर्थ हुये हैं तो हमारे ऊपर कोई आपत्ति उठाने का विषय नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि इस सदन का सहयोग हमें उद्योग धंधों के फैलाने के लिये मिलना चाहिये। जो बातें मैंने सफाई या सत्य के तौर पर रखी हैं मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता उन पर विचार करके जो बातें उन्होंने सदन में कहीं हैं उन्हें वापस लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९–लेखा शीर्षक ३८– चिकित्सा के अन्तर्गत १ रु० की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९–लेखा शीर्षक : ३८–चिकित्सा के अन्तर्गत ४,४८,४०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०– लेखा शीर्षक : ३९–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०–लेखा शीर्षक–३९–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत ३,००,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७–लेखा शीर्षक : ४३–उद्योग के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७–लेखा शीर्षक : ४३–उद्योग के अन्तर्गत १,५३,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७–लेखा शीर्षक : ५६–लेखन–सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि–सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७–लेखा शीर्षक : ५६–लेखन–सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि–सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत ८६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१–लेखा शीर्षक : ६३—असाधारण व्यय के अन्तर्गत १ रुपये की कमी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१–लेखा शीर्षक ६३–असाधारण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२–योजना और एकीकरण–लेखा शीर्षक : ६३–क युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय तथा ६३–ख–सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के अन्तर्गत १ रुपय की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२–योजना और एकीकरण–लेखा शीर्षक: ६३–क–युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख–सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५–लेखा शीर्षक : ७२–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक : ७२–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०–लेखा शीर्षक: ८५–क– राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०–लेखा शीर्षक ८५–क– राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब इस वक्त साढ़े चार बज चुके हैं। बजट के वक्त बहस आधा घंटा पहले खत्म कर दी जाती है लेकिन मुझे थोड़ा सा अधिकार है कि समय में थोड़ा बहुत फर्क कर दूं। अतः ४ बजकर ५० मिनट तक यह कटौती के प्रस्ताव और भाषण होते रहेंगे। उसके बाद मैं प्रस्ताव उपस्थित कर दूंगा और दोनों अनुदानों पर सदन की राय में ले लूंगा। तो अब २० मिनट चूंकि बाकी हैं और दो थोक हैं, आइटम नं० ९– क और २४ जिनके लिये पहले आधा घंटा रखा गया था। तो मैं १३ के लिये ५ मिनट रखता हूं और आइटम नं० ९–क और २४ के लिये १५ मिनट रखता हूं। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी पेश करें।

अनुदान संख्या १८–लेखा शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग और ३७–शिक्षा तथा अनुदान संख्या ३९–लेखा शीर्षक ५७–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८–लेखा शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग और ३७–शिक्षा के अन्तर्गत ३,५०,००० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय। मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान–लेखा शीर्षक :५७–विविध के अन्तर्गत २,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अनुदान संख्या १८ में साढ़े तीन लाख रुपया

[श्री विश्राम राय]

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मांगा है जोकि भारतीय सरकार से मिलने वाला था। उसमें आवेदन-पत्र भेजने में देरी हुई और वह रुपया मांगा गया है तैरने के तालाब, खेलने के मैदान और बच्चों के लिये विनोदालय वगैरह बनवाने के लिये। आवेदन-पत्र भेजने में किस वजह से देर हुई इस पुस्तिका को देखने से कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन यह बतलाया गया है कि जो संस्थायें थीं वे उत्सुक थीं इसलिये फिर आवेदन-पत्र भेजा गया है। इस सम्बन्ध में जो अनुदान मांगा गया है वह रकम तो ऐसे काम के लिये है जो कि सार्वजनिक है, अच्छा काम है, बच्चों के विनोदालय व तैरने के तालाब वगैरह के लिये है। तो उस रकम को मंजूर करने में मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं है लेकिन आवेदन-पत्र समय पर पहुंचना चाहिये था।

इस सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है और वह यह कि आवेदन-पत्र भेजने की जिम्मेदारी किसकी थी, यह इससे पता नहीं चलता। लेकिन आवेदन-पत्र अक्सर शिक्षा संस्था की ओर से भेजने में देर होती है। इस सम्बन्ध में मुझे शिक्षा मंत्री जी से एक बात निवेदन करनी है और वह यह कि हर जिले में स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर के आफिस खुले हुये हैं लेकिन उनके यहां से कोई भी आवेदन-पत्र समय पर फारवर्ड नहीं किया जाता है। इसके अलावा वहां और भी बड़ी गड़बड़ी होती है। वहां के क्लर्क अपने को साहब समझते हैं और जनता के लोगों से वे ठीक से मिलते नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के आफिस का ठीक निरीक्षण भी नहीं होता है, इसकी अक्सर शिकायत रहती है और उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता।

शिक्षा विभाग की जो शिक्षा सम्बन्धी नीति है उस सम्बन्ध में भी मुझे दो एक बातें कहनी हैं और वह यह है कि जो नीचे की शिक्षा संस्थायें हैं, जो बुनियादी शिक्षा है उसकी तरफ सरकार का ध्यान कम जा रहा है। कल जो यह बयान दिया गया है कि दर्जा ५ तक की फीस माफ की जायगी उससे हम लोगों को बड़ा सन्तोष हुआ लेकिन यह बात बहुत पहले ही हो जानी चाहिये थी। संविधान के अनुसार सरकार की नीति है कि १० वर्ष के अन्दर प्राइमरी शिक्षा मुफ्त हो जायगी लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज तक जबकि संविधान के लागू होने के दस वर्ष पूरा होने में एक वर्ष और शेष है, वह काम पूरा नहीं हुआ है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स हैं और जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अध्यापक हैं उनकी तनख्वाह ठीक वक्त पर नहीं मिलती और उनके बकाया वेतन के लिये अभी तक सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है। सरकार को चाहिये कि वह इस ओर ध्यान दे। यहां पर एक लाख या दो लाख रुपया जो विनोदालय के लिये, तैरने के लिये तालाब आदि बनवाने के लिये मांगा गया है, वह ठीक है लेकिन उसी के साथ-साथ लड़कों के बैठने का प्रबंध भी होना चाहिये। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूलों में लड़कों के बैठने का कोई स्थान नहीं है, वे पेड़ों के साये में बैठकर पढ़ते हैं और बोर्ड्स अपने टीचरों को तनख्वाह भी समय पर नहीं दे पाते। केन्द्रीय सरकार से आपने क्या मांगा है यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जब तक लड़कों के बैठने का स्थान न हो और अध्यापकों को ठीक वक्त पर तनख्वाह न मिले तब तक मैं समझता हूं कि शिक्षा का काम ठीक तरह से नहीं चल सकता है।

मैं तीन वर्ष से इस हाउस में हूं और मैं देख रहा हूं कि शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में सरकार की जो नीति चल रही है वह यह कि जनता की जो संस्थायें हैं उनमें उसका अधिक से अधिक हस्तक्षेप हो। जितने भी बिल लाये जाते हैं वह सब इसी दिशा में आते हैं और जो इन्टरमीडियट एजूकेशन बोर्ड का बिल आ रहा है उसमें भी मैनेजिंग कमेटीज के कार्यों में भी सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है, लेकिन किसी तरह का भार अपने ऊपर लेने को सरकार तैयार नहीं है, वह तो केवल अपना हस्तक्षेप ही बढ़ाती जाती है। जहां तक संस्थाओं को अनुदान देने का सवाल है उसमें भी पक्षपात किया जाता है और मैं खुले तौर पर कहूंगा कि उसमें भी एक राजनैतिक व्यापार चल रहा है। जिस को वह चाहते हैं धन देते हैं और जिस को नहीं चाहते उसे मजबूर कर देते हैं कि वह बन्द हो जाय। शिक्षा का तो अब मुख्य उद्देश्य यही है कि यहां प्रजातंत्र पनपे लेकिन

यहां पर डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप खूब चल रही है, चाहे वह शिक्षा मंत्री जी की हो या शिक्षा मंत्रालय की हो । बहुत से लोगों ने तो मंत्री जी के पास जाना ही छोड़ दिया है ।

श्री अध्यक्ष—आप व्यक्तिगत बात न करें कि यह कहना कि "लोगों ने शिक्षा मंत्री जी के पास जाना छोड़ दिया है" इसमें व्यक्तिगत बात आ जाती है ।

श्री विश्राम राय—मैं इस को वापस लेता हूं, मेरा मतलब सरकार से था ।

इसी तरह से अनुसूचित जातियों का सवाल है, इस सम्बन्ध में १ लाख रुपये जो लैंड स्कूल सरोजनी नगर में है उसके लिये दिया गया है, वहां छात्रावास बन रहा है । यह बात अच्छी है लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि उस स्कूल में करोड़ों रुपया है, उस का गवर्नर महोदय से सम्बन्ध है, वह दिया जा रहा है अच्छी बात है लेकिन ऐसे ही छात्रावासों की जरूरत देहातों में भी है और ऐसे छात्रावासों के लिये भी रुपया मिलना चाहिये । जिस स्कूल को यह दिया जा रहा है वहां देखना चाहिये कि किस प्रकार से इस रुपये का उपयोग होगा । दूसरे जो बनवासी आश्रम है उसके लिये १ लाख रुपया दिया जा रहा है । अगर उसका उपयोग भी ठीक से किया जाय तो वह ठीक है । इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

(श्री अध्यक्ष के श्री हरगोविंदसिंह को पुकारने पर)

श्री राजनारायण—बस एक ही सदस्य बोले हैं ।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये केवल १५ मिनट हैं, इतना ही समय है ।

श्री हरगोविन्दसिंह—अध्यक्ष महोदय, क्यों देर हुई इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जब प्रार्थना-पत्र मांगे तो स्कूलों ने प्रार्थना-पत्र भेजे और बहुत बड़ी संख्या में भेजे और जो नीति केन्द्रीय सरकार की थी उस की जांच में देरी लगी तो चूंकि देर हो गई थी इसी कारण केंद्रीय सरकार ने कृपापूर्वक आज्ञा दी कि चूंकि आप के यहां से प्रार्थना-पत्र आने में देर हुई इसलिये आप इसको फिर भेज सकते हैं । तो मैं समझता हूं उस देरी के कारण किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, जितने प्रार्थना-पत्र थे सब को नहीं दिया जा सकता था पर उससे किसी की हानि नहीं हुई, हां, यह कहना तो बड़ा आसान है कि हमारे ऊपर और सरकार के ऊपर जिला बोर्ड के उन स्कूलों की भी जिम्मेदारी है लेकिन मैं समझता हूं कि दुनिया में किसी देश में भी प्राइमरी स्कूलों का भार सरकार पर नहीं हुआ करता । वहां के लोकल बाडीज को ही यह कार्य हर एक देश में सौंपा गया है ।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे यहां उनकी दशा बड़ी शोचनीय है और आजकल हमारे पास जो सूचनायें आ रही हैं उन से तो ऐसा मालूम होता है कि जो समस्या बहिया आदि की वजह से आज उपस्थित हो गई है हम नहीं समझते कि उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, करीब-करीब जितने प्राइमरी स्कूल हैं वे सब ही धराशायी हो गये हैं । इसमें तो कोई संदेह नहीं लेकिन प्रश्न तो यह होता है आपने यह कहा कि प्राइमरी शिक्षा की फीस माफ होनी चाहिये । वह फीस माफ हो रही है । इसमाल एक, दो, तीन की फीस माफ हो रही है और पारसाल से ४ और ५ की माफ हो जायगी ।

दूसरी बात यह है कि मास्टरों की तनख्वाह की भी शिकायत की । उनको तनख्वाह नहीं मिलती है गोकि हमारे अनुदान जाने में कोई देर नहीं होती । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की भी आर्थिक दशा इतनी शोचनीय है कि सचमुच में वे समय के अन्दर कभी-कभी नहीं दे पाते । आपने यह भी कहा कि उनको बकाया नहीं दिया जा रहा है । मुझे कम से कम इस समय किसी बकाया की सूचना नहीं है । उनका कोई बकाया है इसलिये कि गवर्नमेंट ने अपना अनुदान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नहीं दिया है इस कारण तो बकाया का कोई सवाल पैदा नहीं होता बल्कि यह जो फीस माफ होने के कारण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आमदनी कुछ बन्द हो गई तो उनसे

[श्री हरगोविन्दसिंह]

उनका हिसाब मांगा गया। जो फीस आपके यहां दर्जा एक से लेकर तीन तक मिलती है उसके कारण जो उनकी आमदनी होती थी उसका ब्योरा बताइये कि कितना रुपया आपके पास भेजा जाय। अभी बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से यह सूचना नहीं आई, लेकिन फिर भी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को एडहाक तरीके से रुपया दे दिया जिसमें उनको इस बात की दिक्कत न हो कि अपने मास्टरों को तनख्वाह दे सकें। उनकी तनख्वाह भी बढ़ना चाहिये वह भी रुपया कम हुआ। उसके लिये भी प्रयत्न किया जा रहा है।

जहां तक आवश्यकताओं का संबंध है उसमें तो माननीय सदस्यों ने जो कहा उनमें २–४ या २० हम भी संख्या जोड़ सकते हैं लेकिन सवाल यह जरूर है कि आखिर उसकी पूर्ति कैसे की जाय। यह तो शिक्षा विभाग ही इतना बड़ा समुद्र है इसमें रुपया कितना चाहिये उसका कोई अनुमान कभी भी कोई नहीं लगा सकता और उसमें होना भी चाहिये। जो रुपया शिक्षा में खर्च किया जाता है मैं तो पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि उसको हम खर्च समझते ही नहीं। वह तो एक ऐसा इंवेस्टमेंट है कि उसका रिटर्न देश को जरूर मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि वह जरा देर में मिलता है।

हां, एक बात उन्होंने कही कि शिक्षा का जो अनुदान दिया जाता है उसमें बड़ा पक्षपात होता है। मैं उनको इस बात की दावत देता हूं कि वह किसी एक स्कूल के बारे में भी बतलायें। अनुदान देने का एक फारमूला है और उस फारमूले के अनुकूल स्कूलों का अनुदान निश्चित हो जाता है। वह फारमूला यह है कि जितनी आमदनी हो, स्कूल में जितना खर्च हो उसमें जितना फर्क होता है या तो उसका आधा दे दिया जाय या खर्च का आधा दे दिया जाय तो उसमें मेरी समझ में नहीं आता कि क्या पक्षपात है। हां, यह बात जरूर है कि कोई माननीय सदस्य या कोई स्कूल वाले हमारे पास रोज ही आते हैं यह कहें कि हमारे स्कूल को कमी है मैं मान लेता हूं कि कमी है। मैं यह भी मान लेता हूं कि आपको देना चाहिये लेकिन तभी दे सकता हूं जितना रुपया कि आपने बजट में प्रोवाइड किया है, जितना उसके लिये निश्चित किया है और जितने हमारे स्कूल हैं उनको दे देने के बाद ही दे सकता हूं उनको और यह बात जरूर है कि जितने स्कूल अभी ग्रांट इन एड लिस्ट में नहीं हैं उनको रुपया नहीं दिया जाता। उस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं वह सब रुपया रक्खा हुआ है। सरकार की सख्ती इस बात में ही है कि जो कुछ हम उसमें क्राइटेरिया रक्खे हुये हैं, जितनी चीजें रक्खे हुये हैं वह सब हो जाने पर ही ग्रांट इन एड दी जा सकेगी। उसमें सख्ती जरूर की जा रही है। बाज दफा लोग बिना किसी साधन के ही स्कूल खोल देते हैं और किसी तरह ग्रांट इन एड में स्कूल को ले आने का प्रयत्न करते हैं। फिर उनकी अपनी इज्जत भी हो जायगी और स्कूल भी खुल जायगा। मैं समझता हूं कि ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना उनका भविष्य बिगाड़ना है। अगर माननीय सदस्य उसको पक्षपात समझें तो मुझे मजबूरी है।

बस, इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि यह मांग स्वीकार कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८–लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७–शिक्षा के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ३,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९-अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान-लेखा शीर्षक : ५७-विविध के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९-अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान-लेखा शीर्षक ५७-विविध के अन्तर्गत २,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२-उपनिवेशन-लेखा शीर्षक ४०-कृषि के अन्तर्गत १०,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

वक्त बहुत कम है। मैं मौर्य जी का दुख-दर्द सुनना चाहता हूं कि इस मांग से उनको क्या तकलीफ हुई है। उसके बाद अगर वक्त मिलेगा तो सुनने के बाद कहूंगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२-उपनिवेशन-लेखा शीर्षक ४०-कृषि के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय।

मान्यवर, इस अनुदान के अन्तर्गत पानी के निकास का सुधार करने के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये यह दिया हुआ है कि क्षेत्रों को जलमग्न होने से बचाने के लिये १० लाख रुपये की आवश्यकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष की भयंकर बाढ़, पूर्वी जिलों में जो लगातार बारिश हुई और लोगों को जो परेशानियां हुईं उससे इस माननीय सदन के प्रायः सभी सदस्य अवगत हैं। हमारे जिले में एक नहर निकल रही है मड़ियाहूं ब्रांच। वहां किस्सा यह हुआ कि करीब नौ दस गांव डूबते-डूबते बचे। गले तक पानी हो गया था। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चुनांचे गांव वालों ने मिल कर तीन जगह नहर को काटा। तब जा कर वे बचे। कुछ तो इंद्रदेव की कृपा से परेशानी होती है। दूसरे कुछ हमारे इंजीनियर महोदयों की वजह से बाढ़ें आ जाती हैं। उस नहर के मार्ग में कोई पानी का निकास नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि गांव वाले बहुत परेशान हुए। इसी तरह से एक कुरनी गांव है मड़ियाहूं तहसील में जहां घुटने तक पानी घिरा हुआ था। निकलने का रास्ता नहीं था। एक सड़क है वह बांध का काम करती है। रास्ता न होने की वजह से बरसात में पानी घिर जाता है और इस साल बड़ी मुसीबत हुई। और भी ऐसी मिसालें हैं। समय कम होने की वजह से मैं नहीं बतलाना चाहता। लेकिन हर पूर्वी जिले के लोगों को अनुभव होगा। सड़कें, नहरें या सब बांध का काम कर जाती हैं। पानी का निकास बन्द होना बाढ़ का कारण बन जाता है। तो पानी के निकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। दस लाख क्या इससे कहीं ज्यादा रुपया होना चाहिए। और यह दशा जो निरन्तर होती रहती है उससे कोई छुटकारा मिलने का नहीं है।

श्री हुकुमसिंह—चूंकि वाटर लौगिंग की शिकायत ज्यादा है इसीलिये रुपये की मांग है ताकि वह शिकायत रफ़ा की जाय। तो जहां तक हमारा और मौर्य जी का सम्बन्ध है हम और वह इत्तफ़ाक राय करते हैं इस बात पर कि इसका जल्द से जल्द इंतजाम किया जाय। अभी तक मैं सुनता था कि जौनपुर में पानी का अभाव रहता था लेकिन आज यह मालूम हुआ कि जौनपुर में भी पानी है और काफ़ी तादाद में है। इस शिकायत को रफ़ा करने की कोशिश की जायगी।

श्री अध्यक्ष--माननीय मौर्य जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--आप की आज्ञा से वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन--लेखा शीर्षक : ४०--कृषि के अन्तर्गत १०,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं शेष मांगों पर राय लिये लेता हूं।

अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक : १०--वन

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक : १०--वन के अन्तर्गत ४५,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११ लेखा--शीर्षक : १८--इंजीनियरिंग संस्थायें

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--इंजीनियरिंग संस्थायें--लेखा शीर्षक : १८ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक : ४०--कृषि के अन्तर्गत ६५,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३--लेखा शीर्षक: ४१--पशु चिकित्सा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--लेखा शीर्षक : ४१--पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक : ४१ और ८१-क--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक: ४१ और ८१--क के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक : ५० नागरिक निर्माण कार्य–निर्माण कार्यों पर लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक : ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत २४,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक : ५० नागरिक निर्माण कार्य—केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित)—लेखा शीर्षक: ५०—नागरिक निर्माण कार्य—केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक : ५०—नागरिक निर्माण कार्य

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक : ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ६३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक : ५७—विविध

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक: ५७—विविध के अन्तर्गत ४,६८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक : ५७—समाज कल्याण

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—समाज कल्याण—लेखा शीर्षक : ५७—विविध के अन्तर्गत १०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक : ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक : ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ३,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक : त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र-ऋण

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण--लेखा शीर्षक : त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण क अन्तगत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, क्या समय बढ़ेगा?

श्री अध्यक्ष--वह तो समय अपने आप में बढ़ा दूंगा। इस बिल के सम्बन्ध में समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नियमों के अनुसार अधिकार है।

१९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का प्रथम पूरक) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का प्रथम पूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह कह रहा था कि हम लोगों को जब तक यह मिल नहीं जाता है तब तक.....

श्री अध्यक्ष--यह तो आप पांच साल बाद भी अब भूल जाते हैं कि यह बिल पहले से नहीं बंटता। जिस वक्त अनुदान स्वीकृत हो जाते हैं उसी वक्त वह सदन में आ सकता है।

श्री राजनारायण--रख दिया जाता था पहले।

श्री अध्यक्ष--नहीं, पहले नहीं रखा जाता। अनुमति के बाद रखा जायगा।

प्रश्न यह है कि १९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का प्रथम पूरक) विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--पांच बजे के बाद भी जब तक कि यह विधेयक पारित नहीं हो जायगा तब तक सदन बैठेगा। नियमों में यह है कि मैं नियमों में से किसी को भी सस्पेंड कर सकता हूं। इस एप्रोप्रियेशन बिल के पारित करने के लिये जो भी आवश्यक कार्य हो वह मैं कर सकता हूं। उसके अनुसार मैंने यह तय किया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं सन् १९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का प्रथम पूरक) विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५६ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का प्रथम पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय। जो अनुदान इस हाउस ने मंजूर किये हैं उनमें जो रकमें लिखी हुई हैं उन रकमों को कंसालिडेटेड फंड में से निकाल कर खर्च करने की इजाजत मांगने के वास्ते यह बिल पेश किया गया है।

*श्री गैंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवा करोड़ रुपये के लगभग जो मांग की गयी है उन पर मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि आइंदा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से यह अहतियात रखनी चाहिये कि जो ऐसी रक़में हों जिनको मूल बजट के वक्त देखा जा सकता है उनके लिये सप्लीमेंटरी ग्रान्ट ले आने की कोशिश न की जाय। अध्यक्ष महोदय, मैंने इन अनुदानों को जो देखने की कोशिश की तो एक बात मुझे मिली कि इसमें हरजाने की डिग्रियां जो हैं वह करीब-करीब आधी अनुदानों में हैं और इनको भुगतान करने के लिये मैं नहीं समझता हूं कि इस सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में ले आना चाहिये था। उसमें ऐसी भी डिग्रियां हैं जो बहुत पुरानी हैं। तो इस बात को कहते हुए मैं एक तरफ सरकार का और इस सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि ये डिग्रियां ऐसी हैं जो इस एवज में हैं कि शासनाधिकारियों ने जरा कानून की परवाह कम की, मर्यादा की परवाह कम की। और कानून और मर्यादा को परवाह न करने के एवज में फिर जुडीशियरी में लोगों को जाना पड़ा और जुडीशियरी ने सरकार के विरुद्ध दावों की डिग्रियां कीं। तो यह संकेत करता है कि सरकार के जो शासनाधिकारी हैं वे सरकार के कानूनों का जरा कम ध्यान रखते हैं, उसकी जानकारी कम होती है, गलती करते हैं, पढ़ते नहीं। सरकार जिन नियमों को बनाती है तो उनके बनाने में गलती करती है और इस क़दर कानून पेचीदा और बिखरे हुए हैं कि उनकी जानकारी साधारण लोगों को जाने दें, जो शासन के चलाने वाले हैं उनको नहीं है। यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट एक करोड़, २५ लाख का जो है वह इस बात को सिद्ध करता है और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य एक ग्रांट से लेकर दूसरी तक देख जायं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त समय नहीं है कि तमाम ग्रांट्स की डिग्रियों पर कुछ कह सकूं। इससे उनको अन्दाजा हो जायगा।

एक बात और निवेदन करूंगा कि यह हमारे देश में बड़ा भारी रोग है कि जो रुपया हम जिस काम के लिये देते हैं वह रुपया उसी काम में खर्च हो जाय। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही जिस पर मैं सोचता हूं और १० मर्तबा सोचने की कोशिश करूंगा। उन्होंने यह कहा कि यह आदत छोड़नी चाहिये हमको कि हम बेईमान कहें लोगों को। तो मैं यह जानना चाहूंगा सरकार से कि क्या बेईमानी करने वाले को ईमानदार कहना शुरू करें? फिर यहां रहने की आवश्यकता क्या? मैं पुलिस कर्मचारियों को "अलिफ़" से ले कर "ये" तक सब को यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि वे सब निकम्मे हैं। विरोधी दल की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि मैं पुलिस फोर्स को निकम्मा नहीं समझता। आखिर मानसिंह का मर्दन यू० पी० की पुलिस ने किया। आज भी जहां आवश्यकता पड़ती है पुलिस मरती है, खपती है तो उसकी पीठ पर हाथ रखना हमारा काम है, लेकिन जहां पुलिस लोगों पर अनाचार करती है, लोगों को तंग करती है, उनके अधिकारों को छीनती है, बुरी तरह से परेशान करती है तो फिर हम क्या कहें? किन लफ्जों से उसको विभूषित करें?

दूसरी बात, इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ़ उन्होंने खासतौर से शिकायत करते हुए कहा कि क्यों बेईमान कहते हैं। सरकार क्या कोई इन्क्वायरी बैठाने को तैयार है, गैर सरकारी या सरकारी? सरकार को तैयार होना चाहिये, मैं आज भी कहता हूं।

श्री अध्यक्ष--सभी उत्तर उनके भाषण के इस वक्त तो नहीं दिये जाने चाहिये। इस वक्त तो बिल पेश है।

श्री गेंदासिंह--मैं चाहता हूं कि जो रुपया जिस कार्य में दिया जाय वह उसमें ठीक तौर से खर्च हो और ठीक खर्च होने के एक मानी हैं, जो मैं समझता हूं कि वह किसी इंजीनियर की पाकिट में चले जायं और किसी के निजी खर्च में चले जायं वह ठीक खर्चा होना नहीं है। वह वह है जिसके लिये कर-दाता कर देता है। जिसके लिये यह सदन बैठ कर फैसला करता है। तो मैं जानना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि सरकार सफाई दे कि कम से कम चार करोड़ रुपया जो घरों में मिट्टी भरवाने के लिये था उसमें से दो करोड़ रुपये की मिट्टी घरों में भरी गई है और यदि दो करोड़ रुपया ओवरसियरों और इंजीनियरों के घरों में चला गया तो सरकार को सफ़ाई देने की आवश्यकता है। यह तो मैंने एक बात वैसे ही कह दी है जो कि देखी जा सकती है। इसको मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि हमारे प्रमाण देने की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिये। मैं नाम दे सकता हूं लेकिन सरकार को अपनी शक्ति पर विश्वास होना चाहिये।

[श्री गेंदासिंह]

अभी गोरखपुर में ५ ओवरसियरों को मुअत्तल किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर गोरखपुर में ओवरसियरों को मुअत्तिल किया जा सकता है तो उनके इमीडिएट आफिसर के खिलाफ़ कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकती है ?

मैं कर दाताओं की तरफ़ से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भीख मांग कर रुपया इकट्ठा करने के बाद अपने कपड़े खरीदने में कमी की, अपनी जिन्दगी की जरूरियात की चीजों को खरीदने में कमी की और कर की शक्ति में इकट्ठा किया है उसका एक-एक पैसा ठीक ढंग से खर्च होना चाहिये। वह रिश्वत में तो नहीं जाता है, वह भ्रष्टाचार में तो नहीं जाता है। इसलिये मैं कह देना चाहता हूं कि इसके लिये विरोधी दल का ही नहीं बल्कि जनता के सब प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य हो जाता है. . . . .

श्री अध्यक्ष--आप उनकी तरफ़ इशारा क्यों करते हैं ?

श्री गेंदासिंह--मैं तो सभी विरोधी दलों के लिये कहता हूं और साथ कांग्रेस के लोगों के लिये भी आवश्यक समझता हूं कि उनका भी कर्त्तव्य है क्योंकि वे जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं, वे जनता के सच्चे कस्टोडियन हैं। जो बेईमानी से काम करते हैं उनको हम बेईमान कहते हैं और जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको हम ईमानदार कहना चाहते हैं। हरगिज हमारे दिमाग़ में यह बात नहीं है कि हम सारे कर्मचारियों को बेईमान समझते हैं, लेकिन बेईमान को ईमानदार कहने का साहस नहीं कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा आज सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन माननीय वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। क्यों अस्वीकार कर दे ? श्रीमन्, आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि आज सरकार किस तरह से पूरक विधेयक ला रही है। इतने ज्यादा अनुदान हो जाते हैं, इतने ज्यादा विषय हो जाते हैं और हमने चाहा भी कि सभी विषयों पर चर्चा हो जाय लेकिन बहुत से विषय बिना चर्चा के रह गये। जिस सम्मानित सदस्य ने कट मोशन मूव (पेश) किया है उनको भी अन्त में जवाब देने का मौका न मिला। हमारी सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को खास-खास विषयों पर भी बोलने का मौका नहीं मिल सका। तो जब ऐसे व्यापक विषय के विस्तार के साथ पूरक बजट के रूप में सरकार आंकड़ों का समावेश करती है तो उसके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, इतना समय भी होना चाहिये कि हम अपनी बात सुना पायें और सरकार भी अपनी बात सुना पाये। सरकार इतने अनुदान क्यों लाना चाहती है इस पर भी सरकार कुछ बतला नहीं पाई। हम क्यों इनका विरोध करना चाहते हैं इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं पाये। यह हमारे लिये बड़ी अशोभनीय बात होगी कि हम इस एक करोड़ २५ लाख रुपये को खर्च करने के लिये सरकार को इजाजत दें।

देखते हैं श्रीमन्, कि उस रुपये से छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की गई है। इस रुपये से पुलिस विभाग के अन्दर भी चौकीदार की तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की गयी है। जो यहां के छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की गयी है। किसी मूल व्यवस्था के परिवर्तन की बात नहीं की गयी है। केवल बात की गयी है आतिथ्य सत्कार की, फर्नीचर खरीदने की, कानपुर कालेज के ५० वें वर्ष के उत्सव के लिये करीब २० हजार रुपये दे देने की। इसी के साथ बाढ़ की भी बात आयी। उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। यह भी बात की गयी है कि पुलिस विभाग के लिये कि जो आगामी आम चुनाव होने वाले हैं उसमें खतरा होने की आशंका है इसलिये विशेष पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्रीमन्, आज सिंचाई विभाग द्वारा हैवक क्रियेट (भीषण उत्पात) कर दिया गया है, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अच्छे-अच्छे कुशल इंजीनियरों ने इस बात की सूचना दी है कि सिंचाई विभाग द्वारा जो नलकूप लगाये जा रहे हैं वे दो, तीन

वर्ष के बाद बेकार हो जायेंगे क्योंकि नीचे से जो बालू छानने की व्यवस्था होती है वह नहीं हो पा रही है। और आज भी आप देखेंगे कि अधिकांश नलकूप जितना पानी शुरू में देते थे आज साल भर के बाद उसमें कमी हो गयी है। अभी-अभी हमने देखा और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का बयान आपने भी समाचार पत्रों में देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हमने सन् ३८ के अनुपात से बलिया और बेरिया बांध को बनाया था। इस साल तीन फीट पानी ऊंचा हो गया और कई जगह वह टूट गया। वहां के लोगों का कहना है कि जिन गांवों में आज तक पानी नहीं गया था उन गांवों में भी बलिया-बेरिया बांध टूट जाने से पानी चला गया। मैं स्वतः इसका साक्षी हूं। तहसील चन्दौली में जो नहर बन रही थी उसके सम्बन्ध में मैंने खुद इंजीनियर को लिख कर दिया कि यह जमीन नीची है, यहां से पानी नहीं जा पायेगा। लेकिन वहां पर नहर खोद दी गयी और उसका नतीजा यह हुआ कि जब पानी यकायक आया तो पानी के निकास की कमी से तमाम पानी फैल गया। फिर, आजमगढ़ का नमूना हमारे सामने है। गोरखपुर का बांध टूट गया जबकि सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों ने भी बता दिया था कि वहां पर दोष रहा है। फिर भी अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई।

आज सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जितना पैसा लगा कर यह बांध और नहर की योजनायें चल रही हैं अगर ईमानदारी के साथ काम किया जाय तो कम से कम उसके तिहाई या आधे पैसे से वह सारा कार्य हो सकता है। और कहीं-कहीं की तो हमें निजी जानकारी है कि पांचवें हिस्से में काम पूरा हो गया है। जहां ३०–३० हजार रुपये के एस्टीमेट बने थे वहां जनता ने अपने हाथों से ६ और ७ हजार रुपये में उस काम को कर दिया है। यहां पर उदाहरण पेश किया जाता है तो कहा जाता है कि अंग्रेजी राज्य के जमाने में कितनी चीजें बनीं और अब कितनी बनीं। बजट नहीं देखते कि कितना बढ़ता चला जा रहा है। सामान्य बजट ९६ करोड़ का था, सवा करोड़ का यह हो गया और आगे भी पूरक बजट आयेगा। मैं यह देखता हूं कि आज सामान्य प्रशासन भी नहीं रह गया है।

जो विकास की योजनायें हैं उनमें अधिकांश पैसे की बर्बादी हो रही है। किसानों को सस्ता गल्ला नहीं मिल रहा है। किसान का गल्ला सस्ता निकाल लिया जाता है और जब वही खरीदने के लिये आता है तो उसे महंगा दिया जाता है। १० रुपये मन का चावल उससे खरीद कर २२ रुपये मन चावल उसे क्यों बेचा गया? १० रुपये मन की सरसों खरीद कर ४० रुपये मन की सरसों उसे क्यों बेची गयी? यह क्या राज्य सरकार की व्यापार नीति है? इस पर विचार होना चाहिये था और क्या इसी के लिये सरकार चाहती है कि हम उसको अनुदान दें?

अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों का नाम लेकर हमसे बहुत सा धन मांगा जा रहा है कि उसके लिये अधिक से अधिक रुपया खर्च कर दिया जाय। सम्भवतः हमसे बढ़ कर प्रसन्नता शायद किसी को न हो अधिक पैसा देने में। मगर जिस ढंग पर आज रुपये की बरबादी हो रही है और जिस ढंग पर रूलिंग पार्टी को मजबूत बनाने के लिये धन व्यय किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिये।

मैं आपके द्वारा श्रीमन्, एक बात कहना चाहता हूं कि मैं उस अवसर पर नहीं था और आज ही एलेक्शन ट्रिब्यूनल की डेट पड़ गयी और मुझे एलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा। मैं पुलिस अनुदान के अवसर पर उपस्थित ही नहीं था और उस अनुदान को माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया होगा। उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है लेकिन माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात ऐसी कही जिस पर कुछ कहना आवश्यक है। यह मैं नहीं कहता न किसी ने कहा है कि सारे के सारे सरकारी कर्मचारी बेईमान हैं मगर सरकारी कर्मचारियों को सरकारी पार्टी के पक्ष में लाने के लिये बराबर प्रचार किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि नीयत पर हमला नहीं करना चाहिये। अगर यह तरीका चल जायगा तो दूसरी तरफ से भी हमला होगा।

श्री राजनारायण--मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूं बल्कि जो परिणाम हो रहे हैं उसको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार जांच करे कि पारसनाथ मिश्र, डी० एस० पी० कानपुर को क्यों ट्रांसफर किया गया।

श्री अध्यक्ष--आप वैयक्तिक बातों को न कहें।

श्री राजनारायण--यह तो मैंने केवल एक उदाहरण दे दिया है पता लगाने के लिये क्या उसमें पार्टी पालिटिक्स थी या नहीं।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि मुझे दुख है कि माननीय गेंदा सिंह जी के मुखारविन्द से कभी-कभी ऐसे सुशोभित शब्द निकल जाते हैं जिनसे अनावश्यक प्रशंसा सरकार की हो जाया करती है, जैसे उन्होंने अभी कहा कि मान सिंह और मानसिंह डाकू के फोर्स का निर्दलन किसने किया। इस सरकार की पुलिस ने किया। लेकिन फैक्ट्स की जानकारी इनको नहीं है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अगर मानसिंह का निर्दलन किसी ने किया है तो उसके एक रिश्तेदार ने किया है जिसने उसके साथ गद्दारी की, धोका किया। मानसिंह का निर्दलन होना चाहिये था, इसके पूर्व होना चाहिये था। अगर इस सरकार की पुलिस सचेत रहती, अगर उसकी समुचित व्यवस्था होती और सरकार ने जन सहयोग लिया होता तो मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है कि मानसिंह को इतना बढ़ने का अवसर न मिला होता और मानसिंह का मानसिंह के दल का निर्दलन बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन यह जो पुलिस का ढंग चल रहा है जिस तरह आज उनका संगठन हो रहा है, वह लोगों को डरा कर आतंकित करके तमाम पुलिस फोर्स आप की काम करती रहती है उससे कभी कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती।

श्रीमन्, अगर पुलिस का प्रबन्ध देखना हो तो श्री बलदेव सिंह जी के जिले गोंडा में देखिये। वहां पहलवान रूसे जिसने न मालूम कितने कत्ल कर दिये आज तक, कहां है इस सरकार का पुलिस फोर्स? क्यों नहीं आज तक उसको पकड़ पाई? आज वहां पर अराजकता की हालत है। आज इस नीति को देखते हुये सरकार की चाहे जितनी अच्छी इच्छा हो कितनी ही पवित्र भावना हो, कितना ही वह मानवता के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो लेकिन हम आज देखते हैं कि डिमोक्रेसी कांप रही है, जनतंत्र चकनाचूर हो रहा है। आज क्या-क्या उदाहरण दूं। जगदीश अवस्थी, संयुक्त मंत्री सोशलिस्ट पार्टी कानपुर को २१ सितम्बर को १२ बजे रात को पुलिस उनके घर से बुला लाई। और दूसरे दिन ढाई बजे १४४ तोड़ने के अपराध में उनकी गिरफ्तारी बताई गई। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि अजीब सी हालत हो गई है और चारों तरफ जनता पर संकट आता जा रहा है और ज्यों-ज्यों एलेक्शंस सन्निकट आते जा रहे हैं त्यों-त्यों एक न एक बहाने से १४४ का आदेश प्रस्तुत होता जा रहा है और एक-एक करके विरोधी शक्तियों को जेल के अन्दर भरने की कोशिश की जा रही है। सरकार की पुलिस और सरकार के साधारण तरीके के जो मैजिस्ट्रेट हैं वह आज इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं। तो ऐसी हालत में जब कि जीवन स्तर गिरता हो, जबकि जान और माल की हिफाजत न हो, जब कि हर व्यक्ति अपने को खतरे में समझता हो, हमसे कैसे कहा जाता है कि हम सरकार को अनुदान दें और सरकार को मनमाने ढंग से खर्च करने के लिये रुपया दें।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, शिक्षा के लिये उन्होंने बताया और श्रीमन्, आपने सुना इस बात को कि वह अभी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि शिक्षा के लिये कितने धन की आवश्यकता है। कोई भी सूझ-बूझ वाली सरकार, समझदार सरकार शिक्षा में कितना रुपया खर्च किया जाना चाहिये इसके समुचित आंकड़े लगा सकती है, उसका समुचित अंदाजा कर सकती है और जिस सरकार के शिक्षा विभाग

के मंत्री के पास, जिस सरकार के पास शिक्षा विभाग में कितना रुपया खर्च किया जाने को है इसके कोई आंकड़े नहीं हैं कोई हिसाब-किताब नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है तो यह बात मानी जानी चाहिये सहज स्वभाव से कि वह सरकार और वह मंत्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते।

अभी-अभी आपने सुना, मुझको मौका नहीं मिला, हालांकि आपने आज्ञा प्रदान की थी कि मैं शिक्षा के मामले में अपने विचारों का इजहार करूं। मैंने कहा था कामरोको प्रस्ताव के जरिये कि क्या कारण है कि एक तरफ सरकार शिक्षा के प्रसार की बात करती है, शिक्षा को व्यापक करने की बात करती है और दूसरी तरफ जो सामान्य तरीके से अब तक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें थीं उनके अध्यापकों को जो अब तक बी० ए० और एम० ए० की परीक्षा में, प्राइवेट रूप से परीक्षा में शामिल हो सकते थे उनको अभी-अभी एक आदेश द्वारा रोका जा रहा है। अभी-अभी सरकार की ओर से एक आदेश जारी हुआ है जिसके मातहत अब किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था के केवल दो अध्यापक, जो कि कन्फर्म्ड हों, वही बी० ए० या एम० ए० की परीक्षा में प्राइवेट तौर पर बैठ सकते हैं। आप श्रीमन्, देखेंगे कि कन्फर्म्ड वही होंगे जो कि ट्रेन्ड होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था है? आज वह बेचारे अध्यापक, जो न मालूम कितने हजार की तादाद में सारे प्रदेश में फैले हुए हैं, क्यों प्राइवेट तौर से परीक्षा देने से रोके जा रहे हैं? क्यों उनके रास्ते में बाधा डाली जा रही है? इस सरकार के आदेश के द्वारा वह बाधा डाली जा रही है और जब इस सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय का कर्त्तव्य होता है कि उनकी शिक्षा व्यवस्था समुचित करें।

मुझे बाध्य हो कर कहना पड़ता है कि न शिक्षा का, न उद्योग धंधे का, न सामान्य प्रशासन का समुचित प्रबन्ध है और न राज्य व्यापार का समुचित प्रबन्ध है। चारों तरफ कमियां और खामियां हैं। इसका मतलब अगर कोई आदमी यह लगाये कि आज प्रदेश में जो सारी बातें हो रही हैं वह मैं देख नहीं पा रहा हूं, बड़े-बड़े विकास हो रहे हैं, बड़े-बड़े काम हो रहे हैं, उनको मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनको देख पाता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि जो काम आज हो रहे हैं वह कितने पैसे से होने चाहिये थे, कितनी सुन्दरता के साथ होने चाहिये थे। पैसा, सुन्दरता, स्थान और समय देख कर मैं कहता हूं कि जो काम हो रहे हैं वह आज नहीं के बराबर हो रहे हैं। उन कामों से मानव जीवन का स्तर ऊंचा नहीं हो रहा है, जन-जीवन का विकास नहीं हो रहा है, जन-आकांक्षायें विकसित नहीं हो रही हैं, वह मुरझाता चला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, किसी भी प्रदेश के कोने में माननीय मंत्रीगण चले जायं या कोई भी चला जाय उसको यह भावना आसानी से मालूम होगी कि जनता प्रसन्न नहीं है। जनता खुश नहीं है। चारों तरफ समाचार-पत्र आज सरकार की प्रशंसा में लगे हुए हैं। चारों तरफ समाचार-पत्रों में प्रतिदिन सरकार के मंत्रियों के कार्यक्रम और सरकारी व्यवस्था के बारे में तमाम सामग्री रहती है, इनसे वह समाचार-पत्र परिपूर्ण रहते हैं, लेकिन इस तमाम प्रचार के बावजूद भी आज जनता क्या समझ रही है, जनता क्या कह रही है, जनता की मनोभावना क्या है? क्या वह अपने को महफूज समझती है? क्या वह अपने अधिकार को सुरक्षित समझती है? मैं कहता हूं कि वह नहीं समझती।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप बिल पर ही बोलें तो अच्छा हो।

श्री राजनारायण—मैं दो एक मिनट में ही इस धारा को खत्म करने वाला था लेकिन आपने रोक दिया इसलिये कोई नयी आइडिया आ जायगी।

श्री अध्यक्ष—तो आप चाहते हैं कि आपको रोका न जाय।

श्री राजनारायण—तो आपके द्वारा मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं सदन की सेवा में वन विभाग का। मैं यहां सात तारीख को आया था।

७ तारीख को दारुलशफा के बी० ब्लाक में वन विभाग का उत्सव था। उस समय पानी पड़ रहा था और अच्छी रोशनी जल रही थी। दूसरे दिन समाचार-पत्रों में उसका व्यापक प्रचार भी हुआ था। वहां पर मैंने उपमंत्री श्री नेगी जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान का सांप भी अहिंसक होता है और हिन्दुस्तान ही वह मुल्क है जहां पर कि मन्त्रों को पढ़ कर सांप का विष उतारा जाता है। दुनियां में और कोई मुल्क ऐसा नहीं है। मैंने उनके इस भाषण को अपने कानों से सुना। मैं वहां पर और कुछ सुनने के लिये बैठ गया था। यदि वास्तव में देखा जाय तो यह मन्त्री कितनी अनर्गल बातें कह कर जनता को गुमराह करते हैं.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह विषय विधेयक का नहीं है।

श्री राजनारायण—मैं उसी पर श्रीमन्, आ रहा हूं। जो यह चारों तरफ उत्सव हो रहे हैं, इन उत्सवों में कितना पैसा खर्च हो रहा है। यह उत्सव वन विभाग की ओर से था। अगर इस प्रकार के प्रचार से कोई उनका विश्वास करके सांप के काटने पर खाली मन्त्र के द्वारा अच्छा होने की अभिलाषा करने लगेगा तो वह मर जायेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हर विभाग की ओर से इस प्रकार अनर्गल व्यापक प्रचार किया जा रहा है और उत्सव हो रहे हैं छोटे-छोटे टाकीज को लेकर यह प्रचार किये जा रहे हैं।

तो ऐसे उत्सवों के लिये, प्रचार के लिये और ऐसे प्रचार के लिये जिससे समाज का अहित हो अगर माननीय मन्त्री जी हमसे अनुदान मांगेंगे और यदि हम किसी लालच में पड़कर किसी अपने महापुरुष की विशेष अनुकम्पा को अपने ऊपर समझ कर अनुदान दे देंगे तो वे अपने साथ धोखा करेंगे और समाज के साथ धोखा करेंगे। अगर यह समझ कर कि सच्ची बात यदि कही जायगी तो मन्त्री जी हमसे नाराज हो जायेंगे और हमारा निजी काम वह नहीं करेंगे इस प्रकार की बात समझ कर अनुदान स्वीकार करना ठीक नहीं। अगर इस ढंग से काम होगा तो समाज तरक्की नहीं कर सकेगा। इस समाज की बुनियाद को ठीक करने के लिये सरकार की गलतियों को बिना किसी हिचकिचाहट के सचाई के साथ कहना पड़ेगा।

उसी कर्त्तव्य को पालन करने के लिये मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अभी मैं मिर्जापुर गया था और गोरखपुर भी गया था। वहां पर कुसुम्बी वन के मुसहर और वहां के हरिजन हमारे पास दौड़ आये। उन्होंने बताया कि पहले उनका जीवन का निर्वाह वहां की लकड़ी से होता था लेकिन अब सरकार ने उसका ठेका दे दिया है। उनकी रोजी पर अब कुठाराघात हो गया है। उनके खाने-पीने का कोई प्रबन्ध नहीं है और उनके निर्वाह की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यह तमाम बातें सरकार की ओर से हो रही हैं। सरकार चाहती है कि हम इस पूरक बजट को पास कर दें और उनको जितना पैसा वह मांगे देते चले जायं। मैं आज सदन के विभिन्न विरोधीदल के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इन अनुदानों का समर्थन न करें। सरकारी पक्ष के लोग तो उनका समर्थन करेंगे ही लेकिन हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपने कर्त्तव्य को पहचानें। मेरा विश्वास है कि अगर वह कर्त्तव्य पहचानेंगे तो बहुत सी बातें जो गलत तरीके से और मनमाने ढंग से हो रही हैं और सरकार जिनका प्रचार कर रही है उन पर प्रभाव पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारा साथ दें और माननीय वित्त मन्त्री ने जो अपना मोशन सदन के सामने रखा है, उसके विरोध में अपना मत प्रकट करें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने उत्तर प्रदेश के समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रक्खी है। विरोधी दल के लोग हमें गालियां दे सकते हैं और नुक्कताचीनी कर सकते हैं।

यदि हम सरकार को रुपया नहीं मंजूर करेंगे तो सरकार का काम नहीं चलेगा। हमारा जनरल इलेक्शन नजदीक है और सड़कों की हालत खराब है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण—मैं समझता हूं कि सरकार ग़लत तरीके से खर्च नहीं कर रही है। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना करके दिखा दी है। विदेशियों ने भी, माननीय बुलगानिन ने भी, उसकी प्रशंसा की है और कहा है कि हिन्दुस्तान उन्नति कर रहा है। भले ही राजनारायण जी और गेंदासिंह जी न कहें। कल इस हाउस में "बदमाश" शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं देखता हूं कि सरकार की ग़लती है कि बदमाशी करने के लिए भी कुछ पैसा रख देती तो रेल तार इस देश में काटे जाते। हमारे विरोधी पक्षों का डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। "We should go to the masses and train the masses." मैं विद्यालयों में गया हूं। विद्यार्थी आज दुखी हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उनकी मदद करें।

साथ ही भुखमरी भी हमारे पूर्वी जिलों में है। किसी ने पूरब की कही और किसी ने पश्चिम की कही, लेकिन दोनों जगह वर्षा से भगवान ने दोनों को तबाह कर रखा है और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इसका भी ख्याल करे।

शिक्षा मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि ११ लड़कों को केवल, हमारे जिले में, स्कालरशिप दी गई है, केवल २२० रुपये के हिसाब से। हमारा जिला सूबे में सबसे बड़ा है और हमारे नाम पर दूसरे न खा जावें। अध्यापकों में बड़ा असन्तोष है।

सरकार के अफसरों को अब कोई अधिकार नहीं रखा है। सीधे यूनिवर्सिटी इजाज़त दे परीक्षा की। लेकिन एक रोड़ा आपने लटका दिया है। चाहे किसी कालेज में ४० अध्यापक हों या २० या १० हों, सब में २ अध्यापक रखे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर महोदय इस पर ख्याल करें। उस पैसे की जांच की जाय क्योंकि वह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। हमको यह पैसा ठीक ढंग से खर्च करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त हम एक बात और करें कि सब लोगों को इनकम और पैसे की जांच करायें तब पता चल सकता है कि चोरी और ब्लेक का पैसा किसके पास है। इस मामले में मैं विरोधी दल वालों से सख्त हूं और यही कारण है कि इतने दिनों से कांग्रेस ही देश का शासन चला रही है। अभी श्री अजय घोष ने कहा कि हम केवल ८७ सीटों से चुनाव लड़ेंगे, ५०० से नहीं। आपको फुल बेंच खड़ी करनी चाहिये ताकि जनता यह समझे कि अगर आप पावर में आ जायेंगे तो कुछ कर सकेंगे। बीच में रहने वालों की तो त्रिशंकु की सी गति होती है। उनकी कहीं भी गुंजाइश नहीं है। मैं राजनारायण जी को बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां विषैले सांप का विष मंत्र द्वारा ही झाड़ा जाता है। एक एक बंगाली ऐसा है जो सांप के दो टुकड़े जोड़ कर उसको जिला सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि जो भी पैसा मंत्री जी मंजूर करें उसके बारे में यह भी देखें कि वह सही तौर पर खर्च किया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

***श्री शारदाबख्शसिंह** (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सवा करोड़ का पूरक बजट सदन के सामने प्रस्तुत है और कई ऐसे विषय हैं जिनके सम्बन्ध में रुपया मांगा गया है। प्रत्येक प्रान्त के नागरिकों की यह इच्छा होती है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाबख्शसिंह]

अधिक से अधिक धन प्रान्त के लिये खर्च किया जाय लेकिन इस प्रान्त में जिस तरह से खर्च किया जा रहा है उसको देखते हुए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

आज हम जानते हैं कि प्रान्त के नागरिकों की क्या दशा है। विशेष कर जो अति-वृष्टि और सैलाब आ रहे हैं जिनके कारण फसल प्रायः समाप्त हो चुकी है, जो लोग गांवों से सम्बन्ध रखते हैं वे जानते हैं कि गांवों में किस प्रकार की बेचैनी है, उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। किसान का भविष्य अंधकारमय है। ऐसे समय में प्रान्त के पैसे का जो खर्चा किया जाय वह इस विश्वास के साथ किया जाना चाहिये कि उससे अधिक से अधिक कार्य हो सके। आज सरकार की तरफ से बहुत सी योजनायें हैं और बनायी जा रही हैं और उनके लिये पैसे की आवश्यकता है और वह पैसा लगाया भी जायगा। कोई भी प्रान्त का नागरिक न होगा जो इन निर्माण कार्यों में सहयोग न देना चाहे। लेकिन एक बात निश्चय है कि इस प्रदेश के एक-एक पैसे को गरीबों के पास से इकट्ठा किया गया है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है उसका अपव्यय और पक्षपात-पूर्ण रूप से खर्चा हो रहा है। आज जब हम टैक्सेशन के रूप में पैसा देते हैं तो हमें यह कहने का भी अधिकार है कि उस पैसे को इस प्रकार से खर्च किया जाय जिससे गरीबों को उसमें से हिस्सा मिल सके और हर एक गरीब यह अनुभव करे कि जो सवा करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है उसमें से एक पैसा भी अपव्यय न होगा, ऐसा हमारा कर्तव्य है। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि अपने-अपने जिले में लोग अनुभव करते होंगे कि जितना पैसा खर्च हो रहा है उसका पूरा लाभ जनता को मिलता है कि नहीं। इसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता है कि नियोजन विभाग पर जितना रुपया खर्च हो रहा है, जब हम इस सदन में बैठ कर विचार करते हैं तो कागज पर ऐसा लगता है कि प्रदेश में बहुत बड़ी उन्नति हो चुकी है और लोगों की आवश्यकतायें पूरी हो रही हैं लेकिन जब लौट कर अपने स्थान पर जाते हैं तो उसी प्रकार की असुविधायें, वही आर्थिक विषमतायें और उसी प्रकार का नग्न चित्र हमारे सामने आता है। आज गांवों की जनता यह अनुभव नहीं करती है कि सारा पैसा जो खर्च हो रहा है उससे किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लाभ हो...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कम से कम आप इस बात का खयाल रखेंगे कि जब कोई बिल आये और उस पर कंसीडरेशन हो तो उसके सिद्धान्त पर ही बोलें यानी पूरे आम बजट और साल भर में क्या हुआ उसके ऊपर मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं होनी चाहिये।

श्री शारदाबख्शसिंह—तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो पैसा सवा करोड़ का हमसे मांगा जा रहा है उस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो खर्च होता है उसमें किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होना चाहिये।

अभी शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में जो अनुदान रखा गया, उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जिस प्रकार की कार्यवाही हो रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है। जौनपुर का जो राजा यादवेन्द्र दत्त इंटर कालेज है उसका ग्रांट सरकार ने समाप्त कर दिया है। जब कोई तथ्य की बात पूछी जाती है, इस सदन में सवाल किया जाता है तो यह कहा जाता है कि वह कालेज जनसंघियों का है। यह बतलाया जाता है कि वह कालेज जनसंघ का एक अड्डा है। मैं नहीं समझता कि उसे किस प्रकार से जनसंघ का अड्डा कहा जाता है जब कि उसकी मैनेजिंग कमेटी में दो मुसलमान, दो ईसाई और कुछ हिन्दू सदस्य हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि वे सब जनसंघी हैं? कौन नहीं जानता कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज भी मुस्लिम प्रवृत्ति मौजूद है जिसकी वजह से सारे देश में विरोध की भावना फैली। मगर उसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है? मैं शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि

कालेज का ग्रांट समाप्त कर दिया गया और वह इसलिये कि वह कालेज आपके सत्ताधारी दल के प्रचार का काम करने को तैयार नहीं है। जब हम इस रुपये को देते हैं तो हम सरकार से यह मांग करते हैं और हमारी यह धारणा है कि किसी प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार के कार्य में नहीं होना चाहिये। विशेषकर इस इंटर कालेज के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से लिखा गया है कि यदि कालेज का मैनेजमेंट हमारे आदमियों के हाथ में दे दिया जाय तो हम उसे ग्रांट देने के लिये तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि यह कौन सी शर्त है जो सरकार यह चाहती है कि प्राइवेट स्कूलों को भी वह अपने दल के आदमियों के हाथ में देना चाहती है? अगर उस कालेज का मैनेजमेंट उनके हाथ में नहीं रहा तब उसे ग्रांट नहीं दिया जायगा। इस प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिनसे सरकार पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। इसलिये जो यह रुपया मांगा गया है उसका मैं किसी प्रकार से समर्थन नहीं कर सकता हूं। और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—अब कोई बोलने वाला है ही नहीं। इसलिये यह सवाल ही नहीं उठता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने मुझको कुछ नसीहतें दीं और उनकी नसीहतों को मानता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी नसीहत की और वह हमेशा हर किसी राज्य के काम करने वाले को अपने सामने रखनी चाहिये। माननीय राजनारायण साहब ने तो बहुत लाजवाब बात कही है। उनका जवाब देना मुश्किल है और इतना वक्त भी नहीं है कि मैं उस पर लोगों को यहां बैठाये रखूं। इसलिये मैं अपनी गुजारिश को खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५६ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ के प्रथम पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ और अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५६–५७ के लिये १,२५,२८,४०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग १,२५,२८,४०० रु० (केवल एक करोड़ पच्चीस लाख अट्ठाइस हजार चार सौ) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (services and purposes)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२	मालगुजारी (Land Revenue) ..	८८,६००	२,१००	९०,७००
५	वन (Forest) ..	४५,९००	..	४५,९००
९	राजस्व (Revenue) से किये जाने वाले सिंचाई (Irrigation) से निर्माण कार्य ..	१००	८,३०,०००	८,३०,१००
१०	सिंचाई स्थापना पर व्यय	३००	..	३००
११	इंजीनियरिंग संस्थायें	१००	..	१००
१२	सामान्य प्रशासन (General Administration) के कारण व्यय ..	९००	१९,१००	२०,०००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (District Administration) का व्यय ..	..	१,६००	१,६००
१६	जेल ..	५००	..	५००
१७	पुलिस ..	१४,३२,४००	..	१४,३२,४००
१८	शिक्षा ..	३,५०,०००	..	३,५०,०००
१९	चिकित्सा (Medical)	४,४८,४००	३००	४,४८,७००
२०	जन-स्वास्थ्य ..	३,००,९००	..	३,००,९००
२१	कृषि सम्बन्धी विकास इंजीनियरिंग और खोज (Agricultural Development and Research)	६५,७००	१,२००	६६,९००
२२	उपनिवेशन (Colonization) ..	१०,००,२००	६,१००	१०,०६,३००
२३	पशु-चिकित्सा (Veterinary)	२००	१००	३००
२५	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय ..	३००	..	३००
२७	उद्योग ..	१,५३,६००	..	१,५३,६००
२८	श्रम (Labour) और संख्या ..	..	१५,२००	१५,२००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (Services and purposes)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३०	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	२४,१००	..	२४,१००
३१	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) ..	१००	..	१००
३३	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (Grants in-aid of civil work) ..	६३,१००	..	६३,१००
३४	दुर्भिक्ष सहायता .. (famine relief) ..	१५,००,०००	..	१५,००,०००
३५	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनों तथा भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते ..	३,००,०००	..	३,००,०००
३७	लेखन-सामग्री और छपाई	८६,०००	..	८६,०००
३८	विविध व्यय (Miscelaneous charges) ..	४,६८,८००	४,८००	४,७३,६००
३९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	२,००,०००	..	२,००,०००
४०	समाज-कल्याण ..	१००	..	१००
४१	असाधारण व्यय ..	१००	३००	४००
४२	योजनाओं और एकीकरण	१००	१३,१००	१३,२००
४३	राजस्व लेखे (Revenue account) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन ..	३०,१३,०००	[२,०००	३०,१५,०००
४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	..	[१,३००	[१,३००
४५	औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत ..	२०,००,०००	..	२०,००,०००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (Services and purposes)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४६	राजस्व (Revenue) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (Civil works) पर लागत (outlay)	३,३००	३३,४००	३६,७००
४८	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों आदि पर पूंजी की लागत ..	..	५०,०००	५०,०००
५०	राज्य व्यापार की योजनायें	१००	..	१००
५१	व्याज वाले ऋण और अग्रऋण (Advances)	९००	..	९००
	योग ..	१,१५,४७,८००	९,८०,६००	१,२५,२८,४००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना और खंड १

३१ मार्च, १९५७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (Appropriation) का अधिकार देने की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह उचित है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम, १९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का प्रथक पूरक) विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का प्रथम पूरक) विधेयक पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० अक्तूबर, १९५६।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तांराकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७८ पर)

प्रान्तीय रक्षक दल के लिये १९५६–५७ वित्तीय वर्ष के हेतु स्वीकृत अस्थायी स्थानों की सूची

क्रम-संख्या	पद	वेतन-क्रम	स्थानों की संख्या
गजटेड—पी० आर० डी० हेडक्वार्टर—			
१	ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट ..	१,२०० रु० (नियत) ..	१
२	असिस्टेंट कमांडेन्ट ..	२५०—२५—४००—ई० बी०—३०—७००—ई० बी०—५०—८५० रु०	२
३	असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट (यूथ मूवमेंट)	२५०—२५—५०० रु०	१
४	असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट .. (इन्चार्ज फिजिकल कल्चर) ..	२५०—२५—३७५—ई० बी०—२५—५०० रु०	१
५	पर्सनल असिस्टेंट, ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट	३५०—२५—५०० रु०	१ (बिना भरी हुई)
नान गजटेड स्टाफ—हेडक्वार्टर			
१	आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ..	२००—१०—२५० रु०	१
२	सीनियर नोटर और ड्राफ्टर ..	१००—१०—१५० रु०	२
३	एकाउन्टेन्ट	१००—१०—२०० रु०	१
४	जूनियर नोटर और ड्राफ्टर ..	८५—६—१४५ रु०	३
५	स्टेनोग्राफर	१००—५—१२५—ई० बी०—५—१६०—ई० बी०—१०—२०० रु०	१
६	रुटीन क्लर्क	६०—४—८०—ई० बी०—५—१२० रु०	३
७	टाइपिस्ट	,, ,, ,,	२
८	आफिस चपरासी ..	२७—१/२—३२ रु०	३
९	अर्दली पीयून	,, ,,	९
१०	चौकीदार	,, ,,	३
११	रिकर्ड कीपर	६०—४—८०—ई० बी०—	१
		५—१२० रु०	१
१२	क्लर्क (असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर)	८५—६—१४५ रु०	१
एक्जीक्यूटिव आफिसर—			
१	क्वार्टर मास्टर क्लर्क ..	५०—१—६५ रु०	१
२	स्टोर कीपर	६०—४—८०—ई० बी०—४—१०० रु०	२
३	ड्राइवर	४०—२—बी० आई०—५०—ई० बी०—३—बी० आई—६५ रु०	४
४	क्लीनर	२७—१/२—३२ रु०	४

क्रम-संख्या	पद	वेतन-क्रम	स्थानों की संख्या
५	सूबेदार एडज्यूटेन्ट कम्पनी ..	१२०—६—१८०—१०—२०० रु० प्लस स्पेशल पे २० रु० प्रति माह	१
६	कम्पनी हवलदार मेजर ..	५०—१—६५ रु० प्लस स्पेशल पे १० रु० प्रतिमाह	१
७	क्वार्टर मास्टर हवलदार ..	,, ,, ,,	१
८	हेड कानस्टेबिल गार्ड ..	५०—१—६५ रु०	३
९	कान्स्टेबिल गार्ड ..	३०—१—४५ रु० प्लस स्पेशल पे ६ रु० प्रतिमाह	१०
१०	ड्रिल इन्स्ट्रक्टर	५०—१—६५ रु० प्लस स्पेशल पे १० रु० प्रतिमाह	३
११	हेड ड्रिल इन्स्ट्रक्टर ..	५०—१—६५ रु० प्लस स्पेशल पे २० रु० प्रतिमाह	१
१२	पार्ट टाइम मेडिकल आफिसर ..	वास्तविक वेतन का १/५ या अधिकतम ५० रु० प्रतिमाह	१
१३	कम्पाउन्डर	४५—२—६५ रु०	१
१४	नर्सिंग आर्डली ..	२७—१/२—३२ रु०	१
१५	स्वीपर्स	,, ,,	४
१६	मैसन	५०—२—बी० आई०—६०—ई० बी०—३—बी० आई०—७५ रु०	१
१७	कुक्स	२७—१/२—३२ रु०	२
१८	वाटरमैन	,, ,, ,,	१
१९	स्टोरमैन	,, ,, ,,	१
२०	बुगलर्स	३०—१—४५ रु० प्लस बुगलर्स अलाउन्स ४ रु० प्रतिमाह	२
२१	बैन्ड मास्टर	५०—१—६५ रु० प्लस स्पेशल वेतन १० रु० प्रतिमाह	१
२२	बैन्ड्स मेन	३०—१—४५ रु० प्लस स्पेशल वेतन ५ रु० प्रतिमाह	१३

फिजिकल कल्चर टेम्पोरेरी स्टाफ—

१	रुटीन क्लर्क (टाइपिस्ट) ..	६०—३—९०—ई० बी०—४—११० रु०	१
२	चौकीदार (कुंवर जसवीर सिंह मेमोरियल बोट हाउस के लिए)	२२—१/२—२७ रु० स्पेशल वेतन ५ रु० अगर वह जिला हेडक्वार्टर पर काम करेगा ..	१

टेम्पोरेरी स्टाफ जिला हेडक्वार्टर के लिये—

१	डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर ..	१५०—८—२३०—ई० बी०—१२—३५० रु०	४६

क्रम-संख्या	पद	वेतन-क्रम	स्थानों की संख्या
२	असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर ..	१२०—६—१८०—१०—२०० रु०	४६
३	जोन वर्कर	६०—४—८०—ई० बी०—४—१०० रु०	७२०
४	जोन वर्कर (ट्रेनिंग रिजर्व) ..	,, ,, ,,	६३
५	आफिस पीयून	२७—१/२—३२ रु०	३३७
६	व्यायामशाला इन्स्ट्रक्टर ..	७५—५—१२०—ई० बी०—२०० रु०	१५
७	क्लर्क	६०—३—९०—ई० बी०—४—११० रु०	३७

प्रान्तीय रक्षक दल के लिए स्वीकृत स्थायी स्थानों की सूची

१	असिस्टेंट कमान्डेन्ट ..	२५०—२५—४००—ई० बी०—३०—७००—ई० बी०—५०—८५० रु०	१
२	सीनियर नोटर ड्राफ्टर ..	१००—१०—१५० रु०	१
३	रुटीन क्लर्क	६०—४—८०—ई० बी०—५—१२० रु०	१
४	दफ्तरी	३२—१—३७ रु०	१
५	आफिस पीयून	२७—१/२—३२ रु०	१
६	आर्डली पीयून ..	,, ,,	२
७	चौकीदार .. .	,, ,,	१
८	क्वार्टर मास्टर	२००—१०—२५०—ई० बी०—१५—४०० रु०	१
९	हेड कान्स्टेबिल आरमोरर ..	५०—१—६५ रु०	१
१०	आरमोरर मिस्त्री ..	३०—१—४५ रु०	१
११	हेड ड्राइवर	५०—१—५६ रु० (स्पेशल पे १५ रु०)	१
१२	ड्राइवर	४०—२—बी० आई०—५०—ई० बी०—३—बी० आई०—६५ रु०	१
१३	क्लीनर	२७—१/२—३२ रु०	१
१४	ड्रिल इन्स्ट्रक्टर	५०—१—६५ रु० (स्पेशल पे १० रु०)	२
१५	हेड क्लर्क	१००—८—१४०—ई० बी०—१०—१७० रु०	१
१६	एकाउन्ट्स-कम-स्टोर कीपर ..	८५—५—१००—ई० बी०—६—१३० रु०	१
१७	ड्राफ्टर	८०—५—१००—ई० बी०—६—१३० रु०	१
१८	टाइपिस्ट-कम-डिस्पेचर ..	६०—३—९०—ई० बी०—४—११० रु०	१

क्रम-संख्या	पद	वेतन-क्रम	स्थानों की संख्या
१९	रिफ्रेरेन्स क्लर्क ..	.. ६०— ३—९०—ई० बी०—४—११० रु०	१
२०	स्टेनोग्राफर ..	.. ७५—४—९५—ई० बी०—५—१५० रु०	१
२१	दफ्तरी ..	.. ३२—१—३७ रु०	१
२२	पीयून ..	.. २७—१/२—३२ रु०	२
२३	अर्दलीज ..	.. ,, ,,	२
२४	चौकीदार ..	.. ,, ,,	१
२५	वाटर-कम-फर्रास	.. ,, ,,	१
२६	स्वीपर ..	.. ,, ,,	१
२७	टेक्निकल असिस्टेंट (इस स्थान को अबियान्स में छोड़ दिया गया है)	२००—१०—२५०—ई० बी०—१०—३१०—ई० बी०—१५—४५० रु०	१

प्रान्तीय रक्षक दल के लिये जिले के आफिसों के लिये स्वीकृत स्थायी स्थानों की सूची

१	डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर	.. १५०—८—२३०—ई० बी०—१२—२५० रु०	५
२	असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर	.. १२०—६—१८०—ई० बी०—१०—२०० रु०	५
३	जोन वर्कर ..	.. ६०—४—८०—ई० बी०—४—१०० रु०	८०
४	जोन वर्कर (ट्रेनिंग रिजर्व)	.. ,, ,, ,,	७
५	क्लर्क ..	.. ६०—३—९०—ई० बी०—४—११० रु०	१४
६	पीयून ..	.. २७—१/२—३२ रु०	१४
७	डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट फिजिकल-कल्चर (इस स्थान को अबियान्स में छोड़ दिया गया है)	१२०—८—२००—१०—३०० रु०	१४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२३० एल० ए०—१९५६—७९६।